खण्ड-347, अंक-2
शुक्रवार, 18 आश्विन, शक संवत् 1902
(1 अक्टूबर, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 347 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९८१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	..	..	177–180
प्रश्नोत्तर	..	..	..	181–227
जनपद चमोली तथा पौढ़ी गढ़वाल के शिक्षा विभाग के अधिकारियों का स्थानान्तरण किये जाने से असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	..	227–228
इलाहाबाद शहर में जलभराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	..	228–229
गोरखपुर के विकास खण्ड खजनी व पिपरौली बाजार में चक्रवात से क्षति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	..	229
विधायक निवास ब्लाक ए0 बी0 तथा सी0 में बिजली की आपूर्ति ठीक न होने की शिकायत के सम्बन्ध म नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	..	229
थाना निगोही, जिला शाहजहांपुर में पुलिस की पिटाई से एक हरिजन महिला की मत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	..	230
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)				
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	..	..	230–232
1980–81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या--44 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) एवं अनुदान संख्या 45---श्रम विभाग (सेवा योजन) . . (स्वीकृत)				232–259
अनुदान संख्या 58---खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान संख्या 97--खाद्य तथा रसद विभाग--पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 127---खाद्य तथा रसद विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..				259–293
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	..	..	293
नत्थियां	..	..	..	295–302

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 1 अक्तूबर, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 346

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलू अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या) (खीरी)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरीगढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)

चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ पवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलदेव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)

बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनीबाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीख लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्री, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री, (कानपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री (वाराणसी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यदवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुवर (फर्रुखाबाद)
योगश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रता राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजवति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राज मंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पान्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)

राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष राय (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, (बहराइच)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विनोद कुमार तिवारी, श्री (पीलीभीत)
विमला प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकिश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह राना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायण सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भू नाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवरोज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमनलता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्ना) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द्र निमेष, श्री (मेरठ)

नोट--श्रम मन्त्री श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 1 अक्तूबर, 1980

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

[उत्तरकाशी-लम्ब गांव मार्ग पर बस सर्विस चालू किए जाने की मांग

*1--श्री बलदेव सिंह आर्य--

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी-लम्ब गांव मोटर सड़क जो पर्याप्त समय से बन कर तयार है, उस पर अभी तक बस सर्विस शुरू न करने का क्या कारण है और आगे कब से सरकार का उस सड़क पर बस सेवा शुरू कराने का विचार है ?

परिवहन मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

सूचना एकत्र की जा रही है ।]

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, यह प्रश्न 29-7-80 को दिया गया था और 17-9-80 को आपने इसको स्थगित कराया । यह निश्चित प्रश्न है और परिवहन आयुक्त का कार्यालय लखनऊ में है । परिवहन आयुक्त, परिवहन अधिकारी से टेलीफोन पर भी सूचना प्राप्त कर सकते थे । यह ऐसा फैला हुआ सवाल नहीं है, जिसके लिए सूचना एकत्रित करना बहुत आवश्यक है । मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह सूचना आप एकत्रित करके कब तक सदन के पटल पर रख देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसमें कुछ सूचनायें रह गई थीं । माननीय सदस्य जो चाहते हैं, उनका पूरा उत्तर देना चाहिये, क्योंकि कुछ उत्तर रह गए थे, इसलिए ऐसा करना पड़ा । परन्तु हम इसे कर देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

एक बार यह स्थगित हो चुका है । माननीय मन्त्री जी अगले हफ्ते इसका उत्तर अवश्य दे दिया जाय ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

दे दूंगा ।

श्री शंकर सिंह--

कुछ सूचनाएं रह गयी थीं, उनके प्राप्त होने पर माननीय मन्त्री पूरा उत्तर दे देंगे, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सूचनाएं अभी तक प्राप्त हुई हैं, वे क्या हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

एक साथ ही अगले हफ्ते में उत्तर दे देंगे ।

प्रतापगढ़ जिले के वेंधन गोपालपुर और कस्तूरीपुर के मध्य झीलों से नाला निकालने का प्रस्ताव

*2—श्री सरजू प्रसाद सरोज—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिहार निर्वाचन क्षेत्र, प्रतापगढ़ में स्थित गांव में वेंधन गोपालपुर से कस्तूरीपुर के बीच स्थित झील की नाला खोद कर बरसाती पानी निकालने हेतु सर्वेक्षण सन् 1978-79 में हो चुका है किन्तु अभी तक कार्यान्वित नहीं हुआ ? यदि हां, तो उक्त झील को कब तक खुदवाकर नाले से पानी निकलवाने की व्यवस्था है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम बेधनगोपालपुर में स्थित छोटी-छोटी कई झीलों से मिलाते हुए कस्तूरीपुर स्केप तक एक ड्रेन के निर्माण हेतु प्रस्ताव वर्ष 1979 में नालों के प्लान में सम्मिलित कराया गया था । इस वर्ष विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जायेगी । भूमि उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

श्री सरजू प्रसाद सरोज—

क्या सरकार बतलायेगी कि उक्त नाले को खोदने से पहले 1979 में सर्वेक्षण कराया था या नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह सही है कि 1979 में इसका सर्वेक्षण कराया गया था लेकिन बात यह है कि कोई 36 तालाब मिला कर यह ड्रेन बनाई जा रही है । इसलिये लेबिल लाने में कुछ देर लगेगी ही । इसके बाद जल्दी काम शुरू करा दिया जायेगा ।

श्री सरजू प्रसाद सरोज—

यह स्पष्ट हो रहा है कि इसका भी सर्वेक्षण कराया जायेगा, तो इस वर्ष 1980 में वह हो जायगा या 1980-81 में ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बहुत देर नहीं लगेगी । इसी वर्ष कार्य शुरू कर दिया जायगा ।

श्री सरजू प्रसाद सरोज—

कब तक भूमि अध्याप्त की जायगी और कार्य शुरू कर दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो उन्होंने उत्तर में स्पष्ट कर दिया है ।

बाराबंकी जिले की किन्तुर पम्प नहर की अधिगृहीत भूमि का परित्याग

*3—श्री प्रदीप कुमार यादव—

तृतीय सत्र 1978 के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 40 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत किन्तुर ग्राम पम्प नहर के लिये अध्याप्त की गई

भूमि को सम्बन्धित कृषकों को वापस कर देने के शासनादेश दिनांक 24-6-78 पर अमल दिनांक 3 जुलाई, 80 तक इसलिए नहीं किया गया कि सम्बन्धित किसानों ने मुआवजे की रकम वापस नहीं की बल्कि असलियत यह थी कि अधिकांश किसानों ने मुआवजे की रकम ली ही नहीं और जिन्होंने लिया भी है उनसे सरकार की ओर से वापस लेने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत किन्तूर पम्प नहर की भूमि के परित्याग के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 24-6-78 के अनुपालन में भूमि के परित्याग के प्रकरण पर कार्यवाही की जा रही है । समुचित प्रगति लाने हेतु विशेष कार्याधिकारी लखनऊ को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि भूमि के परित्याग के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 24-6-78 के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है । मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह मामला सन् 78 का है और लगभग सवा दो साल हो रहे हैं, इस दरम्यान खातेदारों को उनको कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यही प्रश्न किया गया था और उसके उत्तर में कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके, कर दिया जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जो भूमि पहले अधिग्रहण की गई थी और जिस काम के लिये उस भूमि का अधिग्रहण किया गया था, वह काम वहां पर नहीं हुआ और न वह भूमि किसानों के काम की रही और न सरकार के काम की ही रही । तो क्या मंत्री जी आश्वस्त करेंगे कि उस भूमि को किसानों के कब्जे में दे दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इस पर आदेश हो चुके हैं कि जिन किसानों की भूमि ली गई है, उनको वापस कर दिया जाय । 4-6 महीने में यह कार्य पूरा कर दिया जायेगा ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मैं सूचना देना चाहता हूं कि किन्तूर गांव में चकबन्दी हो रही है और चक की स्टेज में गांव है । क्या मंत्री जी चक कटने से पूर्व उस भूमि को किसानों को स्थानांतरित कर देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो उन्होंने बता दिया कि 4-6 महीने के अन्दर यह कार्य हो जायेगा ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि सिर्फ जमीन वापस करने का प्रश्न है, तो क्या मन्त्री जी पहले सब किसानों की भूमि का अधिकार तुरन्त वापस कर देंगे और पैसा वापसी का जहां तक सवाल है, उसको बाद में करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह कह दिया गया है कि उनसे पैसा वापस कर लिया जाय और उनकी जमीन उनको वापस कर दी जाय । जमीन उनके नाम करके पैसा आगे पीछे वसूल कर लिया जाय ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुये कि उस गांव में चकबन्दी हो रही है और सरकार के नाम जो जमीन है, इस वक्त उसका एडजस्टमेन्ट नहीं हो पायेगा, सरकार के लिये यह मुश्किल हो जायेगा चकबन्दी अधिकारियों को यह आदेश देंगे कि तुरन्त किसानों की जमीन वापस कर दी जाय ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, तुरन्त वापस कर दी जायेगी ।

एटा जिला के ग्राम मिहुता स्थित तालाब से नाला निकालने की मांग

*4--श्री लटूरी सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा की तहसील अलीगंज के ग्राम मिहुता में स्थित तालाब का नाला खुदाई हेतु स्वीकृति सरकार द्वारा 1975-76 में दी गई थी जिसका सर्वे भी हो चुका था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद एटा की तहसील अलीगंज के ग्राम मिहुता में स्थित तालाब से नाला निकालने की योजना पर शासन द्वारा वर्ष 1975-76 में स्वीकृति नहीं दी गई । जल प्लावन की समस्या के निवारण हेतु सर्वेक्षण कराया गया परन्तु योजना उपयुक्त एवं व्यावहारिक नहीं पाई गई ।

श्री लटूरी सिंह--

माननीय मन्त्री जी को मैं समझता हूं कि यह सूचना बिलकुल गलत दी गई है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न करें ।

श्री लटूरी सिंह--

मान्यवर, इसका सर्वे शासन द्वारा हो चुका है और एक दूसरे नाले को दूसरे तालाब में मिलाया जा रहा था, तो वहां की जनता ने उसका विरोध किया था और कहा था कि काली नदी को मिलाना चाहिये । उसको सर्वेक्षण कराने पर व्यवहारिक नहीं पाया गया वह 1500 एकड़ भूमि को झील है ? यदि वह

नाला निकल जाता है, तो 15 सौ एकड़ भूमि कृषि योग्य निकल आयेगी। पिछले समय भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था और आज भी उठा रहा हू। जो रिपोर्ट मन्त्री जी के पास आई है कि व्यावहारिक नहीं है उसके लिए फिर कोई और तरीके से कमेटी बना कर वहां का सर्वे करायेंगे।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, बात यह है कि सर्वेक्षण में 13 कि0 मी0 लम्बा नाला निकलता था इसम सिहुता ताल को काली नदी में डालने का प्रश्न था, इससे एक सौ हेक्टेयर भूमि को सुरक्षा होती थी लेकिन वहां के काश्तकारों और जनप्रतिनिधियों न इसका विरोध किया कि इसे नहीं बनना चाहिय। इसका बड़ा कड़ा विरोध हुआ। एक दूसरा नाला समरेताल जो चार कि0 मी0 लम्बा है जिसे बघार नाले में डालना था जिससे थोड़ा सा फायदा हो रहा था। लेकिन उसम भी यदि बैक वाटर आ गया तो पानी भर जायेगा, तो जितना फायदा होने की संभावना है वह उपयुक्त नहीं पायी गयी।

श्री मित्रसेन--

उस नाले को जिसका जिक्र मन्त्री जी ने किया कि व्यावहारिक नहीं है, तो क्या फिलहाल उस झील से पानी निकालने के लिए कोई योजना बना रहे हैं जिससे वहां की जनता को राहत मिल सके ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैंने कहा कि इतना उपयुक्त नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो उसे फिर दिखला लेंगे।

श्री लटूरी सिंह--

माननीय मन्त्री जी जैसा आपने कहा कि वहां की जनता ने एतराज किया। मुझे वहां की पोजीशन मालूम है जो बघार में डालने के लिये सर्वे हुआ था, उसमें वहां की जनता ने आपत्ति की क्योंकि बघार में डालने से कम से कम 6, 7 गांव बिलकुल निकल जाते हैं, इसलिये एतराज हुआ न कि काली नदी में नाला डालने मे एतराज हुआ। मैं समझता हूं कि जो सूचना आई है वह निराधार है। मैं मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं वहां को 15 सौ एकड़ भूमि को लाभ होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

आप सुझाव नहीं प्रश्न पूछेंगे।

श्री लटूरी सिंह--

उस नाले का होना उस इलाके के लिये बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो प्रश्न नहीं बना।

श्री लटूरी सिंह--

उस नाले को निकालने से 15 सौ एकड़ जमीन कृषि योग्य होती है। उस पूरे इलाके को उससे फायदा होता है, तो क्या मन्त्री जी उस नाले को निकालने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह बात सही नहीं है जो पहले सर्वेक्षण हुआ था उसका विरोध नहीं हुआ, बहुत विरोध हुआ। वहां के विधायक और वहां के जनप्रतिनिधियो न और जनता ने विरोध किया और फिर इससे केवल एक सौ हैक्टेयर जो कि ढाई सौ एकड़ लगभग जमीन कुल आती है फायदा होता है। आप कहते हैं कि 15 सौ एकड़ निकलता है। दूसरा उससे बहुत कम फायदा हो रहा है केवल दो तालाब मिलने से जब तक बघार नाले मे पानी कम है तब तक पानी निकलेगा लेकिन जब पानी ज्यादा होगा, तो बैक वाटर आयेगा और पानी बढ़ जायेगा, तो फायदा नहीं होगा।

श्री फखरे आलम—

मैं जानना चाहता हूं कि जो विरोध किया गया क्या उसकी कोई लिखित सूचना आपके आफिस में आई है यदि हां, तो उसे पढ़ कर सुना दें ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, सूचना इस समय तो नहीं है लेकिन यह लिखित आयी है कि विरोध किया गया।

श्री फखरे आलम—

मेरी इस बात को सही मानकर कि कोई विरोध नहीं हुआ है, केवल कुछ सरकारी अफसर चाहते हैं कि यह न हो, क्योंकि इंजीनियरों की रकम नहीं बन रही है, इसलिए क्या मन्त्री जी इसको मंगवा कर दिखवा लेंगे ? यह मेरे क्षेत्र के बराबर का मामला है। यदि इंजीनियर की कोई रिपोर्ट है तो पढ़कर सुना दीजिये ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जो सूचना है, इसका विरोध हुआ, साथ ही यह भी बात कही गई है कि इसकी कास्ट प्रति हेक्टर 6500 रुपया आ रहा है, जो इसको बचाने पर खर्च होगा और इससे फायदा भी नहीं हो रहा है। दूसरे को भी जो देखा गया वह भी उपयुक्त नहीं था। माननीय सदस्य चाहते हैं, तो उसको दिखवा लिया जायगा।

श्री शंकर सिंह—

मन्त्री जी ने कहा कि लोगों ने और जनप्रतिनिधियों ने उसका विरोध किया, किन्तु लटूरी सिंह जी अब प्रश्न कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं और जिनकी निश्चित राय है कि उस नाले को खोलना चाहिये, तो क्या उनको वह जन प्रतिनिधि नहीं मानते हैं ? या उनसे भी बड़ा कोई जनप्रतिनिधि उनके सामने है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसके पहले और कोई जनप्रतिनिधि रहे हैं। आज जब वह कह रहे हैं उनकी भावना को देखते हुए दिखवा लूंगा।

अधीक्षण अभियंता, सिंचाई विभाग, गोरखपुर द्वारा स्टील की आपूर्ति हेतु आमन्त्रित टेन्डर

*5—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण, अभियन्ता प्रथम गंडक नहर, गोरखपुर ने 11 अप्रैल, 1979 को 600 मीट्रिक टन स्टील सप्लाई आपूर्ति हेतु कोटेशन मांगी थी। न्यूनतम कोटेशन मेसर्स राजय योग इस्पात कम्पनी, विरहाना रोड, कानपुर का था किन्तु उपर्युक्त न्यूनतम कोटेशन को न स्वीकार करके उच्च दर का कोटेशन आगरा स्टील कम्पनी को स्वीकार करके 600 मीट्रिक टन स्टील सप्लाई का आदेश 15 अप्रैल 1979 को दिया गया, जिसकी जानकारी राज्य योग को मिलने पर धारा 80 सी० पी० सी० की नोटिस देने पर 100 मीट्रिक टन का आदेश भारी घोटाले को छिपाने के लिये राज्य योग को भी दिया गया ? यदि हां, तो न्यूनतम दर के कोटेशन को न स्वीकार करने का क्या कारण था ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

केवल 440 मीट्रिक टन टार स्टील ग्रेड 1786 आई० एस० आई० की आपूर्ति हेतु टेन्डर आमन्त्रित किये गये थे जो 11 अप्रैल, 1979 को खोले गये ।

न्यूनतम टेन्डर मेसर्स राजयोग स्पात मिल्स, बिरहाना रोड, कानपुर का नहीं था । न्यूनतम टेन्डर मेसर्स ऊषा एलायज एन्ड स्टील, आगरा का था । जिसे 360 मीट्रिक टन टार स्टील आई० एस० आई० ग्रेड 1786 का आपूर्ति आदेश, 12 अप्रैल, 1979 को दिया गया । मेसर्स राजयोग स्पात मिल्स, कानपुर से धारा 80 सी० पी० सी० का नोटिस प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता । अधीक्षण अभियन्ता ने मेसर्स राजयोग से पत्र व्यवहार द्वारा फर्म की सहमति से 100 मीट्रिक टन मात्रा की आपूर्ति करने का आदेश 7 मई, 1979 को दिया लेकिन आई० एस० आई० का टेस्ट सार्टिफिकेट फर्म द्वारा न प्राप्त किये जाने पर उनसे कोई आपूर्ति नहीं ली गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[बुधवार, दिनांक 1 अक्तूबर, 1980 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

चमोली, जिले के गोपेश्वर में स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव

*1—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में खेल कूद के लिये कोई स्टेडियम बनवाना सरकार ने स्वीकार किया है ? यदि हां, तो उसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

जी हां । परन्तु उसके पूरा होने की निश्चित तिथि देना सम्भव नहीं है । स्टेडियम के आगणन बनाने का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।]

श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस स्टेडियम के लिए कितनी भूमि कब सरकार द्वारा एक्वायर की गई है और अब तक भूमि मालिकों को उसका दाम दिया गया या नहीं? यदि नहीं, तो क्या मन्त्री जी वर्तमान बाजार मूल्य पर भूमि मालिकों को उसकी कीमत दिलवायेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, 1975-76 में गोपेश्वर में स्टेडियम बनवाने के लिए 86 नाली 8 मुट्ठी काश्तकारों की भूमि को अध्यापित किया गया था, इसका कम्पेन्सेशन 1 लाख, 62 हजार 600 रुपया नवम्बर, 1977 में स्वीकार किया गया था, जिसका भुगतान काश्तकारों को किया गया है और भूमि स्पोर्ट्स विभाग को दे दी गई है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मेरी यह निश्चित जानकारी है कि अब तक सरकार द्वारा भेजा गया रुपया काश्तकारों को नहीं दिया गया है भूमि मूल्य के रूप में, तो क्या मन्त्री जी इसके बारे में कोई कार्यवाही करेंगे ?!

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं इसकी जानकारी करवा लूंगा, रुपया नहीं दिया गया है तो दिलवायेंगे ही, साथ ही साथ कड़ी कार्यवाही भी की जायेगी ।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह स्टेडियम कब मंजूर किया गया, कितनी धनराशि इसके लिए मंजूर की गई और उसमें से कितना अब तक खर्च हुआ है और कब तक यह स्टेडियम बन जायेगा ? तथा कितना काम हुआ है और कितना शेष है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

इसके आर० ई० एस० से आंगणन मांगे गये थे, जो उन्होंने 72 हजार रुपये के भेजे हैं और साथ में यह भी लिखा था कि वह जमीन धंस जायेगी । प्रदेश के जो खेल कूद के निदेशक हैं, उन्होंने आंगणन में कुछ त्रुटियां भी पायीं और साथ में जमीन धंसने की बात भी की गयी थी, तो यह कार्य पुनः सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा गया और उन्होंने अन्ततोगत्वा जांच करके बताया कि भूमि नहीं धंसेगी । आंगणन का काम भी उन्हें दिया गया है और वे इस पर कार्य कर रहे हैं ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

जब वर्ष 1975-76 में यह योजना स्वीकृत की गयी थी और उसका आंगणन भी 74 लाख के करीब बना और उसके लिए भूमि जो अध्यापित की गयी है उसका भी लगभग 1 लाख और कुछ हजार रुपया भुगतान भी कर दिया गया, तो अभी तक उस स्टेडियम न बनने के क्या कारण हैं ?

री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जमीन ले ली गयी थी, आंगणन बनाने के लिए भी भेज दिया गया था और जितना कार्यकाल गुजरा हमारे शासन का नहीं था । जो आंगणन आर० ई० एस० का था वह त्रुटिपूर्ण था और जमीन धंसने की भी बात कही गयी री । साथ में यह बात भी कही गयी कि आई० ई० एस० जो स्टेडियम बना रहा है, वह अच्छा नहीं होगा इसलिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को देन की बात की गयी ।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह स्टेडियम कब तक न जायेगा ? क्या मन्त्री जी यह भी प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि उनके कार्यकाल तक बन जायेगा या नहीं ?

री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

माननीय, 15 सितम्बर, 1980 को हमने अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पर्वतीय), सार्वजनिक निर्माण विभाग को कहा है कि इस काम को त्वरित गति से किया जाय । उन्होंने हमें सूचना दी है कि प्राथमिकता के आधार पर एक महीने के अन्दर हमको आंगणन उपलब्ध करा देंगे । उसके बाद यह स्थिति जरूर आ सकती है कि पिछले आंगणन से कुछ ज्यादा हो जायं लेकिन हम प्रयत्नशील हैं कि स्पोर्ट के लिए जहां पर स्टेडियम मंजूर शुदा है जमीन भी अध्यापित हो गयी है वहां पर त्वरित गति से निर्माण कराये जायं क्योंकि जितनी-जितनी देर होती जाती है, व्यय की मद बढ़ती जाती है और काम भी अधूरे रह जाते हैं तो जितने शासकीय स्तर से स्टेडियम स्वीकृत हैं, उनको कराने की चेष्टा करेंगे ?

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

जो जमीन अध्यापित की गयी थी वह उन काश्तकारों के पास है या बन्जर पड़ी हुयी है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

उपलब्ध सूचना के अनुसार यह भूमि स्पोर्ट विभाग को स्थानान्तरित कर दी गयी थी और इससे जाहिर है कि इस पर काश्तकारों का कब्जा होने का प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा जिले की परखम सड़क पर पुल निर्माण की मांग

*2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि मथुरा जिला की तहसील मथुरा में जो परखम कट बना है उस पर पुलिया न होने से जल भराव की भीषण दशा उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार परखम की सड़क पर दो पुलिया बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

दो सड़कों के क्रासिंग पर पुलिया न होने के कारण जल भराव हो गया था जिसका अधिकांश पानी इन सड़कों के नीचे से पाइपों द्वारा निकाल दिया गया है । वर्तमान में जल भराव की समस्या नहीं है ।

इस समस्या के स्थायी निदान हेतु दोनों सड़कों पर ड्रेनेज कार्निग का निर्माण इसी वर्ष प्रस्तावित है ।

बस्ती जिले की धर्मशाला में राजकीय अनुमोदित विद्यालय की स्थापना

*3--श्री धरम पाल तथा श्री जटाशंकर सिंह---

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि बहराइच में भरी बस्ती के बीच एक धर्मशाले को बच्चों की कारागार बना दिए जाने के विरोध में पिछले 36 दिनों से लगातार जनता के प्रतिनिधि क्रमिक अनशन कर रहे हैं जो आज भी जारी है ? यदि हां, तो अनशनकारियों की मांगे क्या-क्या है तथा उसके बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री छेदा लाल चौधरी)---

जी हां ।

माननीय सदस्य के प्रश्न के सन्दर्भ में जिलाधिकारी, बहराइच से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत धर्मशाले में अनधिकृत रूप से रहने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा धर्मशाले में राजकीय अनुमोदित विद्यालय की स्थापना के विरुद्ध अनशन किया जा रहा था । उनकी एकमात्र मांग यह थी कि धर्मशाले में विद्यालय की स्थापना न की जाय । यह अनशन दिनांक 7 अगस्त, 1980 को अनशनकारियों ने स्वतः बिना शर्त समाप्त कर दिया है ।

विधिक परामर्श के अनुसार धर्मशाला का स्वामित्व श्रीमती भगवती देवी में निहित है तथा उसकी प्रबन्ध समिति व्यवस्था से सम्बन्धित है । इन दोनों की सहमति से ही यह धर्मशाला राजकीय अनुमोदित विद्यालय के लिए किराए पर दी गई है । अतः शासन स्तर से किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

श्री जटा शंकर सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिलाधिकारियों ने उन अनशनकारियों को 7 अगस्त को यह आश्वासन दिया था कि उनकी मांगें शासन को भेजी जा रही है और उन पर विचार करके शासन तुरन्त कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो यह चीज क्या शासन के विचाराधीन है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

ऐसी कोई बात नहीं है, न ही कोई उसकी सूचना है ।

श्री जटाशंकर सिंह---

मंत्री जी न बताया कि उसम असामाजिक तत्व रह रहे थे उस धर्मशाला में तो उसका आधार क्या है जिसके आधार पर उनको असामाजिक तत्व कहा जा रहा है ?

श्री छेदालाल चौधरी---

वे अनधिकृत रूप से रह रहे थे, अब उनको हटाकर उसमें विद्यालय है ।

श्री जटाशंकर सिंह—

क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि बशीरगंज मोहल्ला जहां पर यह धर्मशाला है, एक बहुत ही घनी आबादी के बीच है और वहां पर इस धर्मशाला के अतिरिक्त कोई अन्य धर्मशाला या सार्वजनिक स्थल ऐसा नहीं ह जहां पर कि शादी की बारात ठहर सके या अन्य किसी सार्वजनिक कार्य के लिए उसका उपयोग किया जा सके ?

श्री छेदालाल चौधरी—

वह धर्मशाला एक श्रीमती भगवती देवी के स्वामित्व में थी और उनकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि वे उस धर्मशाला की देख-रेख कर सकें, इसलिए उसे किराए पर ले लिया गया ।

श्री जटाशंकर सिंह—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मैंने पूछा था कि क्या वहां पर उस धर्मशाला के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा स्थल है, जहां पर बारात आदि ठहर सकें और सार्वजनिक कार्यों के लिए उसका प्रयोग हो सके ? अगर नहीं है तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि उसको धर्मशाला ही रहने दिया जाए और वह विद्यालय वहां से हटा लिया जाए ?

श्री छेदालाल चौधरी—

मान्यवर, धर्मशाला या कोई भी किसी की मिल्कियत है, जहां पर बनाना है, वह तो बना है, उसमें कोई जाता नहीं था, इसलिए आर्थिक स्थिति को देखने के बाद एक ट्रस्ट कायम कर दिया और अध्यक्ष उसके जिलाधिकारी हैं, 8 सदस्य हैं इनको मिला कर और राजकीय अनुमोदित विद्यालय को दे दी गयी । वह बाहर कहां जायेंगे, जहां पर जगह थी, उनको दे दिया गया ।

नरापनी, छितौनी बांध पर खैर के पेड़ का कटान

*4—श्री कुबेर भंडारी तथा श्री नन्दकिशोर सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978-79 में नरापनी छितौनी बांध पर अनधिकृत रूप से काटे गए लाखों रुपए के खैर के पेड़ के सन्दर्भ में जो जांच समिति नियुक्त हुयी थी, उसने क्या अब तक शासन को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत जांच हेतु कोई जांच समिति नहीं नियुक्त की गयी है, बल्कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (दक्षिण) द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है ।

*5—श्री माता प्रसाद पांडेय तथा श्री राम आसरे पासवान—

[9वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

*6—श्री मोहम्मद नबी खां—

[9वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

**--श्री प्रियदर्शी जेतली, श्री जयराज गौतम तथा श्री कल्याण सिंह--

[9वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] :

प्रोबेशन ऐक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास के बन्दियों की रिहाई

*8--श्री भीखालाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रोवेशन ऐक्ट उत्तर प्रदेश में अब भी लागू है लेकिन आजीवन कारावास के बन्दियों की प्रोवेशन ऐक्ट के अधीन रिहाई रोक दी गई है ? क्या यह भी सही है कि आजीवन कारावास के बन्दियों को सजा के पूर्व हवालात में रहने की अवधि को सजा में मुजरा करने के नियम का पालन भी उत्तर प्रदेश की जेलों में नहीं किया ज. रहा ह । यदि हां, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

श्री छेदालाल चौधरी--

उत्तर प्रदेश प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन ऐक्ट, 1938 अब भी लागू है । आजीवन कारावास के बन्दियों की रहाई रोकी नहीं गई है ।

परन्तु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433-ए के अनुसार उन अपराधों में दण्ड प्राप्त आजीवन कारावास के बन्दी को, जिन्हें कानून के अन्तर्गत मृत्यु दन्ड भी दिया जा सकता है, 14 वर्ष वास्तविक सजा काटने के बाद ही मुक्त किया जा सकता है । अजीवन कारावास के बन्दियों के लिए उनकी सजा के पूर्व हवालाती अवधि को उनकी सजा में मुजरा करने का कानून में कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री भीखा लाल--

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री जी बतायेंगे कि यह 433 सी० आर० पी० सी० की धारा है, उसके अनुसार आजीवन कारावास के बन्दी जब 14 साल की सजा काट लेते हैं, तो उनको बिना शर्त मुक्त कर दिया जाता है । प्रोवेशन ऐक्ट में सशर्त रिहा किया जाता है । तो इस चीज को क्यों मिला रहे हैं ? क्या आज भी कारागार में ऐसे बन्दी मौजूद हैं जिनकी अवधि 12, 14 साल कट गयी, अभी तक नहीं छोड़े गये ह ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

मान्यवर, यह जब से 433 सेक्शन सी० आर० पी० सी० में बन गया है, तब से यह व्यवस्था कर दी गयी है कि जो बन्दी आजीवन कारावास के हैं और जिनको दण्ड मिल चुका ह, सिद्ध दोष हो चुके हैं, इन अपराधों में 302 में या 396 म जिनको मृत्यु दण्ड न मिल कर आजीवन कारावास, जिनको मिला है या जनमें मृत्यु दण्ड दिया जा सकता था, उनके लिए यह हुआ है कि 433-ए० के तहत जब तक वह 14 वर्ष वास्तविक सजा नहीं काट लेंगे तब तक रिहा नहीं किया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नकर्त्ता का प्रश्न प्रोवेशन और 14 वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद मुक्त करने के सम्बन्ध में है ।

श्री भीखा लाल—

433 धारा में आजीवन कारावास बन्दी जब 14 वर्ष की सजा काट लेंगे, बिलकुल मुक्त हो जायेंगे और प्रोवेशन ऐक्ट में तो शर्त पर छोड़े जाते हैं। तो प्रोवेशन ऐक्ट की 433 धारा क्यों लागू की जा रही है ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

प्रोवेशन ऐक्ट अभी है और उसके बाद प्रोवेशन बोर्ड संस्तुति करता है, उसके हिसाब से उनकी रिहाई होती है। जो 433 के तहत में, जो आजीवन कारावास के बन्दी हैं उन पर यह लागू नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जब आप इतने लोग एक साथ बोलेंगे तो मैं उत्तर सुन नहीं पाऊंगा। इस लिए आप लोग मेरी सहायता करें।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी या शासन इस बात पर भी विचार करेगा कि जो 302 के कैदी हैं, उन पर जो 14 साल का प्रतिबन्ध लगाया गया। उस प्रतिबन्ध का कोई दूसरा तरीका भी है, जिससे वह 14 साल पहले प्रोवेशन पर छोड़े जा सकें। इसके लिए कोई दूसरा रास्ता है ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

यह बात शासन के विचाराधीन है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी मैं आपका उत्तर सुन नहीं पाया।

श्री छेदा लाल चौधरी—

मान्यवर, मैंने कहा कि यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

यह बहुत ही सटीक उत्तर दिया है, मंत्री जी ने।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य मैं सटीक उत्तर देखने के लिए यहां बैठा हूं आप नहीं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश के तमाम जेलों और उनकी नाक के नीचे आदर्श जेल में तमाम आजीवन कारावास के ऐसे बन्दी पड़े हैं, जिनको 10-10 और 11-11 साल हो गये, उनमें से एक बन्दी सत्यपाल सिंह हैं, जो नक्सलपंथी है, जिसने लगभग एक साल तक भूख हड़ताल जारी रखी और उसकी यह मांग थी कि उसे प्रोवेशन पर छोड़ा जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न तो इससे सम्बन्धित नहीं है इससे सम्बन्धित ही प्रश्न करें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, इसी से सम्बन्धित प्रश्न पर आ रहा हूं मान्यवर, जैसा कि दफा 428 में प्राविधान है कि हवालात की सजा को जोड़कर बन्दी को छोड़ा जाता है, तो क्या माननीय मंत्री जी हवालात की सजा को जोड़ने का प्राविधान, जो आपकी जेलों में अभी तक नहीं है, अब करेंगे और जिसको मैंने अभी मिसाल दी आदर्श जेल के कैदी सत्यपाल सिंह की, जिसने प्रोवेशन की मांग की थी, तो क्या उसकी सजा के साथ हवालात की सजा भी जोड़े जाने का प्राविधान दफा 428 के तहत लागू करने की कोई कार्यवाही करेंगे । दो हिस्से हैं, मान्यवर, इस प्रश्न के ।

श्री छेदा लाल चौधरी--

जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिये हैं, वह आजीवन कारावास के कैदियों पर लागू नहीं होती और बाकी लोगों पर लागू होती है ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, अब हम लोगों के प्रश्न आगे बढ़ाइये ।

*9--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[9वें बुधवार के लिये स्थगित]

*10--श्री राम औतार दीक्षित--

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

हरदोई खण्ड के सरेहरी रजबहा के कटाव से एस0 एस0 के0 विद्यालय को क्षति

*11--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई खंड के सरेहरी रजबहा के 4 मील 7 फर्लांग पर दाहिनी पटरी, 22 मई, 1979 को स्वयंमेव कट जाने से एस0 एस0 के0 संस्थान सुधान खेड़ा विद्यालय के तीन पक्के कमरे गिर गये थे और अनुमानित 15 हजार रु0 की क्षति उक्त विद्यालय को उठानी पड़ी ? यदि हां, तो इस विद्यालय की क्षतिपूर्ति की दिशा में क्या कदम उठाये गये तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत रजबहा में स्वयंमेव खांदी नहीं हुयी थी बल्कि दिनांक 22 मई, 1979 की रात्रि में सरसंड के निवासियों ने भयंकर सूखे के कारण ग्रामीण पेय जल व मछली पालन के उद्देश्य से सरेहरी रजबहा के दाई पटरी के मील 4-6-260 पर खांदी काटी थी जिसके कारण एस0 एस0 के0 विद्यालय की मिट्टी के गारे से जोड़ी गई दीवारें जिन पर लिन्टर नहीं पड़ा था गिर गयी थी । विद्यालय के प्रबन्धक के कथन के अनुसार क्षति का अनुमान 800 से 900 रु0 है । चूंकि

खांदी ग्रामवासियों द्वारा स्वयं को गयी थी अतः काटी गयी खांदी के सिंचाई विभाग द्वारा विद्यालय को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता और न कोई अधिकारी ही इसके लिए दोषी है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 22 मई, 1979 की रात्रि में सरसंड के निवासियों ने भयंकर सूखे के कारण, ग्रामीण पेयजल व मछली पालन के उद्देश्य से...

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय वर्मा जी आपके प्रश्न में आपकी भूमिका ज्यादा लम्बी होती है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

प्रश्न तो छोटा होता है भूमिका बड़ी होती है बगैर भूमिका के प्रश्न नहीं बनता ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप भूमिका न बनायें, प्रश्न करें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरेहरी गांव के जिन नागरिकों न पटरी काटी थी, उनके विरुद्ध उसी समय कोई रिपोर्ट कोई सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई थी ? यदि दी गई थी, तो क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह बताया गया है कि यह सूखे का समय था और उस समय कोई ऐसी कार्यवाही करना रिपोर्ट लिखवाना, इसकी जानकारी करूंगा कि की गई या नहीं । ऐसे समय में बहुत सी बातों को देखा जाता है, पटरी अपने से नहीं कटी थी ।

श्री भीखा लाल--

क्या माननीय मंत्री जी ने जो बताया कि सूखे की वजह से काटी गई, लिहाजा कोई तावान नहीं किया गया, यही दृष्टिकोण पूरे प्रदेश में लगा रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह दृष्टिकोण नहीं है । उस समय विषम परिस्थिति थी, इसलिए ऐसा किया गया ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, बड़ा व्यावहारिक है । मान्यवर, नहर निकली हुई है, उसके करीब स्कूल बना है । अगर कोई पटरी काटता तो स्कूल के आगे पीछे काटता मान्यवर, कोई आदमी स्कूल को बहाने के लिए स्कूल के सामने पटरी नहीं काटेगा । इसलिए यह कहना कि खांदी काटी गई, मान्यवर यह बात नहीं है पटरी कच्ची थी, वह बेकार थी, वह अपने आप कट गई और

वह पानी के प्रवाह को नहीं रोक सकी। इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं। क्या उन अधिकारियों के बारे में जिनके दोष के कारण पटरी कटी और स्कूल की क्षति उसका मुआवजा दिलवाने तथा दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का आश्वासन देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मुआवजा तब दे सकते हैं जब खांदी अपने आप कट जाती, विभाग की गल्ती से। यह काटी गई थी और कटने के बाद जो स्कूल की दीवार गिरी और स्कूल को क्षति पहुंची उसकी विभाग पर कोई जिम्मेदारी नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि उस स्कूल के मैनेजर ने जब नहर कटने से स्कूल को क्षति पहुंची, तो उसके द्वारा कोई दरखास्त इक्जीक्यूटिव इंजीनियर को दी थी कि नहर कटने से स्कूल का नुकसान हुआ है विभाग इतना पैसा दे। क्या आपके पास इसकी नोटिस है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हां दिया था। जांच हुई और जांच के बाद यह देखा गया कि पहले तो उन्होंने कहा कि 15 हजार का नुकसान हुआ बाद में जब बयान दिया, तो कहा कि 8 सौ 9 सौ का नुकसान पहुंचा और हमारे सहायक अभियन्ता ने देखा हमारे हिसाब से 204 रुपये का नुकसान हुआ। यह सारी बातें देखी गई। लेकिन मुख्य बात यह है कि क्या मुआवजा दिया जा सकता है। नियम के अनुसार यदि विभाग की गड़बड़ी से ऐसा होता तो हम मुआवजा दे सकते थे नहीं तो हम नहीं दे सकते।

श्री धर्मवीर सिंह--

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह तो उन्होंने उत्तर दे दिया कि पटरी कटी और स्कूल को नुकसान पहुंचा। पटरी चाहे किसी ने काटी हो और चाहे कटी हो। जो स्कूल को नुकसान पहुंचा है, उसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है। यह इसकी जिम्मेदारी सरकार समझती है, तो क्यों नहीं दिया गया।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मुआवजा देने का नियम बना है, उसके अनुसार हम नहीं दे सकते।

*12--श्री नरेश चन्द्र--

[कल बुधवार के लिए स्थगित।]

*13--श्री बब्बन सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

सिंचाई विभाग, ऋषिकेश के कर्मचारियों का पर्वतीय विकास भत्ता

*14--श्री विद्यासागर नौटियाल (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऋषिकेश स्थित सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने जून, जुलाई, 80 में ऋषिकेश में कार्यरत कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ता दिये जाने की मांग के समर्थन में संचालित अपना आन्दोलन योजना मंत्री के द्वारा प्रदत्त इस आश्वासन के आधार पर वापिस लिया था कि राज्य सरकार इस प्रश्न पर शीघ्र ही उचित निर्णय लेगी ? यदि हां, तो वह क्या वह निर्णय ले लिया गया है ? यदि नहीं लिया गया, तो कब तक ले लिया जायेगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

ऋषिकेश स्थित सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को पर्वतीय विकास भत्ता दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की नियोजन मंत्री जी से वार्ता हुई थी । पर्वतीय विकास भत्ते की अनुमन्यता के आधार का प्रश्न सक्रिय रूप से शासन के विचाराधीन है । इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय होने की आशा है ।

खिलाड़ी, श्री मोहम्मद इलियास को प्रदान किया गया लक्ष्मण पुरस्कार

*15--श्री श्याम लाल बाजपेई--

क्या खेलकूद मंत्री को पता है कि उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए लक्ष्मण पुरस्कार प्रदान करने की योजना बनाई थी ? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत कितने लोगों को पुरस्कार मिला है ? क्या सरकार उन सभी खिलाड़ियों के नामों को बताने की कृपा करेंगी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जी हां ।

गत तीन वर्षों में वर्ष 1976-77 के लिए श्री मोहम्मद इलियास का चयन बालीबाल खेल में उत्कृष्टता के लिए इस योजना के अन्तर्गत किया गया था और वर्ष 1977-78 में उक्त पुरस्कार एक समारोह में उनको प्रदान किया गया । वर्ष 1977-78 हेतु लक्ष्मण पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों का चयन कर लिया गया है और एक समारोह में पुरस्कार शीघ्र वितरित किया जायगा । वर्ष 1978-79 के लिए प्रदेशीय क्रीड़ा संघों से नामों की संस्तुति मांगी गई है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

आपके माध्यम से मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह लक्ष्मण पुरस्कार योजना सक्रिय खिलाड़ियों के लिए है या निष्क्रिय खिलाड़ियों के लिए है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, यह सक्रिय ही नहीं बल्कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

लक्ष्मण पुरस्कार नियमावली के खंड 8 में लिखा है कि खिलाड़ी को पुरस्कार प्राप्त करने हेतु प्रदेश का वास्तविक निवासी होना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम पिछले 3 वर्षों से लगातार काफी अच्छा होना चाहिए और

पुरस्कार जिसमें दिया जाना है, सिफारिश की जानी चाहिए, यह नियमावली कहती है लेकिन मान्यवर, जो सूची प्रकाशित हुई है सर्वश्री जमन लाल शर्मा, कु0 मीना शाह, सुरेश गोयल, भैया लाल, अशोक कुमार, मसूद हसीन, रवीन्द्र लाल पांडेय, रनवीर सिंह, मो0 वसी खां, मुरारी लाल मेहरोत्रा, कु0 वीनू भूषण, श्रीमती दमयन्ती तांम्बे, सैयद अली, एस0 मसूद अहमद जो नाम हैं, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ये सभी सक्रिय और उत्कृष्ट खिलाड़ी थे, या नियमावली के तहत ये लोग लगातार खेल रहे थे, क्योंकि लिखा हुआ है कि उस वर्ष का सर्वोत्तम खिलाड़ी होना चाहिए। इन बुढ़े नरधटों को क्यों पुरस्कार दिया गया।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

माननीय सदस्य ने जो नार्म्स बतायें हैं वे ठीक और सही हैं। यहां का वास्तविक निवासी होना चाहिए और कम से कम 3 वर्षों का खेल अच्छा होना चाहिए और उस वर्ष के लिए पुरस्कृत किये जाने के लिए सिफारिश की जानी चाहिए, यह चयन जो किया गया है, इस शासन के दौरान नहीं किया गया है मैं निश्चित रूप से इन्हें देख लूंगा और यदि कोई अवहेलना की गई है तो उनम संशोधन कर दिया जायेगा।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

एक ओर कहा गया है कि दिखवा लूंगा और दूसरी ओर अगर अनियमितता हुई तो संशोधन कर दिया जायेगा, तो जो सर्वश्री जैनूल, विश्वम्भर सिंह, चन्द्रशेखर राय, मुख्तयार सिंह, भीम सिंह, विरेन्दर सिंह, जगमिन्दर सिंह, विजय सिंह चौहान, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कीर्ति स्थापित की, उनके बारे में विचार क्यों नहीं किया गया क्योंकि नियमावली के तहत है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

मान्यवर, इस नार्म्स से हटकर जो चयन किया गया है उनको निश्चित रूप से निरस्त कर दिया जायेगा विचार के बाद, इसके अतिरिक्त जो भी अन्य बातें हमारे ध्यान में लाये ह, मुझे प्रसन्नता है, बाजपेयी जी को काफी रुचि है, मैं चाहूंगा कि यद्यपि रिकार्ड्स में सारी बातें आ गयी हैं, फिर भी यदि माननीय सदस्य उचित समझें तो मुझसे बात कर लें और मैं उसको शार्ट-आउट कर लूं।

श्री भीखा लाल—

क्या माननीय सदस्य श्री श्याम लाल बाजपेयी जो खिलाड़ी हैं, इनके नाम पर भी आप विचार करेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

मान्यवर, अगर इस नार्म्स के अन्दर आ जायेंगे तो सर्वप्रथम पुरस्कार उनको देना चाहिए।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय भीखा लाल जी ने जिस खिलाड़ी शब्द का प्रयोग किया। क्या बता सकते हैं कि श्याम लाल किस खेल का माहिर है ?

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य का शपथ तो तेलफूद मन्त्री से होना चाहिए। आपने भोला लाल जी से किया है। उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं कहता हूं कि आप विधान सभा के खेल के माहिर हैं।

(हंसी)

श्री गुलाब सिंह---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने स्वीकार किया कि सूची में अनियमितताएं हैं, तो इसके लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं उनको क्या सजा देंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

मान्यवर, अगर नार्म्स का पालन नहीं किया गया है, तो जो उचित समझा जायगा प्रताड़ना अवश्य दी जायेगी।

मुख्य अभियता सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण

*16---श्री रामगोविन्द, श्री बब्बन सिंह तथा श्री मोहन सिंह---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय के लिपिकीय कर्मचारियों के स्थायीकरण के आदेश दिनांक 22-8-1980 को निर्गत हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उनमें से जिन कनिष्ठ उपलेखकों व प्रालेखकों को स्थायी घोषित किया गया है उनको उक्त पद के लिये चयन उत्तर प्रदेश सरकार सिंचाई विभाग अनुसचिवीय सेवा नियमावली, 1971 के भाग-3, नियम 5-क में वर्णित कनिष्ठ उपलेखकों व प्रालेखकों की भर्ती की प्रक्रिया के अनुसार करके उनकी ज्येष्ठता उक्त नियमावली के नियम 19 (3) के अनुसार निर्धारित की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उपरोक्त कथित स्थायीकरण के आदेश निर्गत करने से पूर्व इस सम्बन्ध में कतिपय कनिष्ठ उपलेखकों व प्रालेखकों द्वारा प्रमुख अभियन्ता सिंचाई को दिए गए प्रत्यावेदनों पर निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां, सिंचाई विभाग अनुसचिवीय सेवा नियमावली, 1971 के नियम 5(क) के अधीन कनिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखकों के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति किए गए कर्मचारियों की अस्थायी रूप में ज्येष्ठता वर्ष 1975 में उक्त नियमावली के नियम 5(क) तथा नियम 19(3) के आधार पर निर्धारित की गई थी। तत्पश्चात् दिनांक 22-8-1980 को ज्येष्ठता के आधार पर कनिष्ठ आलेखकों एवं प्रालेखकों के स्थायीकरण के आदेश हुए हैं।

उपरोक्त स्थायीकरण के आदेश निर्गत करने से पूर्व जिन कनिष्ठ उपलेखक एवं प्रालेखकों के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए थे उनकी नियुक्ति वर्ष 1980 में की गई थी तथा इन कर्मचारियों ने सेवा नियमावली के नियम 23 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि भी पूर्ण नहीं की है अतः इनकी ज्येष्ठता निर्धारित करने के सम्बन्ध में दिए गये प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया गया। इन कर्मचारियों द्वारा परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ज्येष्ठता निर्धारण तथा स्थायीकरण की कार्यवाही करना नियमानुसार होगा।

श्री रामगोविन्द---

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्रत्यावेदन प्राप्त हुए थे उसमें मांगें कौन-कौन थीं ?

श्री वीरबहादुर सिंह---

मान्यवर, इसकी तो सूचना यहां पूरी नहीं है। सारांश मैं बता दूं। जैसा उत्तर में दिया है, इसमें यही है कि उनको बनाया जाय। प्रोन्नति का नियम है कि 50 प्रतिशत प्रोन्नति से भरा जाये, 50 प्रतिशत डायरेक्ट किया जाये। पिछले वर्ष सीधी भर्ती नहीं की गई थी, 79 में की गई थी। उनकी मांगें हैं कि 74 से ज्यष्ठता सूची में रखा जाये।

श्री रियासत हुसैन---

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उनकी मांगें हैं कि 74 से सीनियारिटी देखते हुए, उसके मुताबिक प्रमोशन दिया जाय। इसमें शासन को क्या परेशानी है ?

श्री वीरबहादुर सिंह---

पहली बात जो आदमी 80 से नौकरी में आयेगा, 74 से कैसे सीनियारिटी में लिया जायेगा, रूल में है। अगर सीधी भर्ती नहीं की गई तो प्रोन्नति से भर दिये जायें, ऐसी कोई मांग नहीं है।

श्री रामगोविन्द---

मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि सन् 1978-79 में लिपिकों की इस तरह की परीक्षा विभागीय हुई थी या नहीं ?

श्री वीरबहादुर सिंह---

1979 में हुई थी।

श्री रामगोविन्द---

मान्यवर, 1978-79 में इनकी परीक्षा भी हुई है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों की परीक्षा हुई है क्या उनका प्रमोशन करने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीरबहादुर सिंह---

1979 में तो सीधी भर्ती के लिए परीक्षा ली गई, उनको नौकरी सन् 1980 में मिली। दो वर्ष तक वह प्रोबेशन पर रहेंगे उसके बाद की कार्यवाही हो सकती है।

श्री जसवंत सिंह विष्ट---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग में स्थायी होन के क्या नियम हैं।

श्री मोहन सिंह---

इसकी जानकारी तो इनको नहीं है क्योंकि यह भी वहां पर अस्थायी हैं।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न कीजिए।

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मान्यवर, मैंने यह जानना चाहा था कि सिंचाई विभाग में स्थायीकरण होने के क्या नियम हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न तो पूरे विभाग से ताल्लुक रखता है।

श्री वीरबहादुर सिंह--

मान्यवर, नियम अलग-अलग हैं। यह पूरे विभाग के बारे में पूछ रहे हैं। उसमें क्लर्क भी हैं, फोर्थ क्लास के भी हैं, इंजीनियर और चीफ इंजीनियर भी हैं।

श्री रियासत हुसैन--

इसमें मिनिस्टर भी इन्क्लूडेड हैं, मन्त्री जी भी शामिल हैं।

बस्ती जिले के ग्राम शाहपुर के नाले में बच्चों की मृत्यु एवं पुल निर्माण की मांग

*17--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज तहसील, जनपद बस्ती के शाहपुर ग्राम में राप्ती नदी से निकले हुए नाले में पिछली बाढ़ में तीन बच्चे डूब कर मर गये थे? क्या यह सही है कि उक्त स्थान पर पुल टूटा हुआ है और उसको बनाने तथा बढ़ाने हेतु बहुत से पत्र शासन को लिखे गये थे और सिंचाई मन्त्री ने उसको बनाने हेतु 77-78 में तथा 78-79 में आदेश दिये थे? यदि हां, तो उसके अब तक न बनाने के क्या कारण हैं? क्या शीघ्र ही उसे सरकार बनवाने की कृपा करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह--

डुमरियागंज तहसील, जनपद बस्ती के शाहपुर ग्राम में राप्ती नदी में निकले हुए नाले में पिछली बाढ़ से कोई बच्चा डूबकर नहीं मरा था।

यह सही है, कि उस स्थान पर पुल के पैरा पेट टूटे हुए हैं। दिनांक 3-9-79 के पत्र में मा0 विधायक ने थोड़ा सा मिट्टी का काम कराने तथा दो दर पुल को इधर-उधर चौड़ा करने की मांग की थी। जिस पर विचार किया गया, और यह पाया गया कि यह पुल राप्ती नदी के बाढ़ क्षेत्र में आता है तथा पुल के पास गांव की सड़क भी बहुत नीची है, अतः इस पुल को चौड़ा करने आदि से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा है कि कोई बच्चा डूब कर नहीं मरा है। मेरी जानकारी है कि सन् 77 में वहां 3 बच्चे डूब कर मर गए थे। इसके

पहले भी वहां 2 बच्चे डूब कर मर गए थे, तो इस तरह से 5 बच्चे डूब कर मरे हैं, तो क्या मेरी जानकारी को सही मान कर पुल के इधर-उधर एक-एक दर बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

यह बात सही है कि 3-9-77 को ग्राम खिमैयापुर के 2 बच्चे डूबे थे। वहां पर पुल के बारे में जो बात कही गयी तो देखा गया है कि वहां पर नदी का लेविल बाढ़ में 99.14 मीटर है और जो पुल बना है वहां 2.305 मीटर नीचे है। यानी 87.538 है। अगर वहां पुल बना भी दिया जाता है, तो कोई फायदा उससे बाढ़ के समय नहीं होगा क्योंकि पानी भरा रहेगा, इसलिए वह उपयुक्त नहीं पाया गया।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ---

मान्यवर, आपने कहा कि पानी ऊंचा हो जाता है, पुल के ऊपर से। और आपने स्वयं कहा कि 1978 की बाढ़ आयी थी तो पुल के पैरा पेट टूटे हैं। पुल बहा नहीं है, तो दो दर बढ़ा देने से वहां के लोगों को आने जाने में आसानी होगी। जो जांच आयी है वह गलत आयी है, इसलिए क्या मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मानकर जैसा कि मैंने पहले अपने प्रश्न में कहा है, पुनः जांच करवाकर पुल के इधर उधर एक-एक दर बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

पुनः इसको दिखवा लेंगे।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सरकारी नौकरियों में विकलांग अभ्यर्थियों का आरक्षण

**1---श्री मित्रसेन---

क्या सरकार सरकारी नौकरियों में विकलांग अभ्यर्थियों को आरक्षण देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री छेदा लाल चौधरी---

सरकारी नौकरियों में वर्ग 1, 2, 3 व 4 की सेवाओं में समाज के अक्षम व्यक्तियों (फिजीकली हैन्डीकैप्ड) के लिए 2 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है। अन्य प्रश्न नहीं उठते।

श्री मित्रसेन---

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा 2 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है। यह फिजीकली अक्षम व्यक्ति हैं, तो इसमें कितने प्रतिशत की पूर्ति कर दी गयी है ?

श्री छेदा लाल चौधरी---

पूर्ति की जा रही है। यदि कमी होगी और माननीय सदस्य बतायेंगे तो उसको हम देखेंगे।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह आरक्षण कब किया गया और कितने आदमियों को अब तक सेवा दी जा चुकी है, सभी विभागों में ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

इसकी जानकारी करा लें ।

श्री रियासत हुसेन--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने फिजीकली हैन्डीकैप्ड व्यक्ति इनके पास रजिस्टर्ड हैं और उनमें से कितने को 2 प्रतिशत में सर्विस दी जा चुकी है और कितन बाकी हैं ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

सूचना इकट्ठा की जा रही है चूंकि विस्तृत सूचना है ।

श्री गुलाब सिंह--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने अभ्यर्थियों को अभी तक सरकारी सेवा दी जा चुकी है, यह सूचना मन्त्री जी कब तक दे देंगे ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

यथाशीघ्र सूचना दे देंगे ।

श्री मित्रसेन--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पढ़े लिखे अक्षम व्यक्ति कितने बेरोजगार हैं और कितनों की पूर्ति कर दी गयी है, इसका जवाब मंत्री जी दे दें। यदि इसका जवाब नहीं है, तो मान्यवर, आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने प्रश्न किया है कि विकलांग अभ्यर्थियों के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं । तो आप प्रतिशत से संबंधित प्रश्न पूछें । मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बता दिया है कि अक्षम व्यक्तियों के लिए 2 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है ।

श्रीहुकम सिंह--

मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा है कि 2 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है तो मेरा अगला प्रश्न है कि कितने प्रतिशत अभी तक रखे गये हैं ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

मान्यवर, यही तो बता रहा हूं कि सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मन्त्री जी के उत्तर से संबंधित । मन्त्री जी ने बतलाया कि दो प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, तो क्या माननीय मन्त्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि दो प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कोई ऐसी योजना बनाई है जिस पर विकलांग लोग अपना रिजर्वेशन करवायें या आरक्षण करने के लिए दरख्वास्त दें ?

श्री छेदा लाल चौधरी---

इस पर विचार कर रहे हैं ।

श्री गुलाब सिंह---

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह दो प्रतिशत का जो आरक्षण किया गया है किस सन् से किया गया है ।

श्री छेदा लाल चौधरी---

हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री हुकम सिंह---

इस प्रश्न को स्थगित करवा दें, मान्यवर । पूरी जानकारी मन्त्री जी दे नहीं पा रहे हैं, क्या लाभ हमको हुआ ?

(शोर)

(प्रश्न संख्या 2 पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

अनेक सदस्य---

स्थगित करवायें ।

श्री चेतराम गंगवार---

जवाब नहीं दे पा रहे हैं या इस पर आधे घन्टे की चर्चा करायें । डेट का पता नहीं कब से आरक्षण किया गया ...

(शोर)

श्री मित्र सेन---

कब से आरक्षण लागू किया था, जवाब नहीं दे पाते हैं ..

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है, आप की भावनाओं को देखते हुये इस प्रश्न को स्थगित किया जाता है । इसका उत्तर पुनः आना चाहिए ।

(मेजों की थपथपाहट)

पिथौरागढ़ जिले में धारचूला से लीपू दर्रा के मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में आन्दोलन

**2--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट---

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत तिब्बत के मुख्य मार्ग लीपू दर्रा के पास जिला पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील के निवासियों ने दिनांक 29-8-80 से जन-आन्दोलन की सूचना मुख्य मन्त्री को दी है ? यदि हां, तो उस आन्दोलन का मुख्य कारण क्या है और उसके निवारण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जी नहीं ।

शेषांश का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, यह जो मैंने प्रश्न किया है यह उस स्थान का है जो चीन से मिला हुआ है । 11 अगस्त को मैं धारचुला गया था । वहां पर मुझे लोग मिले और परचे मिले । माननीय मुख्य मन्त्री जी को मैंने परचे दिये हैं । आधा घंटा मुख्य मन्त्री जी से बात हुई । माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि प्रश्न नहीं उठता ।

(शोर)

आप लोग सुनिये तो । मान्यवर चीन सरकार ने लीपू दर्रा है वहां पर मोटर सड़क बना ली है मगर मन्त्री जी कहते हैं प्रश्न नहीं उठता है । चीन से मिला हुआ क्षेत्र है । धारचुला से लेकर लीपू दर्रे तक कोई सड़क नहीं है । इसलिए मैं मन्त्री जी से कहना चाहता था ।

(शोर)

माननीय मन्त्री जी भी धारचुला गये हैं, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता था कि क्या वहां कोई आन्दोलन चल रहा है । मेरी जानकारी जो है आन्दोलन चल रहा है । मेरी सूचना को सही मानते हुए क्या माननीय मन्त्री जी इस की जांच करायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वहां आन्दोलन चल रहा है क्या इस की जांच करायेंग ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

प्रश्न यह था कि क्या सूचना माननीय मुख्य मन्त्री को दे दी गई है । इस पर कहा गया है--'जी नहीं' । वास्तविकता यह है, मैं आपकी भावनाओं का आदर करते हुए बताना चाहता हूं कि एक प्रिन्टेड पम्पलेट इस सम्बन्ध में मिला था । वह मेरे कार्यालय में आया था । उसकी एग्जामिनेशन के लिए भेजवा दिया गया था । मैं भी इस बीच वहां गया था, बार्डर तक जहां अन्तिम रोड है । उनकी कुछ मांगें हैं । उन्होंने उस परचे में आन्दोलन करने की बात भी कही थी लेकिन जो मुझे सूचना है इस संदर्भ में आन्दोलन नहीं हो रहा है । जहां तक मांगें हैं, उस पर विचार हो रहा है । माननीय सदस्य चाहें तो स्पष्ट कर दूं । उनकी दो प्रमुख मांग थीं । (1) तवाघाट से पांगला, गरबा, बूंदी होते हुए कुटी तक 74 कि0मी0 लम्बा 1962 से स्थगित मोटर मार्ग का निर्माण और पांगला से सिर्खा, सिदांग गरबा से सेक्तोला सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किया जाये । इस संदर्भ में बताना चाहूंगा कि पहले इसमें डिफेन्स मिनिस्ट्री की तरफ से आपत्तियां थीं, कि नहीं बनाया जाना चाहिए । लेकिन अब हमारी कोशिशों के बाद तवाघाट से जिला को नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है । वैसे बार्डर रोड जितनी भी हैं डी0 जी0 बी0 आर0 बनाता और मेंटेन करता है लेकिन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं समझा होगा नहीं तो अपने हाथ में बनाने के

[श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—]

लिए लेता और बनाता । अब नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है इसी सड़क का तवाघाट से जिबती तक । प्रदेश सरकार ने आगणन बनाने के लिए निर्देश दे दिये हैं । आगणने का निश्चित सूचना नहीं है लेकिन 109·33 लाख रुपये की लागत की सम्भावना है । जितना सम्भव होगा आर्थिक संसाधनों को दृष्टि से टेकओवर करेंगे । और आगे का हिस्सा ब्राइडल रोड का, उसको पी० डब्लू० डी० मेन्टेन करता है । दूसरी मांग यह थी कि जोविका का माध्यम तिब्बत व्यापार पूर्ववत, चालू करवाया जाय अन्यथा भारतीय नागरिकों को जिस प्रकार मक्का मदीना जाने की व्यवस्था है कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलवायी जाये; प्रदेशीय सरकार के लिए यह मांग स्वीकार करना सम्भव नहीं है । फिर भी इंन्सट्रक्शन्स दे दिया है कि भारत सरकार को इसको एग्जामिन करने के लिए लिख दिया जाये । यदि सम्भव हो वहां के लोगों को आर्थिक लाभ मिल सके तो एग्जामिनेशन करले विभिन्न मन्त्रालय भारत सरकार के हैं, अगर ठीक समझेंगे तो कर देंगे ।

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, अभी मन्त्री जी ने बताया कि दो मुख्य मांगें थी जिनके सम्बन्ध में उन्होंने विवरण दिया । कुछ मान ली गई हैं और कुछ के लिए भारत सरकार को लिखा है । मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों का प्रतिवेदन, पैम्पलेट आया था उनको भी सूचित किया गया है इस सम्बन्ध में जो सरकार ने यहां से कार्यवाही की है, अपने प्रदेशीय स्तर से केन्द्र सरकार को लिखा ह, इस सम्बन्ध में जिन लोगों ने आवेदन-पत्र दिया, पैम्पलेट दिया, उनको भी इस सम्बन्ध में सूचित किया है ? यदि किया है, तो बतायें ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

मान्यवर, मैंने बताया कि प्रिंटेड पैम्फलेट आया था । उसके बाद एक पत्र और हमारे सामने आया । हमारे विधायक उस क्षेत्र के श्री चारुचन्द्र ओझा—माननीय मुख्य मन्त्री से सम्भवतः मिले भी थे । पत्र विचाराधीन है । इसकी सूचना भी भेज दी जायेगी । न भी भेजें तो सदन में बात कही गई है तो सब की जानकारी में आ जायेगी ।

श्री राम स्वरूप शर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी इस मार्ग से तिब्बत तक व्यापार का आगणन करायेंगे और पता लगायेंगे कि कितना लास हुआ है और कितने लोग इससे प्रभावित होंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

व्यापार खोलने की बात भारत सरकार के अधीन है । विदेश विभाग उसे देखेगा और करेगा और वह हमारे हाथ की बात नहीं ह ।

श्री राम स्वरूप शर्मा—

इस बात के महत्व को समझते हुए क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि इस व्यापार के खुलने से कितने आदमी प्रभावित होंगे और इस व्यापार का आगणन करा कर भारत सरकार को लिखेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

यह सही है कि कई कारणों से लोगों को आर्थिक दृष्टि से हानि हुई है। यही नहीं नेपाल से ऊन आता था लेकिन नेपाल सरकार ने अपने यहां ऊन कारपोरेशन बना दिया और इस प्रकार जो लोग वहां कालीन बनाते थे तथा धारचूला में जनजाति के लोगों को इस दिक्कत का सामना करना पड़ा। इस सम्बन्ध में हम विचार कर रहे हैं और भारत सरकार को लिखा है कि जो ऊन आता था जिसके माध्यम से वह रोजगार करते थे, उसका वैदेशिक नीति से सम्बन्ध नहीं है और उसको व्यवस्था करानी चाहिये। लेकिन जैसा बतलाया यह हमारी परिधि का सीमा के बाहर है लेकिन इसको तर्क संगत बतलाते हुए इस बात पर जोर डालेंगे कि अगर सम्भव हो सके तो इसे करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

यह प्रश्न जो है, इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने क्या दिया, एक बार मैं फिर उसको सुनना चाहता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न आपको सुनना चाहिये था।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया प्रश्न ही नहीं उठता और इस तरह की कोई शिकायत नहीं थी। इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। इसका साफ मतलब यह है कि माननीय मंत्री जी को आन्दोलन की सूचना थी जैसा कि माननीय मन्त्री जी वक्तव्य दे रहे हैं और उत्तर केवल इतना दिया कि प्रश्न ही नहीं उठता और इस प्रकार की कोई सूचना ही नहीं थी ?

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने वक्तव्य तो नहीं दिया। कुछ तथ्य थे, जो उन्होंने बतलाये। आपका प्रश्न नहीं बन रहा है।

श्री चारु चन्द्र ओझा--

जब भारतवर्ष के अन्तिम छोर तक सभी सीमान्तों के अन्तिम छोर तक मोटर मार्ग बन गये हैं, तो इस सीमान्त क्षेत्र में भी अन्तिम छोर तक मोटर मार्ग बनाने के लिए क्या सरकार सिद्धान्त रूप में इसको स्वीकार करने को तैयार है।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि बार्डर रोड्स जो सीमान्त को छूती हैं उनको डी० जी० बी० आर० टेक अप करता है। बद्री नाथ को जो सड़क जाती है उसे पी० डब्ल्यू० डी० बनाता है और उसके ऊपर डी० जी० बी० आर० देखता है। प्रदेश सरकार से कोई मतलब उसका नहीं है। उनके अपने दृष्टिकोण होंगे बनाने के। वैसे हमने सुविधा की दृष्टि से लिखा था, बातचीत की थी और उन्होंने नो आब्जेक्शन दे दिया और हम उस पर सर्वे करा रहे हैं, आगणन बनवा रहे हैं।

अतारांकित प्रश्न

बाराबंकी-लखनऊ मार्ग, बाराबंकी-फतेहपुर तहसील आदि मार्गों पर अवैध रूप से चलने वाली बसें

1--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आज कल लखनऊ-बाराबंकी मार्ग तथा बाराबंकी-फतेहपुर तहसील, बाराबंकी-फैजाबाद तथा बाराबंकी-हैदरगढ़ मार्ग पर अवैध रूप से व्यक्तिगत बसें बिना मार्ग कर अदा किए चल रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत मार्ग राष्ट्रीयकृत हैं, जिन पर अवसर पाकर प्राइवेट बसें अनधिकृत संचालन करने का प्रयास करता हैं । उनकी कड़ी चेकिंग की जाती है तथा नियमानुसार चालान भी किया जाता है। जनवरी, 1980 से अगस्त 1980 तक इस प्रकार की 8 बसों का चालान विभिन्न चेकिंग अधिकारियों द्वारा बिना मार्ग कर अदा किए संचालन में किया गया तथा उन्हें थाने में बन्द भी किया गया ।

अधिशासी अभियन्ता, श्री बी० पी० सिंह, नलकूप, शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

2--श्री रामअवतार दीक्षित--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सैयद अनवार जमील, भूतपूर्व विधायक द्वारा दिनांक 18-4-80 को माननीय राज्यपाल के सलाहकार महोदय को अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खंड, शाहजहांपुर श्री बी० पी० सिंह के विरुद्ध प्रेषित शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच अधिशासी अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन मन्डल, बरेली से करायी जा रही है।

रिग्स डिवीजन, लखनऊ के ट्रैक्टर, ड्राइवर श्री चिरौंजी लाल की मृत्यु एवं मुआवजा

3--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 6 तथा 7 मार्च, 1980 की रात्रि में रिग्स डिवीजन लखनऊ के चतुर्थ उपखंड लखनऊ में कार्यरत ट्रैक्टर ड्राइवर (श्री चिरौंजी लाल) की ड्यूटी पर काम करते हुए सीतापुर जिले में विभागीय ट्रैक्टर से कुचल जाने के कारण मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है ? क्या ड्राइवर के आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता अथवा मुआवजा दिया गया है ? यदि हां तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। दिनांक 6 व 7 मार्च, 1980 की रात्रि में प्रश्नगत उपखण्डों में कार्यरत श्री चिरौंजीलाल, ट्रैक्टरचालक ट्रैक्टर सं0 यू0पी0 एक्स 732 पर श्री लल्लूराम एवं बहादुर रिप्स सहायक को बिठाकर एक फंसी हुयी ट्रक को निकालने के लिये रवाना हुए। जैसे ही ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर स्टार्ट करके आगे बढ़ाया, वर्षा होने के कारण ट्रैक्टर फिसल कर पास के गड्ढे में गिर गया जिसके परिणाम स्वरूप ट्रैक्टर चालक की उसके दबकर मृत्यु हो गयी।

ड्राइवर के आश्रितों को मुआवजा देने हेतु स्व0 ट्रैक्टर चालक का मामला जिलाधिकारी सीतापुर को दिनांक 27-8-80 को भेजा जा चुका है।

ड्रेनेज खंड, बस्ती द्वारा बोरियों की खरीद

4--श्री माता प्रसाद पांडेय तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के ड्रेनेज खंड प्रथम एवं द्वितीय में कितने खाली बोरों की खरीद इस वर्ष की गयी ? और उसे कितने रुपये में कहां से खरीदा गया ? तथा उसका इस्तेमाल कहां-कहां किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1980-81 में अब तक ड्रेनेज खंड प्रथम बस्ती में कुल 2,56,033 खाली बोरियां खरीदी गई। यह बोरियां 3,84,049·50 रुपये में ठेकेदारों से खरीदी गयीं।

ड्रेनेज खण्ड द्वितीय बस्ती में इस वर्ष खाली बोरियों की खरीद नहीं की गयी।

इन्हें बंजरहा, सोनखार, केथवलिया, कुडजा, माली मैनहा, अमहवा, कुकुर भुकवा के कटाव निरोधक कार्यों पर बांसी पनघटिया के रेगुलेटर, सिसवा सागर बांध सूपा के पास सड़क की कटान, बैदोला-भंडरिया बांध, के0 जी0 बांध, उसका लखनापार बांध, मोहम्मद नगर बांध, चिप्पापुर बांध, मझौली सागर, बानगंगा हेडवर्क्स अपस्ट्रीम, बानगंगा हेडवर्क्स डाउन स्ट्रीम एवं अन्य मुख्य नहरों पर इस्तेमाल किया गया।

5-श्री शिवपाल सिंह--

[8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 70 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

6-श्री ऊदल--

[9वें बुधवार के लिये स्थगित]

ओबरा तापीय निर्माण खंड, जिला मिर्जापुर को लोहे की आपूर्ति एवं लोहे की ढुलाई पर व्यय की गयी धनराशि

7--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओबरा थर्मल कन्स्ट्रक्शन डिवीजन ओबरा, मिर्जापुर के अधिशासी अभियन्ता ने कलकत्ता की किसी फर्म को लोहे का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि लोहे की आंशिक आपूर्ति

लेकर पूरे आर्डर का भुगतान उक्त फर्म को कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसमें सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ा है ? इस मामले मे उक्त अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1979-80 में लोहे की आपूर्ति हेतु कलकत्ता की फर्म को आदेश अधिशासी अभियंता ओबरा तापीय निर्माण खण्ड, ओबरा ने नहीं दिया किन्तु मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आपूर्ति आदेश दिनांक 27-2-80 के अनुसार मेसर्स बंगाल मेटल इन्डस्ट्रीज कलकत्ता को इस खण्ड को 185 मी0 टन टार स्टील आपूर्ति करना था ।

फर्म से 59·83 मी0 टन लोहा प्राप्त हुआ । फर्म को पूर्ण मात्रा का 98 प्रतिशत भुगतान (4 प्रतिशत बिक्रीकर सहित) बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया गया । फर्म को 4,62,488 रु0 का अधिक भुगतान हुआ है । स्टील की मात्रा की आपूर्ति अभी फर्म द्वारा नहीं की गयी और न अवशेष धन वापस किया गया है । दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय जांच कर कार्यवाही किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं एवं फर्म से धन वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही भी प्रस्तावित है ।

8--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अधिशासी अभियन्ता ने गाजियाबाद की किसी फर्म को लोहे की सप्लाई का आदेश दिया था ? यदि हां, तो कितने रुपये का लोहा था और उसकी ढुलाई पर कितना रुपया व्यय हुआ है ? ढुलाई ट्रकों द्वारा की गयी या रेलवे के द्वारा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1979-80 मे अधिशासी अभियन्ता ओबरा तापीय निर्माण खंड ओबरा ने लोहे का आपूर्ति आदेश गाजियाबाद फर्म को नहीं किया था । मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आपूर्ति आदेश दिनांक 20-2-80 के अन्तर्गत मेसर्स राठी उद्योग, गाजियाबाद द्वारा ओबरा तापीय निर्माण खंड, ओबरा को 480 मी0 टन टार स्टील की आपूर्ति करनी थी । 272·64 मी0 टन स्टील प्राप्त हुआ है जिसका मूल्य 11,19,371 रु0 है । ट्रक द्वारा गाजियाबाद से चुर्क स्टोर को ढुलाई हेतु 68,502 रुपये व्यय किये गय । आपूर्ति आदेश के अनुसार स्टील ट्रक द्वारा ढुलाई कराया गया था ।

9--श्री राम औतार दीक्षित--

[9वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

10-11--श्री राम आसरे वर्मा--

[9वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

12--श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी--

[9वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

कानपुर जिले में बिल्हौर से चलने वाली बस

13--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कानपुर नहर बिल्हौर व उसके आगे तक चलने वाली बस सं0 यू0 आर0 के0 3846 को गम्भीर आरोप के कारण राजकीय परिवहन निगम ने बहुत पहले अपने अधिनस्थ से मुक्त कर दिया था और अब वह पूर्णरूपेण प्राइवेट बस होते हुए भी उसमें चुन्नीगंज डिपो तथा यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 लिखा है । यदि हां, तो उसके विरुद्ध अभी तक कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्नगत बस दिनांक 16 जुलाई, 80 से 19 जुलाई, 80 तथा 2 अगस्त, 80 से 3 अगस्त, 80 तक इसके स्वामी को ही दूसरी बस संख्या यू0 आर0 डी0 7446 के रिप्लेसमेन्ट में परिवहन निगम के अन्तर्गत चली । बाद में दिनांक 4 सितम्बर, 80 से पुनः यह बस परिवहन निगम से अनुबन्धित होकर फतेहपुर-कानपुर-गोरखपुर मार्ग पर चल रही है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

14--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

[9वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

15--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[9वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

16--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[9वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

17--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 71 से अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

18-19--श्री मोहन सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

पर्वतीय जिलों के परिव्यय में वृद्धि

20--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 में पर्वतीय जिलों का आउट ले कितने करोड़ रुपये का था, वह वर्ष 1980-81 में कितना निर्धारित किया गया और अब वह बढ़ाकर 86 करोड़ रुपये कर दिया गया है तो वह किन-किन मदों में बढ़ाया गया है तथा इस धनराशि से पर्वतीय जिलों की प्रगति में कितने प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

वर्ष 1979-80 में पर्वतीय क्षेत्र का परिव्यय (पुनरीक्षित) 70·33 करोड़ रु0 था । वर्ष 1980-81 के लिये 72·16 करोड़ रु0 का परिव्यय निर्धारित

किया गया था जिसे बढ़ाकर पहिले 72·91 करोड़ रु0 किया गया । हाल ही में र ज्य सरकार के विशेष प्रयासों से इस परिव्यय में योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा 13·10 करोड़ रु0 की और वृद्धि की गई । इस प्रक र वर्ष 1980–81 का परिव्यय बढ़कर कुल 86·01 करोड़ रु0 हो गया । परिव्यय में यह बढ़ोत्तरी जिन विकास मदों में की गई है उसकी सूचना संलग्न विवरण 1 के स्तम्भ 3 में दी है । बढ़े हुये परिव्यय के विपरीत प्रस्तावित कार्यक्रम/लक्ष्य संलग्न विवरण 1 के स्तम्भ 4 में दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 295 पर)

खेलकूद निदेशक के पद पर नियुक्ति एवं खेलकूद का स्तर

21––श्री श्यामलाल बाजपेयी––

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में खेलकूद का स्तर क्यों गिर गया है जबकि शासन द्वारा भरपूर राशि व्यय की जा रही है ? क्या यह भी सत्य है कि वर्तमान खेलकूद निदेशक, परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, जिन्हें विषय का ज्ञान न होते हुए भी बिठाये रक्खा गया है ? यदि यह सब सत्य है तो शासन खेलकूद निदेशालय का सुधार कब करने की सोच रही है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी––

उत्तर प्रदेश में खेल का स्तर गिरा नहीं है बल्कि वस्तुस्थिति यह है कि शासन द्वारा व्यय की जा रही धनराशि के अनुरूप खेल का स्तर बढ़ा है जैसा कि संलग्न तालिका में दिये विवरण से स्पष्ट होगा ।

जी हां, वर्तमान निदेशक परिवहन विभाग के अधिकारी हैं । खेलकूद निदेशक की नियमित नियुक्ति पर निर्धारित अर्हताओं के आधार पर शासन विचार कर रहा है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 300 पर)

22––श्री विद्या सागर नौटियाल––

(7 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

खेलकूद निदेशालय के उप निदेशक

23––श्री श्यामलाल बाजपेयी––

क्या खेलकूद मन्त्री बतानें की कृपा करेंगे कि इस समय खेलकूद निदेशालय में कितने उप निदेशक हैं ? इनकी नियुक्तियां किस आधार पर हुई हैं ? क्या प्रदेश शासन प्रत्येक खेल के लिए एक उपनिदेशक अथवा मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त करने के लिये सोच रहा है ? क्या मौजूदा उप निदेशक अपने–अपने खेलों के विशेषज्ञ हैं ? क्या जिन खेलों में उपनिदेशक नहीं हैं, उनमें राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय कोई ख्याति अर्जित हुई है ? यदि हुई है, तो प्रतियोगिता का नाम और स्तर बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी––

इस समय खेलकूद निदेशालय में 4 उप निदेशक हैं जिनमें एक उप निदेशक (प्रशासन) तथा तीन उप निदेशक खेलकूद हैं । उप निदेशक (प्रशासन) उत्तर प्रदेश सिविल (प्रशासकीय) सेवा के अधिकारी हैं । उपनिदेशक खेलकूद की नियुक्तियां इनके द्वारा अर्जित उपलब्धियों के आधार पर की गई हैं ।

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जी हां ।

जी हां ।

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दे दी गई है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 301 पर)

वाराणसी जिले के गड़खड़ा एवं सहमलपुर का नलकूप

24—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप द्वितीय गड़खड़ा व सहमलपुर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी का दो वर्ष बाद चालू किया गया और गड़खड़ा तृतीय जिसकी बोरिंग एक वर्ष पूर्व हुई है अब तक सफाई करके रिग्स विभाग, वाराणसी ने ट्यूबवेल विभाग को ट्रान्सफर नहीं किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । राजकीय नलकूप गड़खड़ा द्वितीय व सहमलपुर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी का छिद्रण क्रमशः जुलाई, 1978 व जून, 1978 में किया गया था । दोनों नलकूपों के बी0 एण्ड एल0 फार्म विद्युतीकरण हेतु विद्युत विभाग को मार्च, 1979 में भेज दिये गये थे । राजकीय नलकूप ग्राम द्वितीय गड़खड़ा व सहमलपुर का विद्युत विभाग द्वारा विद्युतीकरण क्रमशः जुलाई, 1980 व जून, 1980 में किया गया जिन्हें उन्हीं माह में चालू कर दिया गया ।

राजकीय नलकूप गड़खड़ा तृतीय का छिद्रण माह जून, 1979 में हुआ था । विकसन (डेवलपमेन्ट) कार्य करने पर नलकूप का निकास कम मिला । निकास बढ़ाने की कार्यवाही की जा रही है । नलकूप के समुचित निकास मिलने पर रिग्स खंड, वाराणसी द्वारा नलकूप खंड को स्थानान्तरित किया जायेगा ।

वाराणसी जिले के फूलपुर, बरही, नेवादा आदि का नलकूप

25—श्री ऊबल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप फूलपुर, बरही, नेवादा कारिखियांव, गजापुर, अनेई, कुवार, तहसील व जिला वाराणसी में पानी बहुत कम आ रहा है ? यदि हां, तो उक्त ट्यूबवेलों के स्थान पर री-बोरिंग करने की अब तक व्यवस्था क्यों नहीं की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नलकूप फूलपुर, नेवादा प्रथम, नेवादा द्वितीय, कारिखियांव, गजापुर एवं कुवार, तहसील व जिला वाराणसी में पानी का निकास कम हो गया है । परन्तु ये नलकूप पुनः निर्माण की स्थिति में नहीं हैं । नलकूप बरही कला एवं अनेई में पानी का निकास कम है जिसे बढ़ाने हेतु कार्यवाही की जा रही है । इन दोनों नलकूपों के निकास में समुचित वृद्धि न होने पर पुनः निर्माण पर विचार किया जायेगा ।

26—श्री कुबेर भण्डारी—

(9 वें बुधवार के लिए स्थगित)

उन्नाव जिले के मोहान रजबहा का कटान

27--श्री धनीराम वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1980 में थाना, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के अन्तर्गत मोहान रजबहा (नहर) को लगभग 12 मील के पास काट दिया गया है, यदि हां, तो रजबहा को काटने में कितने व्यक्ति शामिल हैं और उनके नाम तथा पते क्या हैं ? सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । मोहान रजबहा दिनांक 21-7-80 से 21-9-80 तक पानी की मांग न होने के कारण बन्द रहा । अतिवृष्टि के कारण रजबहा मोहान के निकटवर्ती क्षेत्र जलमग्न हो गये, जिसे निकालने हेतु कृषकों ने दिनांक 14-8-80 को रजबहा के माल 12-1-50 की दायीं पटरी काट दी ।

पटरी काटने वाले व्यक्तियों की कोई जानकारी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर के अरौल में बस स्टेशन का निर्माण

28--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या परिवहन मंत्री को यह जानकारी है कि जी0 टी0 रोड स्थित गांव अरौल, जनपद कानपुर में बस स्टेशन बनाने के लिए लाखों रुपये की जमीन मुफ्त मिल चुकी है, और लोकदल की सरकार में उसी भूमि पर बस स्टेशन का भवन बनाने की स्वीकृति होने तथा दो बार सर्वे होने के बावजूद अभी तक भवन बनाने का कार्य नहीं प्रारम्भ हुआ है ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ग्राम अरौल जनपद कानपुर में 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि वर्ष 1966 में निःशुल्क प्राप्त हुई थी । इस भूमि पर बस स्टेशन भवन बनाने की स्वीकृति दिनांक 28-1-80 को दी गयी ।

इस बस स्टेशन का निर्माण कार्य दिनांक 5-9-80 से प्रगति पर है तथा लगभग एक तिहाई कार्य पूर्ण हो चुका है ।

इलाहाबाद जिले के मेजा रोड स्टेशन पर बस स्टेशन की स्थापना की मांग

29--श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के मेजा रोड-स्टेशन पर रोडवेज का स्टेशन बनाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कार्य आरम्भ होने की सम्भावना कब है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

टिहरी गढ़वाल जिले के अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग के विरुद्ध शिकायती-पत्र

30--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1979-80 के दौरान उनके पास टिहरी गढ़वाल जनपद से सिंचाई विभाग के टिहरी गढ़वाल में स्थित अधिशासी अभियन्ता जिनके जिम्मे लस्तर घटी की नहर का निर्माण कार्य है के विरुद्ध भ्रष्टाचार से सम्बन्धित कुल कितने शिकायती-पत्र उन्हें प्राप्त हुए ? तथा उस सम्बन्ध में शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

31--श्री विद्यासागर नौटियाल--

[9वे बुधवार के लिए स्थगित]

टिहरी बांध परियोजना

32--श्री विद्यासागर नौटियाल--

तारीख 27-8-80 के विधान सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि डेटा उपलब्ध नहीं है तो उसके अभाव में टिहरी बांध का निर्माण कार्य उक्त दोनों नदियों में सिल्ट की दर को कितना-कितना मान कर सप्लोजिशन चालू किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

टिहरी बांध परियोजना में सिल्ट्रेशन दर जलाशय क्षेत्र के प्रति वर्ग मील के लिये 1.7 एकड़ फीट प्रति वर्ष मानी गई है ।

भोला खेड़ा एवं सुभाषनगर, लखनऊ के निवासियों का सड़क सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

33--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के तीसरे बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपय बतायेगी कि सुभाष नगर-भोला खेड़ा, आलमबाग, लखनऊ की जनता की इस प्रार्थना पर कि 13 फीट की छोड़ी गयी जमीन पर, वहां की जनता की सुविधा के लिए, सड़क बनाने के उपयोग में लिया जाये, पुनः सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

भोला खेड़ा एवं सुभाष नगर के निवासियों के लिए चूंकि स्वतन्त्र रूप से रास्ता मौजूद है तथा उस रास्ते को नगर महापालिका द्वारा ठीक कराया जा रहा है अतः सिंचाई विभाग की भूमि पर उनके लिए अलग से जगह छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले में नलकूपों का निर्माण

34--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के प्रत्येक तहसीलों में 30 जून सन् 1980 तक कितने-कितने नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए? और नौगढ़ तहसील में कितने नलकूपों पर अभी तक सिंचाई का काय प्रारम्भ नहीं हुआ है? उनकी बोरिंग कब हुई और अभी तक उनसे सिंचाई का कार्य प्रारम्भ न होने का क्या कारण है?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जून, 1980 तक बस्ती जिले की तहसील बस्ती में 170, तहसील बांसी में 70, तहसील हर्रैया में 118, तहसील डुमरियागंज में 78, तहसील नौगढ़ में 29 तथा तहसील खलीलाबाद में 149 राजकीय नलकूप लगाए गए।

नवगढ़ तहसील में निर्माण कार्य अभी समाप्त न होने के कारण निम्नलिखित 6 नलकूपों द्वारा सिंचाई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है :--

क्रम-संख्या	नलकूप संख्या का समूह	छिद्रण का माह
1	23 नवगढ़ समूह	3/79
2	25 नवगढ़ समूह	2/80
3	26 नवगढ़ समूह	3/80
4	27 नवगढ़ समूह	3/80
5	28 नवगढ़ समूह	3/80
6	29 नवगढ़ समूह	6/80

इन नलकूपों के अतिरिक्त राजकीय नलकूप संख्या-14 नवगढ़ समूह का पुनः निर्माण कार्य वर्षा ऋतु के बाद प्रस्तावित है। इस नलकूप का निर्माण अप्रैल, 1977 म किया गया था लेकिन निकास कम होने के कारण पुनः निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।

नौगढ़ तहसील, जिला बस्ती की नदियों से ग्रामों का कटान

35--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील के किन-किन नदियों से कौन-कौन गांव की आबादी कट रही है और उसके रोकथाम हेतु कौन-सी कार्यवाही की जा रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बस्ती जनपद के नौगढ़ तहसील में नदियों से निम्न आबादियों में कटान की सूचना प्राप्त हुई है :--

ग्राम का नाम

1--कूड़ा नदी--ग्राम मेहथबल, गढ़मोर, अमहवा, परसपुर, रेहरा।

2--बूढ़ी राप्ती--नन्द बलिया, खोतबल तिवारी, गुतहिया, छितरापा।

3--राप्ती नदी--गायघाट, वरवा माफी, सोबा नामकार, नटवरताल।

4--चरगहवा नाला--हृदयनगर।

इनमें से अमहवा जाहांबन्धे का किनारा नदी के निकट आ गया था, में 6 लघु ठोकरे सुरक्षार्थ बनाए गए हैं। मेहयवल, गढ़मोर, रेहरा नन्द बलिया, गुतहिया, छितरापार, गायघाट की बाढ़ सुरक्षार्थ योजनायें बनाई जा रही हैं।

ग्राम नटवरताल के निवासी अन्यत्र बसना चाहते हैं। शेष गांवों का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

36--श्री हरिवंश सहाय--

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]।

टिहरी बांध परियोजना को भू-स्खलन से हुयी क्षति

37--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी बांध की बायीं व्यावर्तन सुरंग में तारीख 23 जुलाई, 1980 को जो भू-स्खलन आउटलेयर की साइड में दृष्टगोचर हुआ उसकी प्रारम्भिक प्रक्रिया की सूचना टिहरी बांध परियोजना के अधिकारियों को किस तारीख को प्राप्त हुई थी और उक्त धसान के कारण कुल कितनी धनराशि की क्षति हुई है तथा स्थानीय भू-गर्भवेत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई उच्च पदस्थ भू-गर्भवेत्ता धसान-स्थल पर गए ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

टिहरी बांध की बाई व्यावर्तन सुरंगों के निकास द्वारों के स्थल पर सुरंग के स्तर से बहुत ऊपर पहाड़ के ढाल पर चट्टान के ऊपर की मिट्टी की तह में एक पतली दरार प्रथमबार 19-7-80 को इस कार्य-स्थल से सम्बन्धित अधिकारियों ने देखी। दरार के स्तर से नीचे पहाड़ के ढाल को सुरक्षित करने हेतु कुछ भाग में चेन लिंक फैब्रिक एंकर द्वारा लगा कर उसके ऊपर शौटक्रीट की गई थी। दरार पड़ने के कारण पहाड़ के ढाल की मिट्टी नीचे की ओर खिसकी जिसके दबाव से शौटक्रीट के कुछ भाग को क्षति पहुंची। इस समय तक हुई क्षति की मरम्मत इत्यादि में लगभग दो लाख रु० व्यय होने का अनुमान है किन्तु इस व्यय को हानि नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस प्रकार की घटना इस प्रकार के कार्य स्थलों पर बहुधा हो जाती है। सुरंग द्वार या किसी अन्य कार्य हेतु पहाड़ के ढाल के नीचे के भाग को जब काटा जाता है तो उसके ऊपर के स्तर पर पहाड़

[श्री वीर बहादुर सिंह---]

के ढाल पर चट्टान के ऊपर की मिट्टी की तह अस्थिर हो जाने व उसके खिसकने की सम्भावना सदैव रहती है जिसे विभिन्न उपाय कर रोकने व कम से कम व्यय कर उसे स्थिर बनाने की चेष्टा की जाती है और अन्त में स्थिर बना दिया जाता है । यह प्रक्रिया कुछ समय लेती है । लखनऊ से वरिष्ठ ज्योलाजिस्ट ने आकर उपरोक्त दरार व उस स्थल का निरीक्षण किया था । आजकल (24-26 सितम्बर, 1980) लखनऊ से डायरेक्टर इंजीनियरिंग ज्योलाजिस्ट एवं वरिष्ठ ज्योलोजिस्ट भागीरथी क्षेत्र के दौरे पर गये हैं और उन्होंने भी उपरोक्त दरार स्थल का निरीक्षण किया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

टिहरी बांध परियोजना की ट्रकों, कार एवं जीप की मरम्मत

38--श्री विद्या सागर नौटियाल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में टिहरी बांध परियोजना की गाड़ियां (ट्रकें, जीप कारें आदि) के व्यक्तिगत वर्कशाप में करायी गयीं मरम्मत कार्य के लिए विभाग द्वारा कुल धनराशि का भुगतान किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

विभिन्न स्थानों (टिहरी, पौड़ी, ऋषिकेश, देहरादून, लखनऊ, देहली) पर स्थित टिहरी बांध परियोजना की गाड़ियों (ट्रक, टैंकर, विस्फोटक, वैन, जीप, कार, ट्रैक्टर, स्टेशन वैगन) की प्राइवेट वर्कशाप में कराई गई मरम्मत के लिए वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में क्रमशः लगभग 48,500 रु० तथा 57,500 रु० का भुगतान किया गया जिसमें मरम्मत में काम आये स्पेयर पार्ट्स का मूल्य भी शामिल है ।

सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण

39--श्री बलदेव सिंह आर्य--

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में 15 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों का स्थायीकरण किन कारणों से नहीं हुआ है तथा वर्तमान समय में क्या स्थिति है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नियमित कर्मचारियों का स्थायीकरण स्थायी पद उपलब्ध होने पर उनके व्यक्तिगत अभिलेखों की जांच के उपरान्त ज्येष्ठता के आधार पर किया जाता है ।

विभाग में 15 वर्षों से अधिक कार्यकाल से कार्यरत कतिपय मिनिस्टीरियल कर्मचारियों का स्थायीकरण पर्याप्त स्थायी पद उपलब्ध न होने, कार्यकलाप संतोषजनक न होने तथा कुछ के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित होने के कारण नहीं हो सका है ।

स्थायी पद उपलब्ध होने पर तथा व्यक्तिगत अभिलेखों के आधार पर पात्र कर्मचारियों का स्थायीकरण होता रहता है ।

बंजरहा तथा पनघटिया बांधों की मरम्मत

40—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राप्ती नदी बंजरहा तथा पनघटिया बांधों पर गत पांच वर्षों (1975-76 से 1979-80 तक) तथा वर्ष 1980-81 के 28 जुलाई तक वर्षवार कुल कितना धन मदवार बाढ़ सुरक्षा हेतु व्यय किया गया और कितना धन बाढ़ के बाद वर्षवार इनके मरम्मत पर व्यय किया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बंजरहा तथा पनघटिया बांधों पर वर्ष 75-76 से 79-80 तक तथा 80-81 में 28 जुलाई, 80 तक बाढ़ सुरक्षा पर किये गये व्यय एवं बाढ़ के बाद उनकी मरम्मत पर प्रत्येक वर्ष में नवम्बर से मार्च तक व्यय का विवरण निम्नलिखित है :

वर्ष	सम्पूर्ण वर्ष का बाढ़ सुरक्षा व्यय (रुपयों में)	नवम्बर से मार्च तक मरम्मत पर व्यय (333 सिंचाई नौ परिवहन वाणिज्यिक एम0 एण्ड0 अ0 र0 पर व्यय शीर्षक के अन्तर्गत) (रुपयों म)
	पनघटिया	
1975-76	3,26,215·39	12,215·90
1976-77	12,28,652·99	4,523·00
1977-78	13,14,402·03	55,293·70
1978-79	14,11,903·41	1,349·00
1979-80	15,34,820·44	627·50
1980-81 (28 जुलाई, 80 तक)	3,297·85	शून्य
	बंजरहा	
1975-76	शून्य	शून्य
1976-77	1,62,933·36	शून्य
1977-78	5,26,497·56	शून्य
1978-79	4,70,441·17	शून्य
1979-80	9,74,886·70	शून्य
1980-81 (28 जुलाई, 80 तक)	शून्य	शून्य

गोरखपुर क्षेत्र में परिचालकों की नियुक्ति एवं पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा

41--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्रीमती गौरी देवी--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रीजन में अभी हाल में कितने परिचालकों की नियुक्तियां की गयीं ? नियुक्तियों का आधार क्या था ? क्या पिछड़ी जाति एवं हरिजनों को निर्धारित आरक्षण प्रतिशत को ध्यान में रक्खा गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

गोरखपुर क्षेत्र में वर्ष 1980-81 में चयन के आधार पर 182 अभ्यर्थियों को परिचालक पदों पर अल्पकालिक रिक्तियों में समय समय पर नियुक्तियां की गई । नियुक्तियों में पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को यथा नियम निर्धारित आरक्षण का लाभ मिला । पर अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों का कोटा निर्धारित सीमा तक पूरा नहीं हो सका ।

आजमगढ़ क्षेत्र में बस कन्डक्टरों का चयन

42--श्री झिलमिट राम--

क्या परिवहन मन्त्री बताने का कृपा करेंगे कि फरवरी-मार्च, 1980 में आजमगढ़ रीजन में बस कन्डक्टरों का जो साक्षात्कार के बाद चयन हुआ था और जिनसे एक हजार रुपया प्रति अभ्यर्थी जमानत का जमा कराकर ट्रेनिंग में भेजा गया था, उनमें से कितने अभ्यर्थियों को बस कन्डक्टर के पद पर नियुक्ति कर दी गई और जिन अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण के बाद ड्यूटी पर नहीं लिया गया, उसके ड्यूटी पर न लिए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रतीक्षा सूची के 122 अभ्यर्थियों को समय-समय पर अल्पकालिक रिक्तियों में नियुक्ति दी जाती रही है । प्रतीक्षा सूची केवल एक वर्ष के लिए वैध थी । प्रशिक्षण के उपरान्त 71 अभ्यर्थियों को स्थानाभाव के कारण काम नहीं दिया जा सका । वैसे यह चयन सूची अब रद्द भी कर दी गई है ।

आगरा जिले के ग्राम दूरा के नाले का निर्माण

43--श्री बदन सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि आगरा जनपद के फतेहपुर-सीकरी ब्लाक के ग्राम दूरा का पानी निकालने के लिए एक नाला तत्कालीन सिंचाई मन्त्री ने सन् 1977 में स्वीकृत किया था ? यदि हां, तो वह नाला अभी तक क्यों नहीं खोदा गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह -

जी हां ।

सर्वेक्षण तथा भूमि अधिग्रहण के पश्चात् नाले के निर्माण का कार्य स्थानीय निवासियों के कड़े विरोध तथा न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के कारण स्थगित

करना पड़ा । अगस्त, 1979 में न्यायालय के स्थगन आदेश की समाप्ति पर कार्य पुनः आरम्भ हुआ और पुनः स्थानीय निवासियों के कड़े विरोध के कारण नाले की कुल लम्बाई मील 2–1–0 में से मात्र 7 फर्लांग की लम्बाई में खुदाई की जा सकी है ।

प्रदेश में परिचालकों का चयन एवं प्रतीक्षा सूची

44––श्री दल सिंगार यादव––

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि समस्त उत्तर प्रदेश में 1979 में परिचालक पद हेतु चयन में जो प्रतीक्षा सूची बनी, क्या वह निरस्त की जा रही है ? यदि हां, तो प्रतीक्षा सूची की घोषणा के पश्चात् जिन अभ्यर्थियों ने विभाग में नियमानुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रतिभूति की धनराशि जमा की है ? उन्हें सेवा में लाने के सम्बन्ध में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जी हां ।

प्रश्नगत सूची तारीख 15–7–1980 के प्रधान प्रबन्धक के आदेश से निरस्त कर दी गई है । प्रतिभूति जमा करने वाले उम्मीदवारों को निगम सेवा में लेने के लिए बाध्य नहीं है ।

45––श्रीमती गौरी देवी––

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

गोरखपुर जिले में हरिजन उत्पीड़न कोष से धनराशि का आबंटन

46––श्रीमती गौरी देवी––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले को वर्ष 78 व 79 में कितनी धनराशि हरिजन उत्पीड़न कोष में दी गयी थी ? और किन–किन गांवों में किन–किन उत्पीड़न हरिजनों ने सहायता के लिए आवेदन किया था ? क्या उत्पीड़ित हरिजनों को 20 जुलाई, 1980 तक सहायता दी गई ? यदि हां, तो अब तक श्री जुलेवा देवी, ग्राम तोहरापार, गुनई ग्राम, खेडाडीह, श्याम लाल, ग्राम कलानी, थाना गंगहा, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर को वर्ष 1978 के उत्पीड़ित हरिजनों को सहायता न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री छेदा लाल चौधरी––

गोरखपुर जिले को वर्ष 78–79 में उत्पीड़न कोष से रु0 33,000 की धनराशि दी गई थी । जिन गांवों के जिन उत्पीड़ित हरिजनों ने सहायता के लिए आवेदन किया था उसका विवरण संलग्न है । 20 जुलाई, 1980 तक केवल दो हरिजनों को रु0 5000 प्रत्येक को सहायता दी गई । शेष मामलों में, जिनमें प्रश्न में उल्लिखित व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, सहायता दिए जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 302 पर)

बांदा जिले के गंगऊ बांध पर रेंजिग गंगऊ बांध का प्रस्ताव

47--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में केन नदी पर बने हुए गंगऊ बांध पर रेंजिग गंगऊ बांध निर्माण की संस्तुति रिपोर्ट शासन को सिंचाई विभाग, बांदा ने प्रेषित कर दी है ? यदि हां, तो शासन उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

रेंजिग गंगऊ बांध की परियोजना अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

रेंजिग गंगऊ बांध परियोजना के लिए अभी सर्वेक्षण कार्य किए जा रहे हैं । सर्वेक्षण पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की साध्यता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

टिहरी बांध की सुरंग में शार्ट कीड करने पर व्यय की गयी धनराशि

*48--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी बांध की बाई व्यावर्तन सुरंग के आउटलेट के क्षेत्र में शार्ट कीड करने पर कुल कितना व्यय किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इस कार्य पर अगस्त, 1980 तक, 7,30,050 रु0 व्यय हुआ है ।

श्री कैलाश शंकर दीक्षित, अधिशासी अभियन्ता, गंगा नहर, फतेहपुर का ट्रान्सफर

*49--श्री खान गुफरान जाहिदी--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि फतेहपुर प्रखन्ड निचली गंगा नहर, फतेहपुर के अधिशासी अभियन्ता (श्री कैलाश शंकर दीक्षित) ने ट्रान्सफर सम्बन्धी आदेश पत्र संख्या सी-379-ई-1/ख/1/171/विविध-80, दिनांक 18 जून व अ0शा0 पत्रांक सी-432-ई0-1/171/विविध-80, दिनांक 18 जुलाई की अवहेलना की है ? यदि हां, तो अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अधिशासी अभियन्ता द्वारा आदेशों की अवहेलना नहीं की गई है । अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

मैनपुरी जिले के नलकूपों के ट्रान्सफार्मरों की चोरी

50--श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे की मैनपुरी जनपद में वर्ष 1977 के बाद जनवरी, 1980 तक कितने सरकारी नलकूपों के ट्रान्सफार्मरों की चोरी हुई ? फरवरी, 1980 को कितने नलकूप ट्रान्सफार्मरों की चोरी के कारण बन्द थे ? क्या अब उन पर ट्रान्सफार्मर लगा दिए गए हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैनपुरी जनपद में वर्ष (जनवरी) 1977 से जनवरी, 80 तक 37 सरकारी नलकूपों के ट्रान्सफार्मरों की चोरी हुई। फरवरी, 80 में केवल दो नलकूप ट्रान्सफार्मर की चोरी के कारण बन्द थे, जिन पर फरवरी, 80 में ही ट्रान्सफार्मर लगा दिए गए हैं।

बस्ती जिले के ग्राम अकबरपुर एगडिगवां में राप्ती नदी से कटाव

51--श्री मता प्रसाद पान्डेय--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत ग्राम अकबरपुर के एगडिगवां पल्टी, मिजपिुर, कटया आदि गांवों में राप्ती नदी के कटान से इस वर्ष सैकड़ों घर धारा में विलीन हो गए? क्या यह सही है कि सरकार ने इन गांवों को कटान से बचाने के लिए कुछ धनराशि स्वीकृत की है? यदि हां, तो उस पर कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायगा?।

श्री वीर बहादुर सिंह--

बस्ती जनपद के डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत इस वर्ष 1980 की बाढ़ में ग्राम अकबरपुर में 6 कच्चे घर पूर्ण रूप से और 2 घर आंशिक रूप से व ग्राम एगडिगवां में 2 घर आंशिक रूप से नदी की कटान से प्रभावित हुए हैं। ग्राम पल्टी, मिजपिुर कटया आदि ग्रामों में 1980 की बाढ़ में राप्ती से कोई घर कटान से प्रभावित नहीं हुआ है।

इन ग्रामों से बचाव हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है। ग्राम एगडिगवां की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक योजना बनाई जा रही है। योजना तकनीकी सलाहकार समिति से स्वीकृत हो जाने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। ग्राम अकबरपुर के लिए कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

गोरखपुर क्षेत्र, परिवहन निगम में क्लर्क के रिक्त पद

52--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि परिवहन विभाग, गोरखपुर क्षेत्र में वर्ष 1975-76, 1976-77, 1977-78 में क्लर्क जनरल पद के लिए सैकड़ों नवयुवक परिवहन विभाग से एक वर्ष का अप्रेन्टिस करके बेकार बैठे हैं? यदि हां, तो गोरखपुर रीजन में क्लर्कों की जगह खाली है और उन पर परिचालक कार्य कर रहे हैं? क्या सरकार उन सभी जगहों पर अप्रेन्टिसों की नियुक्ति करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

गोरखपुर क्षेत्र में इस समय क्लर्क का कोई पद रिक्त नहीं है। अतएव नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

तहसील आगरा, जिला आगरा में नलकूप का छिद्रण

53—श्री विजय सिंह राणा—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में आगरा तहसील के अन्तर्गत कितने नलकूप बनाये जा रहे हैं ? और उनके कब तक पूरा होने की आशा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आगरा जनपद की तहसील आगरा के अन्तर्गत दो नलकूप बनाये जा रहे हैं, उनका छिद्रण हो चुका है और मार्च, 1981 तक पूरा होने की आशा है ।

विकास क्षेत्र फूलपुर एवं मार्टीनगंज, जिला आजमगढ़ में नलकूप का छिद्रण

54—श्री लालसा—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़, विकास खण्ड फूलपुर तथा मार्टीनगंज के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 तक कुल कितने राजकीय नलकूप किन-किन गांवों में लगाये गये तथा उसमें कितने नलकूप ऐसे हैं जो बिगड़ी हुई हालत में है जिससे सिचाई के साधन के अभाव में किसानों को भारी क्षति हो रही है ? क्या यह भी सही है कि उक्त विकास खण्ड फूलपुर के अन्तर्गत ग्राम पल्थी में एक राजकीय नलकूप बोरिंग कराकर अधूरा छोड़ दिया गया है, जो अभी आज तक पूरा नहीं हो सका ? यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1979-80 तक जिला आजमगढ़ के विकास खण्ड फूलपुर में दो राजकीय नलकूप एक ग्राम गद्दोपुर एवं एक ग्राम पल्थी में छिद्रित किये गये । विकास खण्ड मार्टीनगंज में तीन नलकूप ग्राम कुम्भेचक, बन गांव एवं दुबरा में छिद्रित किये गये । ग्राम पल्थी में छिद्रित नलकूप के अलावा अभी नलकूप चलित अवस्था में है और सिचाई कर रहे हैं ।

ग्राम पल्थी में नलकूप का छिद्रण वर्ष 1974 में 1400 फुट की गहराई तक किया गया इसका विकासन कार्य माह 9/74 एवं 5/76 में किया गया किन्तु निकास अत्यधिक कम होने के कारण इसे असफल घोषित कर दिया गया ।

एटा जिले के ग्राम परौली सुहागपुर एवं नगला मोहन मजरा धुमरो के नालों का सर्वेक्षण

55—श्री लटूरी सिंह—

क्या सिचाई मन्त्री जनपद एटा की तहसील अलीगंज, ग्राम परौली-सुहागपुर की ओर का नाला गांव के जनहित में खुदवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत नाला खुदवाये जाने के सम्बन्ध में अभी सर्वेक्षण कराया जा रहा है । सर्वेक्षण होने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

56–श्री लटूरी सिंह––

क्या सिंचाई मन्त्री तहसील अलीगंज, जिला एटा के ग्राम नगला मोहन मजरा घूमरी का नाला खुदवाने की जनहित में कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जनपद एटा की तहसील अलीगंज के ग्राम नगला मोहन मजरा घुमरी का नाला निकालने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराया जा रहा है । सर्वेक्षण होने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

गाजीपुर जिले के ग्राम गहमर की हरिनाथपुर माइनर

57–श्री रामहर्ष राय तथा श्री केदार नाथ सिंह––

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के जमानियां तहसील में ग्राम गहमर के हरिनाथपुर माइनर में पहले लिफ्ट कैनाल बनायी गयी और वह चली भी परन्तु बाद में वह पम्प हटा दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

गाजीपुर जनपद में जमानियां तहसील में ग्राम गहमर के हरनाथपुर माइनर में पहिले 2.5 क्यूसेक पानी डीजल पम्पों द्वारा कर्मनाशा नदी से डाला जाता था, जो कि हरनाथपुर माईनर में जमानियां पम्प नहर का पानी उपलब्ध होने के पश्चात् हटा लिये गये ।

गाजीपुर जिले के सायर पम्प नहर

58–श्री राम हर्ष राय तथा श्री केदार नाथ सिंह––

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के जमानियां तहसील के सायर पम्प कैनाल की क्षमता बढ़ाने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

गाजीपुर जनपद के जमानियां तहसील में सायर पम्प नहर की क्षमता वृद्धि की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

गाजीपुर जिले की चक्का बांध पम्प कैनाल

59–श्री राम हर्ष राय तथा श्री केदार नाथ सिंह––

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979–80 में चक्का बांध पम्प कैनाल को और अधिक चौड़ा करने हेतु कितनी धनराशि शासन से स्वीकृत की गयी थी ? क्या उक्त धनराशि का उपयोग उचित रूप से हुआ ? यदि हां, तो यह चौड़ाई कितनी बढ़ाई गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

वित्तीय वर्ष 1979–80 में चक्का बांध पम्प कैनाल (जमानियां पम्प कैनाल) को अधिक चौड़ा करने हेतु अलग से कोई धनराशि शासन से स्वीकृत नहीं की गई थी । मुख्य नहर की चौड़ाई बढ़ाने हेतु कोई कार्य/व्यय 1979–80 में नहीं किया गया ।

शाहजहांपुर जिले के जूनियर इंजीनियर, नलकूप खण्ड के विरुद्ध चोरी की रिपोर्ट

60--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड ने वर्ष 1978 में किसी जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध सेन्ट्रल स्टोर से सामान चोरी कर लेने व बदलने के विषय में कोई रिपोर्ट अधीक्षण अभियन्ता बरेली को की थी ? यदि हां, तो कितनी कीमत व किस प्रकार के घोटाले का मामला है ? तथा इस घोटाले के विषय में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो यह देरी क्यों की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

अभिलेखों की छानबीन के पश्चात् यह कमी निम्नरूप में प्रकाश में आई--

		रु0
1---मूल भण्डार के स्थान पर इस्तेमाल शुदा व पुराना सामान का पाया जाना	..	32,180.00
2---भण्डार में अन्य सामान का कमी	..	4,30,438.56
कुल योग	..	4,62,618.56

इस विषय पर सम्बन्धित अवर अभियन्ता को निलम्बित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

बाराबंकी जिले के दशमोत्तर कक्षाओं के पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति

61--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए शैक्षिक सत्र 1978-79 तथा 1979-80 में अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

बाराबंकी जनपद के दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु शैक्षिक सत्र 1978-79 में 13.00 लाख रु0 (रुपये तेरह लाख) तथा वर्ष 1979-80 में 13.325 लाख रु0 (तेरह लाख बत्तीस हजार पांच सौ मात्र रुपया) की धनराशियां आवंटित की गयी हैं ।

हलधर मऊ विकास खण्ड, जिला गोंडा के बाढ़ग्रस्त गांव

62---श्री मुरलीधर मुनीम---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हलधरमऊ, ब्लाक (गोंडा) में चलते गांव बाढ़ से क्षतिग्रस्त हैं और क्या सरजू नदी मलौना घाट से करनैलगंज तक पट गयी है उसके जल के निकासी के लिए क्या प्रबन्ध करने का प्रस्ताव है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हलधरमऊ विकास खंड गोंडा के 24 ग्राम बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वर्षा ऋतु के प्रारम्भ में नदियों में रेत और सिल्ट जमा हो जाना और बाढ़ में अधिक प्रवाह तथा स्वच्छ जल आने पर वह एक सामान्य प्रक्रिया है। सरजू नदी के बहाव में कोई विशिष्ट अवरोध नहीं है। अतः जल निकासी के प्रबन्ध का प्रश्न नहीं उठता है।

शारदा सहायक खण्ड, लखनऊ के अवर अभियन्ता, श्री विष्णु दयाल रायजादा का बकाया वेतन एवं ग्रेच्युटी

63—श्री शंकर सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड, अष्टम सिंचाई कार्य मण्डल दशम, लखनऊ 7-5-75 को अवकाश प्राप्त अवर अभियन्ता (विष्णु दयाल, रायजादा) को जमानत की रकम, अनिवर्तित वेतन तथा यात्रा भत्ता का भुगतान (1) सिंचाई खंड बलिया, (2) बेतवा नहर खंड झांसी, (3) बेतवा नहर, उरई, (4) मोंठ ब्रांच गंगा नहर खंड मथुरा तथा नये वेतनमान में निर्धारण की बकाया धनराशि तथा पेन्शन/ग्रेच्युटी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत अवर अभियन्ता (श्री विष्णु दयाल रायजादा) को निम्नलिखित खण्डों से जमानत की रकम, अनिवर्तित वेतन तथा यात्रा भत्ता का भुगतान शेष नहीं है:—

(1) सिंचाई खंड, बलिया,

(2) बेतवा नहर खंड, झांसी,

(3) बेतवा नहर खंड, उरई।

श्री रायजादा को मोंठ, ब्रान्च गंगा नहर खंड मथुरा में यात्रा भत्तों की धनराशि 285.95 रु0 देय है जिसका बिल प्रीआडिट हेतु महालेखाकार को भेजा गया है।

नये वेतनमान में निर्धारण की बकाया धनराशि के बिल भी महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रीआडिट के लिए भेजे जा चुके हैं। ग्रेच्युटी की स्वीकृति तथा भुगतान "नो ड्यूज नो इन्क्वायरी" प्रमाण पत्र सिंचाई खंड, फैजाबाद तथा मोंठ ब्रांच खंड, गंगा नहर, मथुरा से प्राप्त न होने के कारण नहीं किया जा सका है।

जनपद चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल के शिक्षा विभाग के अधिकारियों का स्थानान्तरण किये जाने से असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(अपराह्न 12 बज कर 20 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत 13 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं जिनमें 5 सूचनायें स्वीकृत हुई, शेष सभी अस्वीकृत हुई।

*श्री नारेन्द्र सिंह भंडारी--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित सूचना देना चाहता हूं कि :--

अभी हाल में शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश (माध्यमिक) ने अपने पत्र संख्या नियुक्ति (राज0) (114) 23-2 (1)/80-81, दिनांक 15-9-80 के द्वारा जनपद चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल के शिक्षा विभाग के अधिकारियों का स्थानान्तरण भारी पैमाने पर शिक्षा सत्र के मध्य में बिना किसी मापदंड के सुनियोजित ढंग से उन्हें जानबूझ कर भयभीत एवं उत्पीड़ित करने की नीयत से किया है तथा उनकी सत्यनिष्ठा पर शक किया जा रहा है, जिससे उनका मनोबल गिर रहा है। यह उत्पीड़न राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और जो इन जनपदों में सदियों से एक सौहार्द तथा शान्तिपूर्ण वातावरण बना हुआ है उसमें कटुता की भावना को बलवती किया जा रहा है। आज जब साम्प्रदायिक सद्भावना की अत्यन्त आवश्यकता है वहां इन जनपदों में एक जाति विशेष के अधिकारियों को शिक्षा विभाग की ओर से तंग किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की यह विवेकहीन नीति इन जनपदों को जानबूझ कर विनाश की ओर ढकेल रही है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त शासन के अन्य विभागों में भी यही नीति अपनाई जा रही है।

अतः शिक्षा विभाग व अन्य विभागों के गलत एवं मनमाने कृत्यों पर अंकुश रखने हेतु मैं इस अत्यन्त महत्वपूर्ण अविलम्बनीय विषय की ओर माननीय सदन द्वारा शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और शासन से अनुरोध करता हूं कि इन सभी स्थानान्तरणों को तुरन्त निरस्त कर दिया जाय।

इलाहाबाद शहर में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम पटेल--

मान्यवर, आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित तथ्यों को माननीय सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्रीमन्, शहर इलाहाबाद में विगत जल भराव से अत्यधिक पीड़ित एवं क्षतिग्रस्त मुहल्ले--बाघम्बरी गद्दी, किदवई नगर, दलेल का पूरा, नया पूरा, रामानन्द नगर, पुराना अल्लापुर, ढ़ढ़िया, सर्वोदय नगर, सोहबतिया बाग, आज भी गमनागमन योग्य एवं रहने लायक स्थिति में नहीं है। सड़कों एवं गलियों की नालियों, कीचड़ एवं मलवे के भराव से बन्द होने के कारण, गन्दा पानी सड़कों पर फैल कर सड़ रहा है। कोई सफाई कर्मचारी व अधिकारी देखने वाला नहीं है। गंदगी का सर्वत्र साम्राज्य व्याप्त है। किसी प्रकार की दवाओं का छिड़काव नहीं किया गया जिससे मच्छरों एवं मक्खियों ने नींद हराम कर दी है। संक्रामक रोग फैलने की सम्भावना हो गई है रोड लाइट एवं स्ट्रीट लाइट का कोई यथोचित प्रबन्ध नहीं है। श्रीमन् इतना ही नहीं शासन द्वारा जो भी सहायता क्षतिग्रस्त एवं पीड़ित गरीब हरिजन, मजदूरों एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई, कागज में बांटी गई है या चन्द प्रभावशाली लोगों तक ही सीमित रही। स्थानीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मनमानी उदासीनता एवं अकर्मण्यता से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इलाहाबाद शहर में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

उपरोक्त मुहल्लों की स्थिति आज भी बदतर बनी हुई है। कोई कर्मचारी व अधिकारी उपरोक्त मुहल्लों की शिकायतें सुनने व समाधान करने को तैयार नहीं है। लोग निराशा, क्षोभ एवं घुटन महसूस कर रहे हैं।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि स्थानीय अधिकारियों को उपरोक्त मुहल्लों की सफाई आदि व्यवस्था को दुरुस्त करने के सख्त आदेश दिये जायें और सम्पूर्ण बातों की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय जिससे लाखों लाख पीड़ित एवं निःसहाय व्यक्तियों का कल्याण हो सके।

गोरखपुर के विकास खन्ड खजनी व पिपरौली बाजार में चक्रवात से क्षति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, गोरखपुर जिले के विकास खन्ड खजनी व पिपरौली बाजार में गत माह सितम्बर के तीसरे सप्ताह में चक्रवात आ जाने के कारण अनेक गांवों में व्यापक क्षति हुई है। इन गांवों के सैकड़ों मकानों की दीवारें गिर गई तथा छतें उड़ गई हैं। अनेक पशुओं के मरने की सूचना है। लाखों रुपये की क्षति हुई है। लोगों के आवास एवं भोजन की गम्भीर समस्या है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से यह मांग करता हूं कि शीघ्र प्रभावी कदम उठावें तथा राहत व सहायता प्रदान करें।

विधायक निवास ब्लाक ए0, बी0 तथा सी0 में बिजली की आपूर्ति ठीक न होने की शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उबल—

श्रीमन्, दारुलशफा (विधायक निवास) ए0, बी0 तथा सी0 में पूरे सितम्बर माह में बिजली की आपूर्ति ठीक नहीं थी। कई दिन 3, 3 घंटे बिजली गायब थी दिनांक 29-9-80 को रात को 11 बजे से बोल्टेज डाउन हो जाने से न तो रोशनी ही रही और न पंखे ही चले। यह क्रम दिनांक 30-9-80 को 9 बजे तक तथा उसके बाद तक रहा। बोल्टेज डाउन होने तथा बिजली एक दम न मिलने से विधायक निवासों में पानी नहीं मिल पाता। रोजाना सुबह 6 बजे के आस-पास पानी का आना बन्द हो जाता है। इसकी वजह से विधायकों को महान कष्ट हो रहा है। पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है।

इसके अलावा विधायक निवासों में ऊपर के कमरे इस वर्ष की वर्षा में सीलन से सभी दीवालों में पानी आ गया है और पानी कमरों के अन्दर बहने लगा। पंखों में पानी आ गया और बिजली नीचे उतर गयी है। राज्य संपत्ति विभाग सब कार्यों की देखरेख करता है। इसका कार्य बहुत ही असंतोषजनक है। लाइट ज्यादातर खराब रहती है रिपोर्ट करने पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्रीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल—]

इसलिए इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए विधायक निवास की सभी शिकायतों को दूर करने, बिजली पानी की व्यवस्था करने एवं जो लोग, इसके लिए जिम्मेदार हों, उन्हें दंडित करने की मांग करता हूं।

थाना निगोहां, जिला शाहजहांपुर में पुलिस की पिटाई से एक हरिजन महिला की मृत्यु के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्यपाल सिंह यादव—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत निम्न लोमहर्षक घटना की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दिनांक 24 सितम्बर सन् 1980 को थाना निगोहा, जिला शाहजहांपुर के छोटे दरोगा अपने कुछ सिपाहियों के साथ ग्राम खेड़ा सेंडा गये वहां के एक हरिजन व्यक्ति पातीराम को पकड़ कर थाने लाये तथा निर्ममता से पिटाई की। चोरी के कथित आरोप में छोड़ देने के लिए उससे एक हजार रुपये की रकम तय की। यह रकम प्राप्त करने के लिए पुलिस मय मुल्जिम उसके घर गयी तथा उपरोक्त रकम देने के लिए मजबूर किया। गरीब परिवार के पास इतनी रकम नहीं थी और न दे सकते थे पर पुलिस फिर उस गरीब हरिजन को पीटने लगी। कथित मुल्जिम की विधवा मां श्रीमती रानी अपने पिटते पुत्र को बचाने दौड़ी उसे भी पुलिस वालों ने धक्का देकर लात घूसों से पीटा जिसके परिणामस्वरूप श्रीमती रानी तत्काल ही मौके पर मर गयी। पुलिस ने पातीराम को मौके पर छोड़ दिया और डाक्टर व गवाहान पर खिलाफ रिपोर्ट बनाने के लिए दबाव डालने लगे। इस घटना से क्षेत्र में सारे हरिजनों व जनता पर पुलिस का भय व आतंक एवं असंतोष व्याप्त है। सम्बन्धित पुलिस के इस कुकृत्य के लिए उन्हें निलम्बित तक नहीं किया गया है।

अतएव आपके माध्यम से इस घटना में जिसमें एक हरिजन महिला का कत्ल तथा पिटाई हुई है, सख्त एवं शीघ्र कार्यवाही करने के लिए शासन से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं। आशा है कि आप इस पर तुरन्त आवश्यक कदम उठाने व कार्यवाही करने की व्यवस्था करायेंगे।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपने दिनांक 30 सितम्बर, 1980 की बैठक में सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित संस्तुतियां की हैं :—

(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार एवं उसके पारण हेतु प्रस्ताव दिनांक 6 अक्तूबर, 1980 को अपराह्न 5 बजे के पश्चात् लिए जायं—एक घंटा।

(2) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार एवं उसके पारण हेतु प्रस्ताव दिनांक 8 अक्तूबर, 1980 को उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक के पारण के उपरान्त लिए जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुछ माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है कि सदन के कुछ हिस्से में शोर ज्यादा हो रहा है । अतः कृपया शांत रहें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

श्रीमन्, म यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सद : कार्य मंत्रणा समिति द्वारा दी गई सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गई है, सहमत हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा दी गई, सहमत हैं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत कुल तीन सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, जिसमें से एक सूचना श्री हरवंश सहाय की जो गोरखपुर मंडल के जिला देवरिया, गोरखपुर, बस्ती एवं आजमगढ़ में इन्सेफलाइटिस बीमारी से कई व्यक्तियों की मृत्यु होने के सम्बन्ध में थी । चूंकि यह मसला कल ही नियम 301 में लिया जा चुका है, इसलिए इसे अस्वीकार किया गया है । दूसरी सूचना श्री सूबेदार सिंह की, दिनांक 1-10-80 को समाचार पत्रों के प्रकाशित न होने के सम्बन्ध में थी । चूंकि दिनांक 6 व 7 को सूचना विभाग की अनुदानों पर चर्चा है, उसमें यह आ जाएगा । इसलिए इसको अस्वीकार किया गया है । तीसरी सूचना, श्री गोपीनाथ वर्मा का, विधान भवन के सामने सीनियर बेसिक शिक्षक संघ द्वारा क्रमिक अनशन किये जाने के सम्बन्ध में था । चूंकि अनशनों पर चर्चा करने के लिए कार्य-स्थगन प्रस्ताव नियमतः नहीं लाया जा सकता, इसलिए इसको भी अस्वीकार किया गया ।

श्री सूबदार सिंह--

मैं इसके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहता था··

श्री उपाध्यक्ष--

यह कार्य तो हो गया है, आप बैठिए ।

श्री सूबेदार सिंह--

मैं एक व्यवस्था चाहता हूं, वह यह है कि एक लम्बे अर्से से यह महसूस किया जा रहा है कि जब भी कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो उसका स्वीकृति नहीं हो पाती । इसके कारण से वह नियम बिल्कुल निष्प्रभावी हो जाता है । अतः जब उसका प्रयोग नहीं होता, तो उसके रखने से क्या लाभ ? यह उस हथियार की तरह है, जिसके प्रयोग न होने से उसमें जंग या काई लग जाती है और वह गोठिल और बेकार हो जाता है । उसी तरह से प्रदेश में कैसा भी स्थिति पैदा हो, कार्य-स्थगन प्रस्ताव का उसके सम्बन्ध में मंजूर नहीं किया जाता है । मैं यह निवेदन या अपेक्षा करता हूं कि जिसका अनुपालन नहीं हो रहा है, उसको रखने से फायदा क्या है ? अच्छा है, उसको निकाल दिया जाए, ताकि हम

[श्री सूबेदार सिंह—]

आश्वस्त रहें कि हमें ऐसा कोई अधिकार नहीं है । अभी हम सोचते हैं कि यह हमारा अधिकार है और उसके सफल न होने से हमें भारी दुःख होता है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

समाम अस्त्र–शस्त्रों के साथ इन्द्र जी के पास एक अस्त्र अमोघ–अस्त्र, अमोघ–वज्र भी है । जिसका प्रयोग उन्होंने सामान्यतः बहुत ही कम किया है । किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि उनके वज्र में काई लग गई है, यद्यपि वज्र का सामान्यतः प्रयोग नहीं होता है । कार्य स्थगन प्रस्ताव उन्हीं विषयों पर स्वीकार होते हैं जहां सरकारी नीति की असफलता हो । जब वह नियमो में नहीं आता है तो आपके प्रस्ताव का सारांश पढ़ दिया गया। इसका मतलब है कि उस पर शासन का ध्यानाकर्षण हो गया है । यह बड़ा महत्वपूर्ण नियम है और आपके पास बड़ा मजबूत हथियार है, इसकी समाप्ति से आपका हाथ कमजोर हो जाएगा । यह आपके हित में नहीं होगा कि इसको समाप्त कर दिया जाय ।

श्री जयदीप सिंह—

माननीय, मैंने भी एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी थी ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो सूचना दी है उसे नियमों के अन्तर्गत शासन को स्पष्टीकरण हेतु भेज दिया गया है ।

1980–81 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या—44 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) एवं अनुदान संख्या 45—श्रम विभाग (सेवायोजन)

(अपराह्न 12 बजकर 35 मिनट)

श्रम मन्त्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से एवं माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,58,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से एवं माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,75,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, अनुदान संख्या 44 और 45 के अन्तर्गत मांगों को प्रस्तुत करते हुए मुझे यह कहना है कि सब कहते हैं और जानते हैं कि यह देश आर्थिक रूप से दीन है । सभी लोग यह भी जानते हैं कि देश के वैन्य को दूर करने की यदि किसी में

शक्ति है तो वह मजदूरों के उन हाथों में है। विभागों में चाहे जितनी क्रान्तियां उत्पन्न हों लेकिन जब तक वे लोग अपने हाथों से उन्हें मूर्त रूप नहीं देते हैं तब वे क्रान्तियां प्रभावकारी नहीं होती हम संसद में और विधान सभाओं में यदि केवल चर्चा करें। संसद साहित्य में चाहे जितनी ऊंची बातों का समावेश कर दें हम देश को प्रगति के पथ पर आरूढ़ नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य श्रेय चाहता है। क्या श्रेय की अभिलाषा क्या बिना श्रम के सम्भव है? क्या बिना श्रम के भी जिसकी हम अभिलाषा और उपासना करते हैं, पा सकते हैं? श्रेय और श्री बिना श्रम के नहीं मिलने वाली है। वह चर्चा और परिचर्चा से नहीं मिलने वाली है, मजदूरों के श्रम से ही मिलने वाली है। सेठ लोग भले ही अपने को श्रेष्ठ समझें लेकिन श्रेष्ठ वही है जो श्रम करे। समाज का यह रचनात्मक उत्पादक तत्व परिवर्तन को मूर्त रूप देते हैं और सरकार बनाते हैं। मैं चाहता हूं उनके लिए एक रुपये की कटौती के बजाय एक रुपये की वृद्धि कर आलोचना करते तो ज्यादा शोभा देता। मैं यह चाहता हूं कि आप इस बात को ध्यान में रखें कि जो भी प्रयोग हमारे दीन देश के उन्नयन के लिए हों, उनमें मजदूरों की मनसा में व्याप्त वर्ग संघर्ष की भावना का उच्चाटन करने तथा उसके स्थान पर सहयोग की भावना पैदा करने और उनमें सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति हो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उस ओर नहीं जा सकेंगे, जिस ओर जाना चाहते हैं।

हम चाहते हैं कि सदन के माननीय सदस्य कम से कम इस बात को मान कर चलें कि आर्थिक क्रांन्ति इस देश में मालिकों और मजदूरों के सहयोग से ही आ सकती है। ये दोनों इस देश की प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए अपने को राष्ट्रीय रथ के चक्र समझें। उस रथ की सारथी यहां की जनता बने। इसलिये कैसे पूंजी तथा श्रम मिल कर काम करे, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की मन्त्रि परिषद् ने 18 अगस्त को प्रदेश सरकार के 200 से अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में मजदूर द्वारा चुने हुये एक डाइरेक्टर को स्थान देने का निश्चय किया यह इस प्रदेश में एक नये प्रयोग का प्रारम्भ है। यदि यह प्रयोग आपके सहयोग से सफल हुआ तो हो सकता कि प्रदेश, उन सभी संस्थानों में जहां पर प्रयोग होने वाला है भविष्य पूर्णतया मजदूरों का शासन देखें और "कारखाना मजदूरों का है" की उक्ति चरितार्थ हो उठे। प्रदेश के सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मजदूरों का प्रतिनिधि निर्वाचित होगा। आप यह न समझिये कि यह श्रमिक डायरेक्टर जो बनने वाला है वह एक अलग चीज है भागीदारी की प्रथा की योजना औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सम्पन्न होने वाली औद्योगिक प्रक्रिया में हर स्तर के लिए सुनिश्चित हो चुका है मजदूर और मालिक मिल कर काम करें हम यह चाहते हैं यही राष्ट्र की आवश्यकता है। हमारा प्रयास है कि हर कारखाने में शाप काउन्सिल तथा ज्वाइन्ट मैनेजमेंट काउन्सिल हो। प्रदेश की सरकार के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नीव से लेकर शिखर तक प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग होने जा रही है। श्रमिक वर्ग जिन प्रतिनिधियों को चुनेगा उन्हें अपनी परम्परागत-योजना तथा आन्दोलन से भिन्न प्रबन्ध तथा शासन की भूमिका निभानी होगी। यह कार्य सरल नहीं है। उसकी सिद्धि के लिए शिक्षा ही एक माध्यम है। किस प्रकार की शिक्षा किस प्रकार के संस्थान में दी जाये इसका निश्चय करने के लिए शासन की एस्तोगी समिति पूरी तरह संलग्न है। चुनाव के नियम बन रहे हैं, चुनाव की व्यवस्था की जा रही है पंडित जवाहर लाल नेहरू के जन्म दिन तक, हमें आशा है, हम उसे सही रूप दे सकेंगे। उस योजना को साकार कर सकेंगे, शिक्षा के माध्यम से हमें

[श्री जगदीशचन्द्र दीक्षित—]

श्रमिकों के अन्दर एक नयी स्फूर्ति लाने की चेष्टा करनी होगी और औद्योगिक जगत में ऐसी स्थिति लानी होगी जिससे यह लाक आउट तथा हड़ताल जैसी चीज ही न रह जाये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस सब कार्य के लिए वे मजदूर जो इस कार्य में सहयोग करने जा रहे हैं इस सदन के बधाई के पात्र हैं।

शक्कर उद्योग के मजदूरी की इस दिशा में हाल का पथ प्रदर्शन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया है। वह उद्योग भी अन्य उद्योगों की तरह प्रतिद्वन्दी संगठनों की बाहुलता से संत्रप्त है। किन्तु शक्कर मजदूरों के दो,च काम करने वाले क्या आई० एन० टी० यू० सी० हो, क्या ए० आई० टी० यू० हो क्या एच० एम० एस० सी०आई०टी०यू० क्या बी० एम० एस० हो, सभी ने मालिकों के प्रतिनिधियों के साथ शक्कर उद्योग को आर्थिक रूप से रुग्ण तथा दुर्बल इकाइयों को स्वस्थ बनने का यत्न प्रारम्भ कर दिया है। शीघ्र ही इन्जीनियरिंग उद्योग के मजदूर यह कार्य करने वाले हैं। हमारे प्रदेश के मजदूर नेताओं ने बड़े साहस से ऐसा कार्य कर बड़े साहस का परिचय दिया है। शक्कर उद्योग के मजदूर नेताओं ने इस बात को भी सिद्ध कर दिया है कि भले ही मजदूर बटा हो, लेकिन जब कभी राष्ट्रीय हित का प्रश्न आयेगा, तो सभी मिल कर उसके लिये कदम बढ़ायेंगे। शक्कर मजदूर नेताओं ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है और इंजीनियरिंग के मजदूर नेता उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह समाज की श्लाघा का पात्र है। श्रीमन् मुझे इस सम्बन्ध में यह कहना है कि हम केवल प्रबन्ध में तथा श्रम के सामन्जस्य से संतुष्ट नहीं हैं, हमारे बीच इस बात का भी चिन्तन चल रहा है कि बहुत से मजदूरों की बहुत सी कन्ज्यूमर कोआपरेटिव सोसायटीज जो हैं, हमारा यह प्रयास है कि उन सभी को हम भी कोआर्डिनेट कर दें। उनको इस तरह एक अलग एपेक्स बन सकता है। उनकी कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की तरह कोआर्डिनेट की की जाय। हो सकता है कि उनके कोआर्डिनेशन से एक बैंक का रूप दिखाई देने लगे जैसा जापान में है हो सकता है इससे वितरण प्रणाली को एक सुन्दर यंत्र भी मिल जाय। श्रीमन्, यह बातें मैंने इसलिए कहीं कि यह बुनियादी बात को हम पूरा कर सकें बुनियादी बात यह है कि मौजूदा वातावरण में, उसमें क्रांति लाकर हमें नये आदर्शों को प्रस्तुत करना है। हमारे बीस सूत्रीय कार्यक्रम में श्रमिकों की जिन समस्याओं का उल्लेख है, उनकी पूर्ति भी होनी है। साथ ही उनमें जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा अपरेंटिश–शिप स्कीम का है उसको सार्थक बनाने के हम प्रयास पूरी तरह करने जा रहे हैं। हाल ही में हमने निर्णय लिया है कि श्रम सचिव स्वयं, सेवा योजन के डायरेक्टर स्वयं डिविजन मुख्यालयों में जाने वाले हैं। जहां पर वह कमिश्नरों और कलक्टरों के साथ बैठ कर ये देखेंगे कि क्या उसमें दोष रह गये हैं और बहुत सी बातें जो दोषपूर्ण हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है।

इस गरीब देश की पूंजी श्रम है। इस मुल्क में जहां इतनी बेरोजगारी है, अगर कोई धन है, तो वह धन जन है। उसको कैसे हयूमन कैपिटल में कन्वर्ट किया जाय, इसका प्रयास चल रहा था, वह चलाया जायेगा और तेजी से चलाया जायेगा। आदमी को हयूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके अन्दर स्वावलम्बी होने की भावना (स्प्रिट) पैदा की जाय। इस काम में लगातार हमारी गवर्नमेंट लगी रही। हमारे शैक्षिक संस्थान इस बात का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 2–3 महीने से हमारी सरकार आई है, मानवीय पूंजी को सुचारु रूप से ऐसा यंत्र बनायेगी जिससे इस प्रदेश में हयूमन कैपिटल का अभाव समाप्त हो जाय तथा मानव पूंजी अपने कौशल से प्रदेश को सम्पन्न बना सके।

श्रीमन इस सम्बन्ध में यह जरूर हमें कहना है कि जो आई0 टी0 आई0 की संस्थाएं हैं, वे इसी उद्देश्य से केन्द्रीय स्तर पर डा0 अम्बेदकर के नेतृत्व में, जो उस समय वाइस रिगल कौसिल के श्रम सदस्य थे, बीज रूप में उत्पन्न हुई थी। कालांतर में उनकी कार्यप्रणाली में अनेको दोष पैदा हो गये एक मास से दोनों सदनों के अनक सदस्य शासन का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट करते रहे हैं। कल ही कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें बहुत से लोगो ने विशेषकर प्रतापगढ़ के श्री लालप्रताप सिंह, निर्भयनारायण सिंह, जी त्रिवेणी राय जी श्रीमती किशोरी शवला, श्रीमती महारानी दोहरे, श्री राजेन्द्र त्रिपाठ, भगवत सिंह विश रव, राम यश सिंह, राम जी राम तथा फैजाबाद व पीलीभीत आदि के के विधातको ने हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित किया। जो हमारे सामने दोष आये हैं हम उसे सुधारने तथा सुदृढ़ करने के लिए कृत संकल्प हैं। उनके दोषो को हम दूर अवश्य करते रहेंगे ताकि बेकार लोगो में निपुण्य पैदा कर सकें।

श्रीमन्, खेतिहर मजदूरो के लिए हमारी सदैव चेष्टा बनी रही है। यह कौन नहीं जानता कि इस कृषि प्रधान देश में खेतिहर मजदूरो का बड़ा महत्व है। यहां के सोये हुए समाज को उ,होने ही जगाया है। सन् 1809 से लेकर आज तक इतिहास उनके द्वारा उठाये हुए आन्दोलन से भरा है। इमरजेन्सी के दिनो में लोग कहते है कि देश में काफी शांति रही और हर काम समय से हुए (शोर) हमारे 20 सूत्रीय कार्यक्रम की यह सारी देन है। हमारे खेतिहर मजदूरो का हमारे लिए आज बड़ा महत्व है? केन्द्र सरकार इनके लिए एक कानून बना रही है वह इस कानून का प्रारुप एक संस्दीय कमेटी की संतुतियो के आधार बनाई। उस कमेटी के अन्दर ससद म विद्यमान सभी विरोधी दल के सदस्य थ। उस कमेटी के द्वारा लिए गए निर्णय शीध्र ही कानून का रूप लेने वाले हैं। इसी ए आज हम कह सकते हैं कि कल ही 24 घंटो के बाद यानी 2 अक्तूबर, 80 को एक बार फिर हम खेतीहर मजदूरो की तनख्वाह बढ़ायेगी। मझे बड़ी खशी हो रही है यह बताने में कि इस सम्बन्ध में कल ही कैबनेट स्तर पर यह निणय लिया जा चका है। (शोर)

एक सदस्य—

मंहगाई के बारे में क्या कर रहे हैं?

श्री जनदीश चन्द्र दीक्षित—

मान्यवर, साथ ही यह भी बताना चाहता हु कि हमारे विधायको ने एक कमेटी का जिक्र किया था, रस्तोगी कमेटी का। उसमें यह है कि हम किस तरह से खेतिहर मजदूरो को निरक्षरता को दुर करें और कैसे रुरल आई0 टी0 आई0 बनायें और जैसे खेतीहर मजदूर एक जूट होकर एक तरीके से एक इन्टीट-यूशन के रूप में बनकर खड़े हो सकते हैं। उस बात का प्रयास यह समिति कर रही है।

बन्धआ मजदूरो की समस्या को दूर करने के कानून भी हमारी सरकार द्वारा पहले ही बनाया जा चका है, उसके कार्यान्वियन में अवम्य इसमें कुछ गड़-बड़ियां होने लगी है, उनको दूर करने का प्रयास हम कर रहे हैं। यह कहना गलत न होगा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्रो के कारण देश और प्रदेशो को आगे बढ़ने की गति मिली है। इन्हीं बातो को ध्यान में

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—]

रखते हुए हमें यह कहना है कि खेतिहर मजदूरों की आज उपेक्षा नहीं की जा सकती । इसलिए उनकी ओर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं महिलाओं की उपेक्षा का भी प्रश्न हमारे सामने आया (एक सदस्य के कुछ कहने पर) क्योंकि लेबर पेन महिलाओं को ही हुआ करता है, पुरुषों को नहीं । इसलिये महिलाओं के बारे में आपने अक्सर पढ़ा होगा । सन् 1976 में केन्द्रीय कानून में पद्मा सेठ संसद सदस्या की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और इस कमेटी ने 4 सब-कमेटीज बनायी है । जिसमें पहली सब-कमेटी इंजीनियरिंग कालेजेज में महिलाओं की दशा देखने के लिए बनाई गई है इस सदन के श्री डी० पी० धवन और उर्मिला अग्निहोत्री उसके सदस्य हैं तथा दूसरी सब-कमेटी में मेडिकल विभागों में नियोजित महिलाओं के लिए बनी है, जिसमें पिछली सरकार द्वारा काफी कुछ गड़बड़ियां की गयी थीं । इस कमेटी का सदस्य सरस्वती अम्माल के साथ-साथ श्री राम नरेश सिंह, जो भा० ज० पार्टी में हैं, को बनाया गया है । इतने बड़े अधिकार इन सब-कमेटियों को दिये गये हैं, हमारी सरकार की ओर से, जिसके विरोधी दलों के लोग भी मेम्बर हैं । यह हमारी उदारता ही तो कही जायेगी ।

श्री मोहन सिंह—

यह उर्मिला जी को भी आप कुछ बना रहे हैं, या नहीं ?

श्री जगदीश चन्द दीक्षित—

जी हां, उर्मिला जी को हमने आई० टी० आई० पर जो कमेटी बनी है, उसके परिप्रेक्ष्य में काम दिया है, और अगर आप चाहें तो आपको भी कोई काम दिया जा सकता है, काम हमारे पास बहुत है और हम उदार भी ।

तीसरी बात, श्रीमन् मुझे कहनी है कि हमारे शासन में आने से पहले ही औद्योगिक जगत में तमाम झगड़े खड़े हो चुके थे, जो हम पर लादे गये । हमारे शासन में आने से पहले कानपुर केमिकल और रैलिश इण्डिया के झगड़े चल रहे थे । जे० के० रियान, कानपुर, जी० ई० सी० ए/डब्लू हस्हा ट्रैक्टर्स, गाजियाबाद, इन्टर नेशनल टूबैको, गाजियाबाद, मोदी टैक्सटाइल, मोदी नगर में हड़तालें चल रही थी । शासन में आने के बाद इन हड़तालों को समझौता द्वारा समाप्त किया गया । मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि क्या वे एक भी उदाहरण ऐसा बता सकते हैं जिसमें गैर कांग्रेसी सरकार ने किसी ऐसे मजदूर नेता को जेल से बुलाकर मन्त्री जी ने अपने कक्ष में बात कर हड़ताल तय कराई हो । मान्यवर, एक दस्तावेज प्रियदर्शी जेतली के पास है जिसमें पिछली सरकार की नीति वर्णित है । उसमें कहा गया है कि अपने-अपने होते हैं । इस प्रकार की जो पिछली सरकार की नीति थी वह वर्तमान सरकार की नीति नहीं है । हम सबको गले से लगाना चाहते हैं और लगा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, आपके विभाग पर बहस केवल ढाई घन्टे तक चलेगी । जिन माननीय सदस्यों का नाम आप ले रहे हैं वह भी बोलना चाहेंगे । इसका ध्यान रखें ।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

क्षमा करे, मान्यवर, अगर एतराज हो । मैं यह कह रहा था कि समाचार पत्रों के पत्रकार व गैर पत्रकार कर्मचारियों की वेतन समस्याओं से सम्बन्धित पालेकर कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने आई है । उसका इन्टरिम एवार्ड अधिक था और फाइनल एवार्ड इन्टरीम एवार्ड से कम है उसमें काफी विषमता है । मेरी ख्वाहिश है इस विषमता को दूर किया जाय ।

मान्यवर, सन् 78 में एच0 के0 कौल कमेटी बनी थी लेकिन उस सरकार को 78 से लेकर अपने जाने तक उसकी रिपोर्ट से पन्ने पलटने का समय नहीं मिला और वह रिपोर्ट कोल्डस्टोर में पड़ी रही और श्रीमन्, मुझे खुशी है कि उसका अध्ययन कर उसकी समीक्षा करने का वह काम मुझे करना पड़ रहा है । मान्यवर, ट्रेड यूनियन क्षेत्र में संगठन की बहुत बहुलता है, लेबर कोर्ट और ट्रिबुनल की जो समस्यायें हमारे सामने लाई गई हैं उन पर भी हम विचार कर रहे हैं ।

मान्यवर, हमने वृद्धों की पेंशन को 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपया किया है । मान्यवर, इस समय प्रदेश की आर्थिक दशा को देखते हुये यह काम छोटा नहीं है । प्रशिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने शिड्यूल्ड कास्ट के लिए 2 कोंचिंग सेन्टर कायम किये हैं जहां शार्टहैण्ड और टाइप की प्रशिक्षा उनको दी जाती है । आशा है वे बाजार में अन्य लोगों की होड़ के मुकाबले में खड़े हो सकेंगे । श्रीमन्, इन शब्दों के साथ इन दोनों मांगों को प्रस्तुत करता हूं और आशा यह करता हूं कि यह सदन उनको स्वीकार करेगा ।

श्री ऊबल—

मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, अनुदान संख्या 45—श्रम विभाग (सेवायोजन) की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(अपराह्न 1 बजे)

माननीय मन्त्री जी के भाषण को मैंने सुना, बड़ा साहित्यिक और लच्छेदार भाषा में । जैसा उन्होंने कहा कि मूर्त रूप दे देंगे तो मैं समझता हूं कि बधायी के पात्र होंगे । जो विभाग है मन्त्री जी का उसमें 3 अंग हैं, एक लेबर, दूसरा रोजगार और तीसरा ट्रेनिंग से सम्बन्धित है । सर्वप्रथम मैं श्रमिकों के बारे में ही कहना चाहूंगा । उन हड़तालों का जिक्र मैं नहीं करूंगा जिनका आपने किया क्योंकि समय कम है । लेकिन सवाल यह है कि यह हड़ताल करने की या लाक–आउट की हालत क्यों पैदा हुई । मन्त्री जी भी श्रमिक नेता रहे हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं, कितना लड़ कर, कुर्बानी कर के यह अधिकार मजदूरों ने हासिल किया है । हड़ताल करने का अधिकार कानूनी तरीके से है । मान्यवर, प्रश्न यह है कि जब से राष्ट्रपति शासन हुआ, वह सरकार किसकी थी, गवर्नर राज्य होता था सेन्ट्रल गवर्नमेंट का, उनके नामिनी एडवाइजर

[श्री ऊवल---]

होते थे, 3 बरस की बात मैं छोड़े देता हूं लेकिन 30 बरस का जिक्र तो हम कर ही सकते हैं उसमें जो देखने में आया सरकार और प्रशासन दोनों मालिकों की तरफ से ज्यादा झगड़े हुए हैं। मजदूरों के तरफ से कम। स्वदेशी काटन मिल का जो झगड़ा हुआ था जिसमें काफी लोग मारे गये थे और 450 के करीब लोग बन्द हुये थे, जेल में थे। वहां जाने का भी अवसर मिला, अधिकारियों से भी मिलने का अवसर मिला। सरकार खड़ी हुई मालिकों को तरफ से। अगर आप इस बात की घोषणा कर दें कि सरकार मजदूरों की जायज मांगों

(इस समय 1 बजकर 1 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बल्देव सिंह आर्य पीठासीन हुए।)

के लिए और जो श्रमिक कानून हैं उनके दायरे में एक भी पूंजीपति को गिरफ्तार नहीं किया गया। मान्यवर, जी0 ई0 सी0 कम्पनी, इलाहाबाद में लाक आउट हो गया। लाक आउट में सरकार की कोई जिम्मेदारी होती है या नहीं। मैं बड़ी नम्रता से आज भी कहना चाहता हूं कि श्रमिकों में बड़ा असन्तोष है। आपने अभी घोषणा की कि सरकारी जो कारखाने हैं, उनमें हम साझेदारी प्रथा लागू करने जा रहे हैं। मजदूर प्रतिनिधियों को आप बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में रखेंगे, मैनेजमेंट में रखेंगे। बड़ी खुशी की बात है। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। डालमिया की और चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री की क्या हालत है। निगम हों, प्राइवेट हों या कोआपरेटिव के कारखाने हों, सरकारी हों, जो नियम हैं वह सबके ऊपर लागू होते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज तक इन कानूनों का उल्लंघन करने में कितने उद्योगपतियों को और मिल मालिकों को गिरफ्तार किया गया या उनके खिलाफ मुकदमें चलाये गये। आपने मोदी नगर का जिक्र किया। मोदी नगर में मजदूरों की हत्यायें हो गयीं। एक मजदूर मारा गया। बहुत से घायल हो गये।

एक सदस्य---

दो मजदूर मरे।

श्री ऊवल---

दो मर गये। मोदी को काल किया गया। माननीय मंत्री जी क्या मोदी बुलाने से आया।

एक सदस्य---

आया।

श्री ऊवल---

यही मैं कह रहा हूं। जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने अगुवाई की तब मोदी साहब आये। मैं सही हूं कि मोदी साहब आने के लिए, बात करने के लिए तैयार नहीं थे। श्रीमन्, यह हालत है। जो श्रमिक कानून हैं, उनमें जो पुराने हो गये हैं, उनको बदलने की आवश्यकता है। जैसा कि आप ने कहा कि हम क्रान्तिकारी परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर क्रान्तिकारी परिवर्तन करना है तो श्रमिक कानून जो पुराने पड़ गये हैं उनको बदलने की आवश्यकता है। हिन्डालको में बहुत से मजदूर निकाले गये। उनमें श्रमिक असंतोष है। श्रीमन्, हिन्डालको का मालिक किस तरह से सरकार को कब्जे में करता है उससे हम सब लोग

परिचित है । उसके ऊपर इस सरकार का कोई वश नहीं चलता । श्रीमन्, शुगर में कुछ कोआपरेटिव मिले हैं, कुछ शुगर कारपोरेशन हैं, कुछ प्राइवेट हैं । क्या सब जगह एक तरह के नियम लागू हैं । नियम तो हैं लेकिन लागू करने में मैं समझता हूं, ढिलाई है । उनको मजबूती से लागू करना चाहिय । अकबरपुर का जिक्र आपने किया । मैं कहना चाहता हूं कि सरकार सबकी होती है । आप पूरे प्रदेश के मंत्री हैं । सरकार पूरे प्रदेश की है । सरकार का दर्जा मां के बराबर है । सबको एक नजर से देखें । लेकिन अकबरपुर के मिल में जो काम किया गया, उसकी मैं समझता हूं जितनी भर्त्सना की जाये, वह कम है । वहां के डी० एम०, एस० पी० की रिपोर्ट के बाद, जैसा इग्जीक्यूटिव अधिकारी के बारे में बताया कि बदले की भावना से काम कर रहे हैं, वही हुआ । कुछ नहीं किया गया ।

तो मैं कहना चाहता हूं कि वहां मजदूरों का सामान लूटा गया ताला तोड़कर और आज भी सामान नहीं मिला है । मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन फिर भी कोई भी सरकार अगर इन मामलों में अपने और पराये का भेद करेगी, कौन हमारा समर्थक है, कौन हमारा समर्थक नहीं है, अगर इसका भेद करेगी तो मैं समझता हूं कि इसको सिद्धांतहीनता के अलावा कोई और संज्ञा नहीं दी जा सकती । इसी तरह से प्लाईवुड का मामला बहुत दिनों से चला आ रहा है, सीतापुर में प्लाईवुड के मामले को सुलझाने के लिये मैं आपको बधाई देने के लिये तैयार हूं, श्रीमन्, चमड़ा उद्योग की हालत बहुत खराब है, अत्यन्त दयनीय है । इस दयनीय हालत को दूर करने के लिय मैं चाहता हू कि आप आज ही घोषणा करें कि उनकी हालत को सुधारने के लिये सरकार क्या करने जा रही है ।

श्रीमन्, अब मैं एक जिक्र और करना चाहता हूं, सरकारी कारखाने हों या प्राइवेट कारखाने हों उसमें प्रेचयुटी, इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड इसका हिस्सा बराबर-बराबर है । मालिकों का हिस्सा है, सरकार का हिस्सा है, मजदूरों का हिस्सा है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो मिल मालिक हैं, सरकारी प्रबन्ध में कारपोरेशन हैं क्या वह अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं । आज अगर आप जांच करायेंगे तो मेरा दावा है, अगर मैं गलत नहीं हूंगा तो आज भी 50 फीसदी से ज्यादा लोगों का हिस्सा जमा नहीं है । इस पर कड़ाई करने की बहुत ही आवश्यकता है । अब श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि जो बीमा के अस्पताल हैं, मैंने एक दो को कानपुर में देखा है, इनकी हालत बहुत खस्ता है । यह भी आपके विभाग से सम्बन्धित हैं इसलिये इनकी दयनीय हालत को सुधारने की आवश्यकता है । मान्यवर, अब मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर कमिश्नर आफिस है, दोनों को मैं कमजोर समझता हूं आज से नहीं बहुत दिनों से । इसके पहले भी मैंने अपनी राय दी थी कि इनको सक्षम बनाने की आवश्यकता है और इनको अधिकार देने की आवश्यकता है । जब तक इनको अधिकार नहीं होंगे जब तक सरकार की बैकिंग नहीं होगी तब तक काम ठीक से नहीं चलेगा । इसलिये इनको मजबूत और सक्षम बनाने की आवश्यकता है । मैं चाहता हूं कि सरकार शुगर, चमड़ा, अल्यूमूनियम या चाहे कोई और उद्योग हो आज जरूरत है कि इनकी जांच करने के लिये, सबके बारे में सही आकलन करने के लिये एक आयोग का गठन हो । बहुत दिन हो गये, दुनिया बदल गयी, विचार बदल गये, सरकार भी बदल गयी, समय भी बदल गया

[श्री ऊदल---]

तो अगर यह करके हम सही नतीजे पर पहुंचेगें तो मैं समझता हूं कि कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन होगा ।

श्रीमन्, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आई० टी० आई० की हालत, जैसा मंत्री जी ने कहा है, खराब है । वहां मशीनें बहुत पुरानी हो गयी हैं । आई० टी० आई० में सीट कम हैं और दाखिले ज्यादा हैं, इसलिये उनको मजबूत बनाने की जरूरत है । आई० टी० आई० के जो लड़के निकलते ह उनको रोजगार नहीं सुलभ होते हैं । जब कि आई० टी० आई० का काम ही रोजगार उपलब्ध करना है और कुशल कारीगर पैदा करना है । इसलिये इस पर ध्यान देन की जरूरत है ।

मान्यवर, अब मैं प्रेस के बारे में कहना चाहना हूं । आपने प्रेस में पालेकर समिति की रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया । इसका कितना बड़ा विरोध है, सभी संस्थाओं की तरफ से, प्रेस के लोगों की तरफ से और उनके कर्मचारियों की तरफ से । आज मैं समझता हूं कि अखबार भी नहीं छपा उसी के विरोध में । लेकिन आप कहते हैं कि हम इसम सुधार कर रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पालेकर समिति की जो रिपोर्ट है वह बिल्कुल रेजक्ट करने के लायक है, यदि आप में दम और खम है तो आप आज ही घोषणा कर कि उस समिति की रिपोर्ट को सरकार नहीं मानती है ।

श्रीमन्, इस गरीब देश की पूंजी श्रम है और आज रोजगार दफ्तरों में जो लोगों ने अपने नाम रजिस्टर्ड कराये हैं उनको देखें तो 5-7 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं और उससे ज्यादा लोग अपने नाम रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं और कहीं-कहीं तो यह सुविधा भी नहीं ह । इसलिए रोजगार को दूर करने की कोई आप योजना बनायें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने श्रम विभाग के अनुदानों पर मुझे बोलने का मौका दिया । मंत्री जी ने अपने विभाग से सम्बन्धित जिन क्रान्तिकारी कदमों की और जो कदम उठाये हैं, जिनकी जानकारी अभी कराया है, उससे निःसंदेह साबित होता है कि यह विभाग सचमुच सही व्यक्ति के पास आया ह, जिसका श्रम से गहरा वास्ता रहा है और वास्तव में आज इसकी आवश्यकता आज भी थी ताकि आने वाले समय में जो कठिनाइयां आने वाली हैं उनको अपने पिछले तजुर्बे के तहत श्रमिकों पर होने वाले अत्याचारों और श्रमिकों का जो शोषण हुआ है, उसको दूर करने में काफी क्रान्तिकारी कदम वह उठायेंगे । मान्यवर, यह देश का दुर्भाग्य रहा है कि यहां पर श्रम करने वाला व्यक्ति चाहे वह खेत में काम करने वाला आदमी हो अथवा मिल में काम करने वाला हो हमारे समाज में गंवार कहा जाता ह । दूसरी तरफ दफ्तर में 100 रु० पाने वाला व्यक्ति बाबू कहा जाता है । यह इस देश की मनोवृत्ति बन चुकी है । आज हमको इस पुरानी मनोवृत्तियों को उखाड़ फेंकना है और क्रान्तिकारी कदम उठाना है । श्रमिक, चाहे खेत में या मिल या कारखाने में काम करने वाला आदमी हो जब तक वह नहीं उठेगा, तब तक उसको आर्थिक हालत में सुधार नहीं होगा और तब तक देश उठने वाला नहीं है ।

संख्या--44 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) एवं अनुदान संख्या 45--
श्रम विभाग (सेवायोजन)

मैं इस सम्बन्ध में सब से पहले एक सुझाव देना चाहता हूं मंत्री जी को वह सुझाव है सेवायोजन कार्यालय के सम्बन्ध में । इस देश में जो गरीब परिवार का पढ़ा लिखा बच्चा है वह नौकरी पाने के लिए रोजगार दफ्तर में जाकर अपना नाम दर्ज कराता है वही खेतिहर परिवार का बच्चा भी अपना नाम दर्ज कराता है । इस सम्बन्ध में मेरा निश्चित मत है और मैं समझता हूं मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि इस देश में दो प्रकार के अनइम्प्लाइड हैं। एक वह अनइम्प्लाइड है जो खेतिहर नहीं है, जो मजदूर परिवारों से निकला हुआ बच्चा है, जिसके मां-बाप बड़ी मेहनत कर अपने बच्चों को पढ़ाकर हाई स्कूल, इन्टर, बी0ए0 कराते हैं, मान्यवर, जिसका नाम भी रोजगार दफ्तर में दर्ज है। दूसरा लड़का वह है जिसके मां-बाप के पास खेती है, ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है, लड़के को पढ़ाने का इरादा रखते हैं, पैसा भी था, लेकिन लड़का पढ़ना नहीं चाहता किसी तरह से हाई स्कूल, इन्टर, बी0ए0 करके अपना नाम रोजगार दफ्तर में दर्ज करा लेता है । ये दो किस्म के अनइम्प्लाइड हैं। मेरा निश्चित मत है कि रोजगार दफ्तर में दो किस्म के रजिस्टर होने चाहिए--एक उनके लिए जो लैंड लेस फेमिली से सम्बन्धित है, जो भूमिहीन परिवार से सम्बन्ध रखते हैं, जिनके पास जीवन का कोई जरिया नहीं है और दूसरा उनके लिए जिनके पास खेती है और वे खेत में काम कर सकते हैं लेकिन काम नहीं करना चाहते और न ही मेहनत से पढ़े और नौकरी करना चाहते हैं । इसको समय की पुकार है कि इसमें एक प्राथमिकता फिक्स करनी चाहिए नौकरी देने के लिए इन दोनों में एक अनुपात होना चाहिए, चाहे 4, 5 का हो, चाहे 5, 1 का हो, कोई अनुपात जरूर हो । मान्यवर, नौकरी पहले उन लोगों को मिलनी चाहिए जो लैंड लैस फेमिली से सम्बन्धित हैं, जिनके मां बाप के पास और कोई साधन जीवन निर्वाह का नहीं है ।

दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि श्रमिकों पर हुए अत्याचार की कहानी अभी मंत्री जी बता रहे थे कि जितनी भी हड़तालें इस प्रदेश में हुई सारी की सारी पिछली जनता सरकार के कारनामों की देन रही हैं । मैं कहना चाहता हूं कि चाहे पंतनगर के मजदूरों पर गोली चलन की बात हो, चाहे कानपुर के मिल के मजदूरों पर गोली चलने की बात हो, और चाहे अकबरपुर के मजदूरों पर गोली चलने की बात हो, गोलियां जनता शासनकाल में चली हैं और आज इसका बदनुमा दाग उनके दामन पर है । इससे वे इन्कार नहीं कर सकते हैं । (लाल बत्ती जलने पर) अभी मुझे कम से कम 7-8 मिनट का समय दिया जाय। मैं कहना चाहता हूं मेरे पास आज कुछ सबूत इस बात का है कि पिछली जनता सरकार के काल में मरैला स्पिनिंग मिल, अकबरपुर के मजदूरों पर जो अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे पर गोलियां चलाई गई और आज हालत यह है कि वे मजदूर जिन पर गोलियां चलाई गई । 307 के मुलजिम हैं और वे अधिकारी जिन्होंने गोली चलाई वे मौज-मस्ती से बैठे हुए हैं । मैं आपके सामने इस बात का प्रमाण दे सकता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया समाप्त करें ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, मैंने समय पहले ही आपसे मांगा था। मान्यवर, लखनऊ में उन मजदूरों की मांगों पर उपमुख्य मंत्री की सदारत में एक मीटिंग 19-5-77 को

श्री प्रियदर्शी जेन्तली

हुई थी । उस बैठक में गृह सचिव, श्रमायुक्त और मैनेजिंग डाइरेक्टर इत्यादि तमाम उच्चाधिकारी थे । इस मीटिंग के अन्दर हमारे उप मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही वह बड़े शर्म की बात है। उन्होंने अपने उक्त मीटिंग के अन्त में जो बात कही उन्होंने कहा वह यह है कि जिन्होंने अपना साथ दिया है उनकी मदद हर कीमत पर होनी चाहिए। साथ किसने दिया है । मान्यवर, जिलाधीश महोदय ने एक पत्र उक्त घटना के सम्बन्ध में सरकार को लिखा था । उस पत्र में उन्होंने लिखा दिनांक 14-4-79 को मिल के सिक्यूरिटी गार्ड द्वारा मिल गेट पर खड़ी भीड़ पर गोली चलाई जिसमें दस व्यक्ति से अधिक घायल हुए और मेरा ऐसा विश्वास है कि आर० सी० गुप्ता के कारण यह अव्यवस्था पैदा हुई क्योंकि वह अपने पुराने दुश्मनों निकालने के लिए तुले थ । मैंने इससे पहले भी गुप्ता के सम्बन्ध में लिखा था और कहा था कि उनका स्थानान्तरण यहां नहीं किया जाय । मेरा शासन से अनुरोध है कि सम्बन्धित उपचाधिकारियों को यह निर्देशित कर दिया जाय कि श्री आर० सी० गुप्ता की तैनाती मरैला स्पिनिंग मिल, अकबरपुर में न किया जाय । बड़े शर्म की बात है । जिलाधिकारी ने आगे लिखा है । मैंने तथा पुलिस अधीक्षक फैजाबाद ने दिनांक 14-4-79 के रात में मौके का निरीक्षण भी किया था और हम दोनों की यही राय है कि श्री आर० सी० गुप्ता को मरैना स्पिनिंग मिल अकबरपुर में न रहने दिया जाय ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं मन्त्री जी से इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी करें और जिन मजदूरों के क्वार्टर का ताला तोड़ा गया, मुख्य मन्त्री ने आदेश दिया, उनके सामान को वापस कराया जाय और उन अधिकारियों को दन्डित किया जाय जिन्होंने गलत रिपोर्ट देकर जिलाधीश की रिपोर्ट के खिलाफ शासन को गुमराह किया । ऐसे अधिकारियों को एक दिन भी रहने का अधिकार नहीं है, जिन्होंने मजदूरों का शोषण किया । आज भी वे मजदूर गलत ढग से निलम्बित किए गए हैं, उनको देखा जाए इन शब्दों के साथ मैं आपके अनुदानों का समर्थन करते हुए आपसे अनुरोध करता हू कि उन मजदूरों के साथ जो ज्यादती हुई है, जो सात मजदूर निकाले गए जिनको वेतन नहीं दिया गया है उनको वेतन दिलाया जाय व श्रमिक विरोधी अधिकारियों को हटाया जाये ।

श्री राम यश सिंह--

मान्यवर, आज आपने जो सबसे महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का मौका दिया है मैं उसके लिए आभारी हू । आज जो अनुदान मन्त्री महोदय ने पेश किया है उसका सीधा सम्बन्ध श्रमिक भाइयों से है जिनकी भलाई के लिए यह सरकार कटिबद्ध है । माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव दूगा जिन पर माननीय मन्त्री पूरा-पूरा ध्यान देंगे ।

उत्तर प्रदेश के अन्दर जो कन्सीलिएशन मशीनरी है उसकी कार्य क्षमता बहुत गिर चुकी है । सरकारी आंकड़ों के अनुसार 18-19 प्रतिशत मामलों में ही समझौता हो पाता है, जबकि गुजरात के अन्दर 48 प्रतिशत, महाराष्ट्र के अन्दर 60 प्रतिशत पंजाब के अन्दर 30 प्रतिशत मामलों में समझौता होता है । सरकार गौर करे कि उत्तर प्रदेश में कन्सीलिएशन मशीनरी सफल क्यों नहीं हो पा रही है । इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि पहले कन्सीलिएशन आफिसर की जो भरती होती थी वह बिना प्रशिक्षण के नहीं होती थी लेकिन आज स्नातक सीधा भरती किया जाता है जिसको लेबर से कोई जानकारी नहीं होती ।

आज उत्तर प्रदेश के अन्दर जो लेबर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स हैं उनके पास चार हजार मामले पेन्डिंग पड़ हुए हैं, जब कि 1978 में 3 श्रम न्यायालय और बढ़ाये गये थे 1979 में 3 हजार मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें 50 प्रतिशत वह मामले हैं जो वापसी समझौते से परेशान होकर किये गये थे । इसलिए मेरा सुझाव है कि लेबर कोर्ट और लेबर ट्रिब्युनल में जो मामले जाते हैं उनको एक वर्ष के समय की सीमा निर्धारित कर दी जाय जिसके अन्तर्गत मजदूरों के मामलों का निपटारा हो सके । आज मजदूरों का श्रम न्यायालयों, लेबर कोर्ट्स लेबर ट्रिब्युनल्स पर विश्वास कम होता जा रहा है क्योंकि मजदूर यह समझता है कि जिस मामले में वह लेबर कोर्ट या कंसीलिएशन में चला जाता है उसमें चार–पांच वर्ष लग जाते हैं । तब तक मजदूर परेशान होकर नौकरी छोड़ कर चला जाता है । इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच करायी जाय कि जो चार हजार मामले पेंडिंग हैं वह कितने साल से पेन्डिंग पड़े हैं ।

उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी की वजह से 1978 के अन्दर काफी नुकसान हुआ जिससे प्रदेश की प्रगति रुकी हुई है ?

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त हो गया ।

श्री राम यश सिंह—

1979 के अन्तर्गत 21 लाख 62 हजार 286 कार्य दिवस का नुकसान हुआ । इसमें 16 लाख 81 हजार 768 कार्य दिवस की क्षति बिजली की कमी के कारण हुआ, जो लगभग 75 प्रतिशत है जिसकी वजह से प्रदेश का विकास रुका और मजदूरों की छटनी हुई बेरोजगारी हुई । मेरा सरकार से अनुरोध है कि मजदूरों की क्षतिपूर्ति की जाय ।

*श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, इस मजदूर के मामले में आज तक मेरी समझ में एक बात नहीं आई है जब लेबर मिनिस्टर का चुनाव होता है तो चाहे केन्द्र हो अथवा प्रदेश हो यह समझ कर किया जाता है कि कौन से आदमी ने लेबर में ज्यादा काम किया है और लेबर प्राब्लम्स को कौन ज्यादा समझता है । लेकिन जाने क्या बीमारी है जब लेबर की रिप्रेजेंटेटिव सरकार बनती है तो वह प्रोमेनेजमेंट क्यों हो जाती है ? लेबर की वजह से लेबर मिनिस्टर जमीन से आसमान पर पहुंच गया और जब वह आसमान पर आ गया तो पता चला कि वह प्रोमैनेजमेंट हो गया। सरकारें बदल गयीं । जनता सरकार आई और फिर कांग्रेस सरकार आ गई । इससे पहले भी कांग्रेसी सरकार थी । लेकिन जो भी मंत्रि–परिषद् में लेबर मिनिस्टर आया तो जो उनके अधिकारीगण होते हैं वे उनको उस रास्ते पर डाल देते हैं कि वह मैनेजमन्ट की बोली बोलने लगते हैं । इसके मानी है कि जो अधिकारी गण हैं उनके अपने स्वार्थ कहीं न कहीं मैनेजमेंट के साथ हैं । उस स्वार्थ को, जो मंत्री होता है, नहीं तोड़ पाता है, वह उसी बोली में बोलने लगता है । आखिर मोदी टेक्सटाइल्स में क्यों झगड़े होते हैं बुनियादी तौर पर आप इस अच्छी तरह से जानते हैं । जब कोई झगड़ता होता है तो एवार्ड बनता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन---]

है लेकिन उस एवार्ड को जब मैनेजमेंट कैरी आउट नहीं कर पाता है, अगरचे-मगरचे लगाता है तो झगड़ा शुरू हो जाता है तब आप उस एवार्ड को कैरी आउट कराने में मैनेजमेंट के आदमी को प्रासिक्यूट क्यों नहीं करा पाते हैं । लखनऊ में आपका डेरी फेडरेशन है और पूरे प्रदेश म एक संघ बना है । अक्तूबर, 1979 में हड़ताल हुई और एवार्ड का फैसला हो गया । उस फैसले में जहां और बात थीं वहां एक बात यह भी थी कि 11 दिसम्बर, 1979 के बाद कोई अधिकारी डेपुटेशन पर नहीं जायगा, उसी संस्था से सम्बन्धित लोग रहेंगे । वह चीज करी आउट नहीं हुई । अक्तूबर, 1980 आ गया और इस तरह 10 महीने गुजर गये लेकिन वह फैसला आज तक कैरी आउट नहीं हो सका। और जब कैरी आउट नहीं हुआ और मैनेजमेंट की वजह से 4 करोड़ का घाटा जब फेडरेशन को हो गया तो मैनेजमेंट ने नोटिस दे दी कि 25 परसेंट लेबर की छुट्टी कर दो घाटे की वजह से । लेबर के सामने जब प्राबलम होगा तो अनरेस्ट पैदा होगा । लेबर के बच्चों को पेट भर रोटी मिल जाय, पहनने को कपड़ा मिल जाय, रहने की सुविधा आप दे नहीं सकते और इसकी जिम्मेदारी आप लेते जो हर तीसरे महीन महंगाई बढ़ जाती है और कपड़ा महंगा होने से मैनेजमेंट उससे फायदा उठाता है लेकिन उस फायदे में लेबर का हिस्सा नहीं होता । जो लेबर के लीडर हैं वहीं कहते हैं कि मैनेजमेंट को इतना फायदा होगा लिहाजा उसमें लेबर का उसी हिसाब से बोनस होना चाहिये लेकिन उसे वह दिलवा नहीं पाते जिससे झगड़ा शुरू हो जाता है । माननीय सदन के लोग माननीय मंत्री के तजुर्बे से अधिक जानकार नहीं होते और अगर आप चाहते हैं कि लेबर के इंटरेस्ट की बात हो तो फिर मोदी टेक्सटाइल ने लेबर के इंटरेस्ट की बात कैसे इंकार कर दी जब तक कि मुख्य मंत्री ने बराहरास्त दखलन्दाजी नहीं की । तब वह बात अमल में आ सकी । लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि बजट आप मांगते हैं। आपस में स्वयं शक्ति होनी चाहिये कि मैनेजमेंट तथा मैनेजमेंट के अधिकारी लेबर के इंटरेस्ट में चलें तो किसी प्रकार का कोई अनरेस्ट नहीं होगा । हर लेबर चाहता है कि पैदावार बढ़े । उसके बच्चे अच्छा खायें व पहनें । मैं यह उम्मीद करता हूं कि वह कम से कम इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि प्रदेश में जो औद्योगिक शान्ति है वह बनी रहे और कोई ऐसी बात न हो कि लेबर की हकतलफी हो ।

*श्री भगवती सिंह विशारद---

अधिष्ठाता जी, मैं सबसे पहले माननीय श्रम मंत्री जी को उनके इस क्रांतिकारी कदम उठाने पर कि जो सरकारी कारखाने हैं उनमें वे श्रमिकों को भी प्रबन्ध में साझेदार करेंगे, इसके लिये उनको बधाई देता हूं । यह कार्य जहां तक मेरी जानकारी है भारतवर्ष में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में और वह भी हमारे इन आदरणीय श्रम मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है । हां, इस सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने जो अपने विचार प्रकट किये हैं, जो घोषणा उन्होंने की है उसको शीघ्रातिशीघ्र कार्यक्रम में परिणत करें । मैं उनसे यह भी अनुरोध करूंगा कि जो उन्होंने संकल्प किया है उसकी परिधि भी बढ़ाने की वे कृपा करें जिससे और भी कल और कारखाने इस परिधि के अन्दर आ जायं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जब यह पद भार ग्रहण किया तो उनको मिली विरासत में उत्तर प्रदेश की फेल्ड कान्सोलिएशन मशीनरी, उत्तर प्रदेश की बीमार मिलें और उनसे निकले हुये हजारों हजार मजदूर और उनकी समस्याओं का समाधान, उनको विरासत में मिली थीं यहां की औद्योगिक अशांति । इसलिये जब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तक इन समस्याओं के समाधान के लिये सरकार की ओर से कोई सख्त कार्यवाही नहीं की जायेगीं तब तक समस्यायें सुधर नहीं सकती ह । मान्यवर, यहां की जो कंसीलियेशन मशीनरी है वह ऐसी है कि आज कोई भी मामला 4 साल से पहले नहीं निपटता है और उस बीच वह कानूनी कार्यवाही के योग्य नहीं रह जाता है। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि वे अपनी इस कन्सीलिएशन मशीनरी को ज्यादा से ज्यादा सक्षम बनायें ताकि शीघ्रातिशीघ्र समस्याओं का समाधान हो सके।

अब मैं एक कठिनाई का जिक्र कर देना चाहता हूं जो कि कानपुर की काटन मिलों के बारे में है। माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि कानपुर की इस कटन मिल में 2 साल से हड़ताल चल रही है । वहां का श्रमिक बेकार पड़ा हुआ है और उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से नहीं निकाला जा रहा है उसे निकाला जाना चाहिये था । इसी तरह से जे0 के0 मेन्यूफेक्चर है । वह भी चार साल से बन्द पड़ा हुआ है और लगभग 5 हजार मजदूर बेकार पड़े हुये हैं । उनकी समस्याओं के समाधान के लिय मंत्री जी को सक्षम कदम उठाने की आवश्यकता है । मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश का एक रीजन गाजियाबाद है । यह सारे का सारा औद्योगिक अशांति से पीड़ित है और मैं यह कहने की भी धृष्टता करना चाहता हूं कि यहां पर अराजक तत्वों का जोर है और यह कहा जाता है कि ट्रेड यूनियन की कार्यवाहियां हो रही हैं । लेकिन ऐसी बात नहीं है वहां तो राजनीतिक कार्यवाहियां हो रही हैं । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस सारे क्षेत्र में मजदूरों की समस्याओं का समाधान करने के लिये उनके हितों की रक्षा के लिये वे न केवल ट्रेड यूनियन के ढंग की लड़ाई लड़ें बल्कि राजनीतिक शस्त्र का भी प्रयोग करें जिससे वहां की समस्याओं का समाधान हो सके । माननीय गनेश दत्त बाजपेयी जब श्रम मंत्री थे तो उन्होंने दुकानों में जो काम करने वाले कर्मचारी थे उनके लिये एक जी0 ओ0 निकाला था और उसके आधार पर वहां के कर्मचारियों का वेतन निर्धारित हुआ था और उसी के अनुसार उनको डी0 ए0 दिया गया था । लेकिन उसमें कोई खास सुधार नहीं हुआ है । मान्यवर, आज महंगाई बढ़ गई है उसको देखते हुये उनकी तरफ भी मंत्री जी ध्यान दें ।

एक बात आई0 टी0 आई0 के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जनपद उन्नाव में जो आई0 टी0 आई0 है वह बहुत छोटी है । इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि वे उस आई0 टी0 आई0 के स्थान पर जैसी कि दूसरी जगहों पर है, उसी के समकक्ष आई0 टी0 आई0 की स्थापना करें ।

श्री दूधनाथ राजभर––

मान्यवर, आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने का मौका आपने दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं । हम श्रमिक और मजदूर वर्ग का नाम जब लेते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके ऊपर हमारे सारे हिन्दुस्तान और उत्तर प्रदेश का बोझ लदा हुआ है । जिसके कन्धों पर सारी की सारी जिम्मेदारी लदी हुई है । तो ऐसे मजदूर तबके की बात आज सदन में चल रही है । इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में जब मजदूर और मिल मालिकों का सवाल आता है तो हम देखते हैं और अनुभव रहा है कि जितने भी मिल मालिक हैं उनसे जब मजदूर अपने दुखी पेट की बात करता है और मजदूरी बढ़ाने की बात करता है तो उसका मुंह बन्द करने के लिए

[श्री दूधनाथ राजभर--]

लाठी चार्ज किया जाता है और हमारी सरकार चाहे जितनी भी रही हो वह पूंजीपतियों और मिल मालिकों की हिमायत करती है। मैं कहता चाहता हूं कि हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। जब मजदूर अपने श्रम के एवज में मजदूरी बढ़ाने के लिए हड़ताल करता ह तो तालाबन्दी की जाती ह, जब वह मांग करता है कि हमारा पेट नहीं भर रहा है तो उसका मुंह बन्द करने के लिए गोली और लाठी चलाई जाती है। हमें आज इस बुनियादी सवाल पर गम्भीरता से सोचना होगा क्योंकि पढ़ने, देखने और सुनने को मिलता है कि इस देश में पूंजीपति बढ़ते जा रहे हैं और गरीब-गरीब होता जा रहा है। यह खाई बढ़ती जा रही है और उसे पाटने की दिशा में कोई कदम नहीं किया जा रहा है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि मंत्री जी जिनके बारे कहा जाता है कि यह मजदूरों के नेता हैं, मैं उनको बधाई देता हूं और सुझाव देता हूं कि इस बुनियादी सवाल पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। जहां पूंजीपतियों को कम करने की बात है वहीं पर हमें देखना होगा कि मजदूरों और मिल मालिकों के बीच में समझौता करना होगा कि जितना मुनाफा होगा उसके अनुपात में हर साल मजदूरी बढ़ावेंगे। इस तरह की व्यवस्था हमें करनी होगी। जो रेशियो श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच में है, मजदूरों और इजारेदारों के बीच है उसे कम करना होगा। आज अमीर-अमीर होता जा रहा है और गरीब-गरीब होता जा रहा है। इसको पाटने के लिए कुछ ठोस कदम उठाना होगा ताकि जो स्वप्न हमारी सरकार ने देखा है, जो स्वप्न हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देखा है जिस तरह का समाज वह बनाना चाहती है और जो राष्ट्रपिता बापू ने दिशा दी है उसको पूरा कर सकें।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में यह देखने को मिलता है कि कारखानों में नाबालिक बच्चों से काम लिया जाता है। जहां एक मजदूर की मजदूरी 15 रु0 होती है। वहां नाबालिक बच्चों से ढाई-ढाई रुपये में काम कराया जाता है। मैं सरकार से कहूंगा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसके लिए विशेष दस्ता भेज कर देखें कि इस तरह से क्यों बच्चों का शोषण किया जा रहा है, क्यों कायदे कानून को तोड़ कर काम कराया जा रहा है और इसको दूर करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राम स्वरूप निम--

अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। श्रमिकों के बारे में अभी जोरदार शब्दों में श्रम मंत्री जी को बधाई दी जा रही थी कि वे बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठा रहे हैं। किन्तु यह अफसोस की बात है कि पिछले 33 सालों में केवल ढाई साल जनता और लोक दल सरकार रही बाकी मौजदा सरकार काम करती रही। तो ढाई साल में जनता सरकार ने इतना क्या कोप कर दिया कि सारे कारखाने बन्द हो गये, मजदूर और मिल मालिकों में झगड़ा शुरू हो गया। उससे पहले यह सरकार लगातार 30 साल तक राज्य करती रही, तब क्या ऐसी हड़तालें नहीं हुई, श्रमिक अशान्ति नहीं हुई, यह बीमारी क्या उनके समय में नहीं थी? मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह यदि वास्तव में श्रमिकों का भला करना चाहते हैं जैसा सेमिनारों के बीच में उन्होंने अपने को उनका नेता और हमदर्द होने का प्रदर्शन किया

है, उसको वह न भूलें । लेकिन यह प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि हर मंत्री श्रम मंत्री होने के बाद उनका हमदर्द न रह कर मिल मालिकों और पूंजीपतियों का हमदर्द हो जाता है, जिनसे उनको थैलियां भेंट होती हैं । इस सरकार का निशेष उद्देश्य रहा है जब कभी श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच में कोई समझौता हुआ तो वह हमेशा ही मिल मालिकों के पक्ष में हुआ है । सरकार उन मजदूरों के बारे में कभी नहीं सोचती है, जो मिल मालिक आटोमेटिक मशीनें लगा कर लेबर्स को निकालते रहते हैं, उनका शोषण करते रहते हैं, क्या उनके बारे में वह कोई कानून बनायेंगे ? यह बढ़ती हुई गरीबी और अमीरी के बीच की खाई जब तक नहीं पट सकती है । जब तक मंत्री जो ईमानदारी के साथ या सरकार श्रमिकों के हित की बात नहीं सोचेंगे उसे नहीं करेंगे तब तक श्रमिकों का भला नहीं हो सकता । वह तभी हो सकता है जब तक उत्पादन का मूल्य आंकने के बाद आप यह अन्दाजा लगाएं कि एक श्रमिक को कितना पैसा मिलना चाहिए । जब तक यह नहीं होगा, श्रमिकों का कोई भला नहीं हो सकता है ।

अभी एक भाई ने कहा कि हमारी मिलों में ढाई-तीन रुपये रोज पर नाबालिग बच्चे काम करते हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि आखिर वह यह क्यों करते हैं ? इसका कारण यह है कि उनके अभिभावक जानते हैं कि उनको इतनी मजदूरी नहीं मिलती कि वह अपने परिवार का भरणपोषण कर सकें । इसको दूर करने के लिए आपको मिल मालिकों, श्रमिकों के बीच तय करना होगा कि जो उत्पादन हो रहा है, उसके हिसाब से उसको मजदूरी दी जा रही है, क्या वह सही है ? यदि सही नहीं है तो वह श्रमिकों का पक्ष लेकर उनको उनका वाजिब हक दिलावें । मालिकों और मजदूरों के बीच उत्पन्न विवाद के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि निश्चित समय के अन्दर 2 या 3 महीने के अन्दर यह सुलझ जायेंगे । क्योंकि गरीब मजदूर ज्यादा समय तक खिचने वाला मुकदमा आर्थिक कारणों से नहीं लड़ सकता है । इसमें मजदूर के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है और उसे मजबूर होकर मालिकों के सामने झुकना पड़ता है । इसलिए श्रमिकों की रक्षा के लिए सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए । वह कोई कानून या व्यवस्था दें, जिससे मजदूरों का अहित न हो । आपने उनको प्रबन्ध में जो साझेदारी देने की बात कही, तो इससे ही उनकी समस्या का हल होने वाला नहीं है । यह सरकार या मंत्री की जिम्मेदारी है कि जब वह किसी मिल या जिले में भ्रमण करने जाएं, तो उसके बारे में विशेषकर जानकारी लें और मिल मालिकों को उसके लिए प्रोत्साहित करें । क्या कारण है कि सरकार ने इसे नहीं सोचा है कि 1 हजार रुपये की पूंजी लगाने वाला पूंजीपति कुछ दिन बाद करोड़पति बन जाता है और मजदूर सदा भूखों मरता रहता है । इसका कारण यह है कि वह पूंजीपति पूंजी की चोरी करता है और मजदूरों का शोषण करता है । अन्त में, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए वे इस प्रकार की व्यवस्था करें जिससे उनके हितों की रक्षा हो सके ।

श्री गोरे लाल शाक्य--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ता के तथा विपक्ष दल के माननीय सदस्यों, खासतौर से माननीय मंत्री जी से और माननीय ऊबल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर श्रमिक दुनिया में बोनस, श्रम अधिनियम,

[श्री गोरे लाल शाक्य--]

ट्रेड यूनियन, सेवा शर्तों का नियमन, वृद्धावस्था पेंशन योजना, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, बन्धित श्रम प्रथा उन्मूलन एवं बीड़ी एवं सिगरेट अधिनियम और उद्योगों में जो दुर्व्यवस्था है उसको समाप्त करना आदि अच्छे कार्य हैं और उनसे अच्छे कार्य हो रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक सुझाव यह देना चाहता हूं और माननीय ऊदल जी से भी यह कहना चाहता हूं कि वे कौन से क्रान्तिकारी कदमों की मांग कर रहे हैं और मंत्री जी कौन से क्रान्तिकारी कार्यक्रमों की घोषणा करना चाहते हैं। यदि वास्तव में वे कोई क्रान्तिकारी कदम उठाना चाहते ह तो उनका पहला कार्य यह होना चाहिये कि आप श्रमिकों के वेतन को प्राइस इन्डेक्स से जोड़ दें जिससे जो गेट्स पर नारे बाजी और आन्दोलन होते हैं, वे सब समाप्त हो जायें। दूसरा क्रान्तिकारी कदम प्रदेश और केन्द्रीय सरकार को यह उठाना चाहिए कि जो हमारी आरगनाइज्ड लेबर है उससे 8 गुनी लेबर हमारे गांवों में रहती है जिसको आर्गेनाइज्ड करने का किसी ने प्रयास नहीं किया है उसे आर्गेनाइज्ड किया जाना चाहिए। वे कितनी बुरी दशा में रहते ह, उनके पास न खाने को रोटी है, न रहने को मकान और न तन ढकने को कपड़ा ही है। वे हर तरह से परेशान रहते हैं। अगर आप वास्तव में कोई क्रान्तिकारी कदम उठाना चाहते हैं तो जो 8 गुनी लेबर जो देहातों में रहती है, उसको आर्गेनाइज्ड करके उनकी यूनियन बनवायी जाये ताकि वे भी आर्गेनाइज्ड हो सकें और उनकी सुचारु रूप से व्यवस्था चलने लगे। आज करोड़ों-करोड़ों मजदूर देहातों में बसते हैं।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि मैं चाहता हूं कि मजदूरों का बोनस, जो लाभ से जिस प्रतिशत से जुड़ा हुआ है, उसको बढ़ना चाहिए ताकि उनके खाने की ठीक से व्यवस्था हो सके। इस प्रतिशत को और हाई करना चाहिए। इस समय जो 8 1/4 प्रतिशत है वह कम से कम 10-12 प्रतिशत होना चाहिए। अगर लेबर और कपिटेलिस्ट में अच्छे सम्बन्ध नहीं रहेंगे तो देश और प्रदेश उन्नति नहीं कर सकता है और रोज झगड़ रहेंगे। इस समय हमारी कैपिटल का स्थान प्रथम है और लेबर का दूसरा। मैं चाहता हूं कि लेबर को प्रथम और कैपिटल को दूसरा स्थान मिलना चाहिए। बड़े-बड़े लेखकों ने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि लेबर को प्राथमिकता देनी चाहिए।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मजदूरों के लिए बहुत कुछ तो हो रहा है लेकिन आज भी वे बे घर हैं। गली कूंचों में रहते हैं। आज भी उनकी हाउसिंग प्रौब्लम को खतम नहीं किया जा सकता है। 1/8 हिस्सा भी काम नहीं हुआ है। हम भले ही विधायक या वकील हो गये हों लेकिन उसी मजदूर क्लास से उठ कर आये हैं, उसी बदतर क्लास से उठ कर आये हैं। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि मजदूरों की जो हाउसिंग प्रोब्लम है, उसको ओर उन्हें अवश्य ध्यान देना चाहिए। फैक्टरी के मजदूरों की समस्या तो क्या शिक्षित मजदूरों तक के लिये कोई इन्तजाम नहीं है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेन्ट के लिये जो मन्त्री जी ने कदम उठाया है उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं लेकिन यह हर इन्डस्ट्री में होना चाहिए।

*कुमारी सुमनलता दीक्षित--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने के लिए समय दिया। मान्यवर, हर विभाग में चाहे वह लेबर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का डिपार्टमेन्ट हो, चाहे उद्योग का हो, या कोई और हो, आपस में कोआर्डिनेशन होना बहुत जरुरी है। बिना इसके कोई काम ठीक तरह से नहीं हो पाता है। इस दृष्टि से श्रम विभाग का अपना अलग एक महत्व है। मैं कानपुर क्षेत्र से चुन कर आयी हूं जिसे औद्योगिक नगरी कहा जाता है और औद्योगिक नगर होने के नाते यह स्वाभाविक है कि वहां उद्योग और श्रम का सम्बन्ध अच्छा होना चाहिये। वहां पर सबसे ज्यादा श्रमिक रहते हैं और उनकी अपनी कुछ समस्यायें हैं जिनके बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं। सबसे पहले हमारे श्रम मन्त्री जी को उद्योग मन्त्री जी से मिल कर यह प्रयास करना चाहिए कि कानपुर में जो मिलें बन्द पड़ी हैं उनको शीघ्र चलवाया जायें ताकि बेकार श्रमिकों के लिये भूखों मरने की स्थिति पैदा न हो सके। दूसरा मैं सुझाव यह देना चाहती हूं कि हमारे यहां जो कुशल श्रमिक हैं, अर्ध कुशल श्रमिक हैं तथा जितने भी प्रकार के और श्रमिक हैं, उन सभी के लिये सुविधायें अधिक से अधिक देने का प्रयास किया जाना चाहिये।

आई० ई० एल० में हमारे यहां 11 श्रमिकों को बिना किसी कारण के निकाल दिया गया है, केवल विद्वेष के कारण अधिकारियों ने उनको निकाल दिया है, उनको सेवा में शीघ्र वापस लेने के लिये भी मन्त्री जी को कार्यवाही करनी चाहिये। मैं चाहूंगी कि वे कृपया बतायें कि इस सम्बन्ध में वे क्या करने जा रहे हैं। श्रम हितकारी केन्द्रों की व्यवस्था जो की गयी है यह हर्ष का बात है। मेरे क्षेत्र में एक श्रमिक केन्द्र है, मेरा निवेदन है वहां और अधिक श्रम हितकारी केन्द्र खोले जायें।

पर्वतीय विकास मन्त्री जी ने एक बात बतायी थी कि जोनसार भावर में बन्धुआ मजदूरों के लिये 60 हजार रुपया दिया गया था उसका दुरुपयोग हुआ है। उस ओर भी माननीय मन्त्री जी को प्रयास करना चाहिये और देखना चाहिये कि रुपये का दुरुपयोग न हो सके।

इन शब्दों के साथ में अनुरोध करूंगी कि आज पूज्य बापू के जन्म दिवस के पूर्व की सन्ध्या पर जो श्रमिकों के लिये बजट रखा गया है उस पर माननीय कमल जी अपनी कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें, उसमें और बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव करें और इस बजट को पास करें। इन शब्दों के साथ में इस बजट का हार्दिक स्वागत करती हूं और इन अनुदानों का समर्थन करती हूं तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

[अपराह्न 2 बजे]

श्री सरदार सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 33 सालों में श्रमिकों की गाढ़ी कमाई से पूंजी बढ़ी है। लेकिन माननीय मन्त्री जी तथा मन्त्री जी के विभाग के अधिकारी मैनेजमेन्ट तथा श्रमिकों के बीच जब भी कोई समझौता कराते हैं, तो उनका झुकाव मैनेजमेन्ट की तरफ रहता है। हमारे मथुरा जिले में तेल शोधक कारखाना बन रहा है। जब कभी मैनेजमेन्ट और श्रमिकों के बीच में झंझट पैदा होता है, हमारे श्रम विभाग के अधिकारी मजदूरों की मांगों की अवहेलना करते हैं और मालिकों की तरफदारी चूंकि मालिकों से उसको पैसा मिलता है गाड़ियां मिल जाती हैं इसलिये उनक

[श्री सरदार सिंह]

फेवर करते हैं। मान्यवर, मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आपके जो श्रम निरीक्षक और श्रम अधिकारी ह, उन्हे निर्देश दें कि वह मथुरा में मजदूरों की सुविधाओं का और उनके हितों का विशेष ध्यान रखें क्योंकि वहां पर छोटे-छोटे कारखाने हैं, होटल्स है, साड़ी के कारखाने हैं, जिनम छोटे-छोटे बच्चे काम करते हैं। उनका बहुत ज्यादा इक्सप्लायटेशन होता है। उनको दो-दो रुपये, 3-3 रुपये मजदूरी मिलती है। दूसरा ध्यान में, आपका वहां का जो रोजगार कार्यालय ह, उसकी तरफ विल ना चाहूंगा। मान्यवर, मथुरा रिफाइनरी तथा अन्य कारखाने बनने के कारण रोजगार ढूढ़ने वाले नौजवानों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस समय 27,507 वहां की संख्या है। मान्यवर, हमारे यहां बहुत से लोग, मथुरा रिफाइनरी में मजदूर व अधिकारी हैं उनमें से वह बहुत से बाहर के हैं। इन्टरव्युइंग आफीसर उन्हीं लोगों में से है, और वे अपने बच्चों का नाम रोजगार दफ्तर में लिखवा देते हैं। जब भी नया इन्टरव्यु होता है, तो हमारे लोकल व्यक्ति रह जाते हैं और जो उनसे रिलेटेड हैं, नाते-रिश्तेदार हैं, उनको नौकरी मिल जाती है। मेरा निवेदन है कि जब वह नाम दर्ज कराने आवें तो उनसे डोमीसाइल सर्टिफिकेट आपके अधिकारी मांगने का कष्ट करें। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मथुरा में रिफाइनरी में जो जो ट्रेड हैं या जो उससे सम्बन्धित कारखाने खुलने वाले हैं, अभी से आप वहां पर हमारे नवजवान बेरोजगार नवजवानों को प्रशिक्षण दें ताकि आगे उन्हें उनमें रोजगार मिलने में आसानी रहे जैसे मोटर मैकेनिक्ल, स्टेनो प्राफर्स या और भी अनेकों ट्रेड हैं, वे सब भी उस संस्थान में खोले जायं।

मान्यवर, कुछ दिन पहले आपके विभाग का एक लेबर इन्सपेक्टर मथुरा में था, उनके रेंजीडेंस के लिए और आफिस के लिए एक मकान था,

(इस समय 2 बज कर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र सिंह यादव पीठासीन हुए।)

जो बहुत ही अच्छा था। जब उनका स्थानान्तरण हुआ तो वह जिस हिस्से में रहते थे, उसको एक पूंजीपति को दे गये। इसलिए अब जो नये उनके स्थान पर आये हैं, उनको बड़ी असुविधा हो रही है। तो कृपा कर मा0 मन्त्री जी यह पता लगाए कि इन्सपेक्टर, श्री उपाध्याय ने जब डिपार्टमेंट ने उसे एलाट करा लिया था, तो उसे पूंजीपति को क्यों दिया? मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो माननीय ऊदल जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री जगदीश सिंह--

मान्यवर, मौजूदा हालत में जो श्रमिकों की समस्याएं थी उनको हल करने के लिए जो मा0 मुख्य मन्त्री जी ने कार्य किया है, वह सराहनीय है। और मैं आशा करता हूं कि जो भी कार्य करेंगे आप वह श्रमिकों के हित ही में कदम उठायेंगे और मान्यवर, वृद्धावस्था में पेन्शन के जो मसले थे, उ को मन्त्री जी ने 40 रु० से बढ़ाकर 50 रु० कर दिया है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। दूसरे इस ओर वृद्ध पेन्शनर द्वारा प्रयास के रूप में तमाम दस्तखत और रिपोर्ट कराई जाती थीं तो बहुत से पेन्शनर यह प्रयास और दस्तखत कराते-कराते गुजर जाते थे और अपने लक्ष्य से वंचित रह जाते थे। तीसरी बात मान्यवर यह है कि ग्राम के खेतिहर मजदूरों की स्थिति बहुत खराब है। सरकार की तरफ से इनको इतने कम पैसे मिलते हैं और जबकि सुबह से शाम तक इनसे भरपूर

काम लिया जाता है । और दिन भर के काम के हिसाब से उनको पैसे नहीं दिये जाते हैं । बल्कि उनका शोषण किया जा रहा है और जो फैक्ट्रीज हैं, बड़ी-बड़ी, इनमें जो लेबर आफिसर हैं । इनके द्वारा भी छोटे कर्मचारियों यानी मजदूरों का शोषण हो रहा है । मैं इस लिए आशा करता हूं कि हमारी सरकार इनकी समस्याओं को भी देखेगी और कोई हल शीघ्र ही निकालेगी । मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जो बजट अनुदान पेश किया गया ह श्रम मन्त्री जी द्वारा, उसका समर्थन करता हूं ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने जो 3 मिनट बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए जीवन में सर्वदा आपका आभारी रहूंगा । साथ ही मा0 श्रम मन्त्री द्वारा प्रस्तुत प्रदेश का श्रम अनुदान का समर्थन करते हुए वयोवृद्ध नेता श्री ऊदल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, श्रम शब्द का अर्थ जो है, वह बड़ा ही वृहद् है । जन जीवन में अगर श्रम नहीं है तो मैं समझता हूं कि श्रम के बिना इतिहास सूना है । समय मान्यवर, इतना थोड़ा है, फिर भी कुछ कहना ही पड़ेगा । आज हमारे तमाम सदस्यों ने कहा कि देश में क्रान्ति हो रही ह और इन 33 सालों में श्रमिकों के लिए क्या व्यवस्था की गयी । तो मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि मित्रवर इसमें जरा गहराई में जाकर देखें कि आजादी मिलने के बाद जिस देश में सुई तक बनाने का कोई कारखाना नहीं था, वहां आज ऐटम बम से लेकर राडार तक इन्हीं श्रमिकों के माध्यम से बनाया गया है । (शोर) बहुत कुछ बना है, इन श्रमिकों के ही माध्यम से । लेकिन जिस देश म पूंजी की उत्पत्ति ही न हो, वहां समाजवाद की कामना करना हमारी समझ में नहीं आता ।

मान्यवर हमारे एक मित्र ने कहा वह चर्चा पर बोलेंगे और बोलते चले गये । मैं कहना चाहता हू कि मैं समाजवादी हूं और मेरी व्यवस्था समाजवादी है । मैंने श्रमिकों को बहुत कुछ किय ह । सन् 1948 में श्रमिकों के लिये एक व्यवस्था दी, सन् 1940 में श्रम विभाग में ऊंचे पदों को सृजित किया गया । हमने श्रमिकों को बोनस, ग्रेचुटी, और वेतन तय किया । श्रमिकों का जीर्णोद्धार करने के लिये उनके मौलिक अधिकारों को दिलाने के लिये हमारी कांग्रेस सरकार ने, नेहरू के शासन में, उत्तर प्रदेश की हुकूमत में इसके लिये व्यवस्था दिया । मेरी समाजवादी व्यवस्था से श्रमिकों को कार्य संचालन में बराबर मदद मिलता रहा है । इस देश के श्रमिकों को जागरूक करने के लिये और उनके अधिकारों की रक्षा के लिये हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया । जिसकी कल्पना यह कागज पर करते हैं आप धरातल पर उतरिये और उन पुस्तकों को पढ़िये, जो हमारे हुकूमत ने इन्दिरा गांधी की हुकूमत न कांग्रेस की हुकूमत ने श्रमिकों के लिये किया । एक व्यवस्था जरूर चाहूंगा, यह सत्य है हमारे यह श्रमिकों की चार श्रेणी है । हमारे यहां स्किल्ड श्रमिक है अनस्किल्ड है आज उन श्रमिकों को वेजेज दिये जाते हैं वह उचित नहीं है । श्रमिक जो प्राफिट करता है मिल मालिक उसको खा जाते हैं । मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं आपने उनके साथ पुआल पर सोने का व्रत लिया है और आपने श्रमिक के बीच में कार्य किया है । मैं माननीय मन्त्री जी को और चीफ मिनिस्टर को इसलिये बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को श्रमिकों के बीच में केवल उत्तर

[डाक्टर बृजकिशोर मिश्र—]

प्रदेश में ही नहीं भारतवर्ष में श्रमिकों के बीच में उनका नेतृत्व किया है उनको इस विभाग को दिया है। इन्होंने उस समय श्रमिकों के बीच में काम किया जब उनका नाम लेने वाला उत्तर प्रदेश में कोई नहीं था। सारी व्यवस्था लालबत्ती बिगाड़ देती ह। अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे ऊबल भाई यह सही है कि गरीबों और मजदूर के नेता हैं हम यह उम्मीद करेंग हमारा जो अनुदान है निश्चित रूप से मैं समझता हूं श्रमिकों के लिये निहायत कम है इसलिय वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि मैंने मिल में मजदूरी किया है मुझे बोलने का मौका दिया जाय। मैं बोलना चाहता हूं क्योंकि अभी तक जो बोले हैं वह नता मजदूर नहीं है। मैं मजदूर मिल में रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

अभी दूसरा बजट आ रहा है उस पर बोल लीजियेगा।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, मुझे मौका दिया जाय मैं बोलना चाहता हूं।

श्री अधिठाता—

समय को आप बर्बाद न करें आप बैठ जायं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, मैं मजबूर रहा हूं मुझे बोलने का मौका दिया जाय। मैं आपका आभारी हूंगा और सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आप बैठ जायं।

श्री ऊबल—

मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण बजट पर अपन विचार प्रस्तुत किये। श्रीमन् अभी एक माननीय सदस्या ने कहा कि बड़ा शर्मनाक प्रस्ताव हैं, यह शर्मनाक नहीं है, यह शर्मनाक इसलिए नहीं है कि बेकारी महिलाओं में कितनी है अब मैं महिलाओं के सम्बन्ध में आंकड़े पढ़ रहा हूं--1901 म कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत 31·7 था और 1971 में वह 13·2 हो गया। मन्त्री जी पढ़े होंगे, उसमें अब घटते-घटते यह हो गया। 30 प्रतिशत से घट कर 17·3 प्रतिशत हो गयी। उद्योगों में घटकर 10 प्रतिशत हो गयी जब कि 13·2 प्रतिशत थी। नौकरी म 12 प्रतिशत थी और घटकर 9·4 हो गयी। इसलिए शर्मनाक नहीं है। सरकार का ध्यान आकृष्ट करन के लिए ही कह रहा हूं। अगर सरकार को दर्द हो तब तो ठीक है। मैं 2-3 बातों का जिक्र करना चाहता हूं--आपने जो जिक्र किया था श्रीमन्, ट्राइब्यूनल और लेबर कोर्ट का, तो बहुत से माननीय सदस्यों न जिक्र किया, उसका कार्य संतोषजनक नहीं है। उस पर विचार करने के लिए आपसे

प्रार्थना कर रहा हूं । श्रीमन् इसी सम्बन्ध में मजदूर बस्तियां, जो लेबर विभाग बनाता है, आपको, अभी कानपुर की सदस्या बोल रही थी, मैं आपके माध्यम से लेबर विभाग के बारे में कह रहा हूं, जितनी भी कालोनियां बनीं, मैं तो किदवई नगर कानपुर कालोनी जानता हूं, लेबरों को तो मिली नहीं, दूसरे प्राइवेट लोगों ने कब्जा कर लिया और सरकार ने उसे रेगुलाइज भी कर लिया । तो कम से कम सरकार जब उनके रहने की व्यवस्था करती है तो उनके रहने के लिए संरक्षण की जिम्मेदारी भी सरकार की है ।

मिनिमम वेजेजबोर्ड के बारे में अम्मार रिजवी साहब हैं । माननीय अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अम्मार रिजवी साहब ने खेतिहर मजदूरों के लिए सन् 75 में एक विधेयक पेश किया और पास किया गया मिनिमम वेजेज के लिए और वह लागू भी नहीं हुआ था, इस सदन में सर्वसम्मति से शायद पास हुआ । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने केबिनेट में निश्चय किया है कि खेतिहर मजदूरों के बारे में मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत एक विधेयक ले आने वाला हूं । जो रिजवी साहब ने पास कराया था, जिसको न आपने लागू किया न मोहन सिंह जी ने लागू किया, उसको लागू कर दें । खाली आश्वासनों से काम नहीं चलेगा । मिनिमम वेजेज ऐक्ट एक परिधि के अन्तर्गत आता है, जहां 10 या 20 मजदूर काम करते हैं एक कारखाने में, क्या आप जांच कराने के लिए तैयार हैं । मैं दावे के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि लेबर विभाग ने आज तक कतई ध्यान नहीं दिया । काम तो मजदूर करते हैं ज्यादा लेकिन उस तादाद में उनकी हाजिरी नहीं लिखी जाती है कम लिखी जाती है ताकि मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत न आ सकें । मेरा निवेदन है कि आप इसका सर्वे करायें । जो कारखाने चल रहे हैं उनमें मिनिमम वेजेज एक्ट के अधीन मजदूरों को सुविधा देने के लिए, उनकी हाजिरी कितनी कम लिखी जाती है इसकी ओर ध्यान देना चाहिये ।

आपने पुराने ट्रेड यूनियनों का जिक्र किया । आपने सब तरह की ट्रेड यूनियनों के नेताओं को बुलाकर बात किया, सब लोग सहमति प्रकट करते हैं । आज युग ऐसा ही है कि श्रम और उद्योग साथ-साथ रहें । किस तरह से दोनों की समस्यायें समन्वय से सद्भावना पूर्वक, आपसी मेलजोल से हल होती रहें, यह देखना है । मैं समझता हूं कि इसमें सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है । सरकार के लेबर विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है । लेकिन प्रश्न यह है कि क्या आप उनको निभा पायेंगे या नहीं । इसमें मुझे शक है । शक इसलिए है कि बहुत दिन से एक मार्टिन बर्न थी जिसमें कन्ट्रोलर था, वह लेबर कमिश्नर, लेबर सेक्रेट्री यहां तक मैं कह सकता हूं कि मंत्रियों को भी घास नहीं डालता था । बिड़ला साहब, टाटा साहब से आप कैसे निपटेंगे । यह आप सोचें ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने ट्रेड यूनियन हैं, उनके साथ आप भेद भाव की नीति न बरतें । सबको बुलाकर राय मशविरा के साथ समन्वय स्थापित करेंगे । मजदूरों के हितों को प्राथमिकता देकर किस तरह से मजदूरों को अच्छी तनख्वाह मिले, किस तरह से सुविधायें मिलें, बोनस मिले, महंगाई मिले, इस पर आप विचार करें । महंगाई 20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गई है । आंकड़े कहते हैं अखबार वाले रोज लिखते हैं, महंगाई बढ़ी है । दो रास्ते हैं । एक तो सामान सस्ती दिया जाये जब महंगाई बढ़ेगी तो सामान महंगा मिलेगा । तो महंगाई की इन्डक्स बढ़ेगी । उसके मुताबिक आपको महंगाई देने के लिए विचार करना पड़ेगा । रुपये की कीमत

[श्री ऊदल--]

घट कर अबतक हमारे ख्याल से 23-24 पैसे तक आ गयी है। महंगाई इतनी बढ़ी है कि कीमत एक चौथाई से भी कम हो गयी है। तो मैं समझता हूं कि मजदूरों के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। महगाई के इन्डेक्स के मुताबिक बोनस दिया जाये। बोनस एक्ट में प्राविधान है कि 8·25 प्रतिशत से कम न दिया जाये, अधिक दिया जा सकता है।

मैं मांग करता हूं कि जो उद्योगपति हैं, जो मिले हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा किया है। उनसे ज्यादा बोनस मजदूरों की सुविधा के लिए दिलाया जाये। उनके हिसाब किताब को देखने की व्यवस्था की जाये। उसमें किसी प्रकार की चोरी न करते पायें ताकि मजदूरों को 8·25 से ज्यादा बोनस मिल सके। एक बात और कहना चाहता हूं शासन ने निर्णय लिया था, जैसी मुझे जानकारी है कि इम्प्लायमेन्ट दफ्तरों में जो आपके ग्रजुएट इन्स्ट्रेक्टर हैं, आई० टी० आई० में उनको असिस्टेंट इम्प्लायमेन्ट आफसर बनाया जाये क्योंकि इससे जो आप टेक्निकल ट्रेनिंग देना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि ऐसे ग्रेजुयेटस बहुत से होंगे, और जो नान-टेक्निकल ग्रेजुयेट्स इंपलायमेन्ट अफसर और असिस्टेंट इम्पलायमेन्ट अफसर हैं वह इसको समझ नहीं पाते हैं इसलिये टेक्निकल लोगों को इम्पलायमेन्ट अफसर और असिसटेंट इम्पलायमेंट अफसर बनाना जरूरी है। शासन ने ऐसा निर्णय सन् 72-73 में लिया था लेकिन वह लागू नहीं हो सका। श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जितने मुकदमे आज पेंडिंग हैं लेबर कोर्टस और ट्रिब्यूनल्स में, अभी माननीय भगवती सिंह विशारद जी ने जिक्र किया, इनका निपटारा होना चाहिये। मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा मुकदमें इकठ्ठे हो गये हैं उनका निपटारा जल्दी से जल्दी आप करा दें तो मैं समझता हूं कि मजदूर आपके शुक्रगुजार होंगे। अन्त में मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं कि पूरे औद्योगिक क्षेत्र की जांच कराने के लिये और मजदूरों की हालत की जांच कराने के लिये एक आयोग का गठन सरकार करे ताकि प्रत्येक क्षेत्र चाहे वह सीमेंट उद्योग हो चाहे अल्यूमिनियम, बिजली, चमड़ा, शुगर या चाहे जो उद्योग हो उनकी जांच करने के बाद उनकी हालत का पता चल सके और इसमें क्या गुंजाइश है आज की पारिस्थितियों के मुताबिक उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं इसकी तरफ आज जाने की आवश्यकता है।

मान्यवर, एक बात मैं और मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मरने के बारे में, जन्म और मृत्यु के बारे में सूचना देकर रजिस्टर्ड कराया जाता है उसी तरह से जितने बरोजगार हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवायें। मेरे पास आंकड़े हैं, समय नहीं है, अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 15-20 फीसदी लोग ही रोजगार दफ्तर में जाकर अपना नाम रजिस्टर्ड करवाते हैं बाकी लोग अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं। इसलिये जैसे जन्म और मृत्यु को लिखा जाता है उसी तरह से हर बेरोजगार के अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होनी चाहिये। अन्त में मैं फिर मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा, माननीय सदस्यों और सभी को कष्ट हुआ होगा क्योंकि आज अखबार पढ़ने को नहीं मिला है। इसके बारे में आप कुछ कहने में सक्षम नहीं लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यह जो पालेकर साहब हैं, यह कहां से पाल पोस कर आप लाये हैं कि उनका जो एवार्ड है उसके बारे में इतना बड़ा प्रतिरोध पूरे हिंदुस्तान में आज हो रहा है। मैं आपके माध्यम से पुनः कहना चाहता हूं कि इसको आप रिजेक्ट करने की घोषणा करें, उत्तर प्रदेश की सरकार

इसको रिजेक्ट करने की घोषणा करें, सिफारिश न करें वह बंगाल में नहीं लागू होगा, केरल में नहीं लागू होगा। केरल म इसके पहले को सरकार ने रोजगार भत्ता दिया ह मैं चाहता हूं कि आप बेरोजगारी भत्ता देने की और पालेकर की रिपोर्ट रीजेक्ट करन की घोषणा करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं, यह शर्मना नहीं है बल्कि सरकार के बहरे कानों को खोलने वाला यह प्रस्ताव है। अगर सरकार के बहरे कान खुल जायेंगे तो मैं समझता हूं कि मजदूरों का हित हो जायगा।

श्री अधिष्ठाता--

श्रम मंत्री जी।

(श्रम मंत्री के खड़े होने पर)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट---

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता--

आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं। आप बैठें। (श्री जसन्त सिंह बिष्ट के बोलते रहने पर) आपका भाषण कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा। आप बैठ जायं।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट---

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें और मंत्री जी को जबाब देने दें।

श्रम मंत्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने श्रम विभाग के विविध कार्यालयों और पक्षों पर अपनी विविध प्रकार की राय दी है और उन पर विचार करके जो कार्यवाही उचित होगी वह की जायेगी। बहरहाल जो बात भाषणों में कही गयी उसमें कुछ अलंकारिक, कुछ रस्मी और कुछ साहित्यपूर्ण थीं उनका उत्तर देना आवश्यक हो गया है। मान्यवर, बारबार उस तरफ से हमको याद दिलाई जाती रही है कि 33 साल हम सरकार में रहे। उसमें 3 साल तो नहीं लेकिन 30 साल रहे किन्तु सौभाग्य से या दुर्भाग्य से 20 साल तक आप लोकदल के लोग भी हमारे साथ रहे हैं। 20 साल तक चौधरी चरण सिंह हमारे नेता रहे, उनका इस अवधि में कांग्रस पर तो असर पड़ा वह असर हमारे ऊपर कम धीरे धीरे हो रहा है। तो विगत 10 सालों में जबसे चौधरी साहब उधर चले गय पता नहीं उधर कौनसी क्रान्तिकारी भावना जागृत हो गयी है।

नोट :--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित---]

माननीय, इसमें कोई शक नहीं कि समाज के अंदर हमें मौलिक परिवर्तन लाना है । यह कार्य आसान नहीं होता है । हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं । पिछले 3 सालों में हमारे रास्ते में कौन से अवरोध खड़े किए गये, उनकी चर्चा हम यहां नहीं करना चाहते हैं । तीन साल की तकलीफें हम भूल गये ।

आज इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड के बारे में माननीया सुमनलता जी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया । एलगिन मिल नं0 2 के मजदूर नेताओं व मालिकों से हमारे विभाग के अधिकारियों के बीच बात होने वाली है, यह बैठक कल होने वाली थी, केबिनेट मीटिंग की वजह से पोस्टपोन हो गई । अब वह बैठक 4 तारीख को सुबह 11 बजे होगी । जिन विधायकों को एलगिन मिल के मजदूरों के मामले में दिलचस्पी हो वे मेरे कमरे में आ सकते हैं । मिल मालिक और मजदूर वहां पर होंगे । श्रीमन्, जेतली ने अकबरपुर की फैक्टरी के सम्बन्ध में हमारा ध्यान आकर्षित किय । उस तरफ भी हम ध्यान देंगे ।

ऊदल जी ने एक बात बताई थी कि हम महिलाओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं । वे आज महिलाओं के पक्षधर बन रहे हैं समझ में नहीं आता क्यों और कैसे । जो कमेटी महिलाओं की बनाई गई है उस में आप के शिष्य वासुदेव पांडे एक सदस्य थे उसकी प्रथम मीटिंग में नहीं पहुंचे ।

(व्यवधान)

उन के उत्तर में कह रहा हूं, आप का उत्तर बाद में । दूसरी बात यह है जिसे ऊदल जी ने नहीं कहा बनारस के छापेखाने और सिनेमा के मजदूरों की बात । मैं आप को बता दूं कि आप के चर्चा करने के पहले स्टडी ग्रुप एपाइन्ट कर दिया गया है । छापेखाने के और सिनेमा कर्मचारियों की समस्याओं पर सरकार में विचार हो रहा है । आप ने यद्यपि उनके बारे में कुछ नहीं कहा । मैं बनारस गया था । पहले ही मैंने आपके दोनों काम कर दिये । तब भी आप इस कटौती के प्रस्ताव के पीछे पड़े हैं । क्या बतायें ?

कुमारी अलमेलु अम्माल---

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बस्ती जिले में बालद्दरगंज चीनी मिल है, उस की क्या दशा है, इस के बारे में कुछ बतायें..

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित---

बहरहाल, मैं यह कह रहा था कि कुछ चीजें बुनियादी तौर पर मजदूर कानून के बारे में कही गयी हैं । मैं उस के बारे में यह कहना चाहता हूं कि अक्टूबर की 22, 23 और 24 तारीख को इन्डियन लेबर कान्फरेस होगी । उस में सभी दलों के ट्रेड युनियनिस्ट नेता रहेंगे, मालिकों और गवर्नमेन्ट के प्रतिनिधि भी होंगे । वहां पर उन प्रश्नों पर विचार होगा । इस समय इस सम्बन्ध में आपने जिन बातों को उठाया हैं वे वहां भी उठेंगी, उन पर हम अपना विचार वहां पर व्यक्त करेंगे और वहां पर उन पर लिया गया सामूहिक निर्णय भविष्य में आपके सामने आयेगा ।

जहां तक वर्किंग जर्नलिस्ट और पालेकर कमेटी की बात कही गयी कि उसके विरोध में कर्मचारियों ने अखबार नहीं छापा कि वह सब उस रैली के कारण हुआ जिसमें मैंने भाषण दिया था । कल मैं वर्किंग जर्नलिस्ट थी जो हड़ताल में थे, उनकी रैली में यह मन्त्री भाषण दे रहा था । जो मैंने पालेकर कमेटी के एवार्ड के

बारे में जो कुछ कहना था वह वहां कह आया । उसका थोड़ा सा अंश यहां पर भी कह डाला । वहां यदि आप आ गये होते तो मेरी पूरी बात सुन लेते । इसे स्पष्ट है कि हमारी सरकार कितनी सहानुभूतिपूर्वक और सम्वेदना के साथ समाचार-पत्रों पत्रकार व गैर पत्रकार कर्मचारियों का साथ दे रही है । हमारे माननीय रियासत भाई ने जो हमारे एक मित्र हैं कहा कि मंत्रिपद के साथ व्यक्ति बदल जाता है और मैं बदल गया हूं पक्षधर से आदमी निष्पक्ष कुछ बदल ही जाती होता हूं । यही मेरे साथ हुआ हम न्याय से लड़ रहे हैं । हम समस्याओं से लड़ रहे हैं । व्यक्तियों से लड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

(श्री श्याम लाल वाजपेयी के कुछ कहने पर) बाजपेयी जी मन्त्री जी को बोलने दीजिये ।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

आप भावनात्मक रूप से किसी पक्ष विशेष से बंधे हो तो मजबूरी है । निष्पक्ष रूप से यदि आप देखेंगे तो जानेंगे कि आपकी कई बात से सहमत हूं । इस लिए इस समय दो तीन बात आपके सामने लाना चाहता हूं । शायद मजदूरों के हितैषियों ने इस बात पर ध्यान न दिया कि सरकार ने 6 सितम्बर का एक ऐसी ट्रिपार्टाइट कान्फरेंस की थी, जिसका सम्बन्ध इंजनियरिंग के मजदूरों से था । आजाद हिन्दुस्तान का पहला यह त्रिबलीय सम्मेलन था जिसमें फ्लोर आफ दि हाउस पर मालिकों व मजदूरों के बीच एक समझौता हुआ, इंजीनियरिंग वर्कर के लिए 25 रु0 प्लस एक रुपया फी प्वाइंट इंडेक्स के हिसाब से महंगाई यह देखकर कि इनवयस जुलाई से अक्तूबर तक कितना बढ़ा है देय हो गया वह समझौता फ्लेर आफ दि हाउस पर हुआ ।

जो लोग अखबार पढ़ते हैं, उन्हें मालूम होगा कि बीड़ी, सिगार बनाने वाले गरीब मजदूरों की तनख्वाह हमने बढ़ाई । हथकरघा उद्योग में लगे हुए मजदूरों के भी वेजेज रिवाइज की गई हैं । जो साबुन इत्यादि बनाने वाले लोग हैं, उनके कर्मचारियों की भी वेजेज बढ़ी हैं । सुगर की ट्रिपटीइट कनफारेंस 13-14 अक्तूबर को नैनीताल में होने वाली है अनेक उद्योगों के इसी प्रकार त्रिदलीय सम्मेलन होने वाले हैं । उसमें अप सभी लोगों से प्रतिनिधि आवेंगे । वहां व अपनी बातें रखेंगे । उन पर विचार करने के बाद जो सामूहिक रूप से निश्चित होगा उसको कार्यान्वित करने में यह सरकार पीछे नहीं रहेगी यही हम इस सन्दर्भ में कह सकते हैं । हम विश्वास चाहेंगे कि हमारे इस आश्वासन को कि त्रिदलीय सम्मेलन में जो भी प्रतिनिधि आयेंगे, वे जो भी निर्णय करेंगे उसको सरकार कार्यान्वित करेगी, मानें और हम यह भी चाहेंगे कि आप अपने प्रतिनिधियों पर विश्वास करें । इन शब्दों के साथ में आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कृपा करके अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लें और हम को उस समाज को स्थापना करने में सहायता करें जहां मजदूर और मालिक के बीच विद्यमान खाई अन्तर्मेन्ट की खाई मिट जाय । हम मिटाना उसे चाहते हैं । मजदूर व मालिकों को साथ काम करने की जम्मेदारी देकर उसे आग मिटाना चाहते हैं उन्हें लड़ा कर । अन्तर हम आप में केवल इतना ही है यह है । आपसे एक बार पूछकर अनुरोध करते हैं कि आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

कुमारी अलमेलु अम्माल--

हमारा जवाब नहीं आया ।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

जो कारखाने दालटरगंज और बस्ती के हैं, दोनों इस सीजन में चलेंगे ।

कुमारी अलमेलु अम्माल--

मंत्री जी को और सरकार को बहुत धन्यवाद ।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

हम आशा अरते हैं कि आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे । कम से कम आज तो ले लें ।

श्री अधिष्ठाता--

ऊदल जी, आप कटौती के प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री ऊदल--

नहीं, मान्यवर ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,58,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45--श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45--श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,75,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 58--खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान संख्या 97--खाद्य तथा 259
रसद विभाग पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 127--खाद्य तथा
रसद विभाग-ऋण और अग्रिम

अनुदान संख्या 58--खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान संख्या 97--खाद्य तथा रसद विभाग पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 127--खाद्य तथा रसद विभाग-ऋण और अग्रिम

*राज्य खाद्य मंत्री (श्री अजीत सिंह सेठी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,04,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 97--खाद्य तथा रसद विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 71,95,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 127--खाद्य तथा रसद विभाग ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 25,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, इस युग के प्रहरी महात्मा गांधी ने एक स्थान पर कहा था कि यह सिविल सप्लाई विभाग जो है असल में यह सिविल सर्विस विभाग है । अब मैं सिविल सर्विस विभाग का, उनके कहने के मुताबिक प्रथम सिपाही बन कर आया हूं और जब तक यह सारा सदन सिपाही के रूप में सहायक नहीं होगा तब तक, नामुमकिन तो नहीं कहता कि समस्यायें खत्म हो जायं, लेकिन मुश्किल जरूर है । इसलिए सर्व प्रथम तो मैं यह चाह रहा हूं कि जो कुछ इस पर चर्चा होगी वह अत्यन्त मिठास तथा प्यार के साथ हो ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश आजकल अनेकों खाद्यानों की समस्याओं में जकड़ा हुआ है । इसका प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से इससे छुटकारा पाया जाय । हमें इस वक्त की खुशी है कि हमारे पास श्रीमती इंदिरा गांधी का नेतृत्व है और उसके साथ ही साथ एक कर्मठ मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की हमें रहनुमाई प्राप्त है । इसलिए हमें विश्वास है कि हम एक खुशहाली के मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

क्या इसी खुशी में 15 रुपये प्रति किलो चीनी बिकवा रहे हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अजीत सिंह सेठी--]

जहां ईमानदारी से काम होगा वहां कुदरत भी समस्याओं के हल करने में हमारा सहयोग देगी । मैं समझता हूं कि--

फिजाँ का दौर है लेकिन मेरा यह अजम कहता है,
मैं इनपामाल जर्रों को बरक्षं करके छोड़ूंगा ।

हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी समस्यायें हल होंगी । सब से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि जब से इस सरकार ने प्रदेश की बागडोर सम्हाली है और उसके बाद जो रूपरेखा हमने देखी वह यह थी कि उस समय की जनता सरकार ने इस प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को डायलिसिस पर रख दिया था इसी चिन्ता पर खींचतान होता रही । उन्होंने सारी व्यवस्था को दरहम-बरहम कर दिया । किसानों ने जो हजारों एकड़ गन्ना बोया था उसका कोई पुरसाहाल नहीं हुआ । उस वक्त हालत यह थी कि चारों तरफ चोर बाजारी, मुनाफाखोरी इत्यादि का बोल बाला था । इन सब चीजों से निपटने के लिए और छुटकारा पान के लिये हमने कदम उठाये जिनसे कि लोगों को कुछ राहत नजर आई । आज परिस्थिति सामन है कि हमारे सामने मुख्य मंत्री जी ने बड़ी हिम्मत के साथ काम लिया और यह प्रण किया है कि हम आज जनता की बहबूदी के लिये पूरी कोशिश करें और हिम्मत के साथ ऐसी चीजों का सामना करें । इसी बात को ध्यान में रखते हुये हमने जगह-जगह पर छापे मारने की कोशिश की । उन्होंने खुद जाकर छापे मारे और उनके साथ हमारा विभाग भी कदम पर कदम चलाकर आगे बढ़ रहा है । मान्यवर, मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर दूं कि प्रदेश में 10,663 छापे मारे गये । इनमें से 810 लोग गिरफ्तार किये गये तथा 663 लोगों को निलंबित किया गया और जो माल पकड़ा गया वह 1,31,49,880 रुपये की कीमत का था । अभी विभाग इसी तत्परता में लगा हुआ है और अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है । यह अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक प्रदेश में पूरी तौर पर यह चीज समाप्त न हो जाय हम इन खुड़पेंच करने वाले अफसरों और कर्मचारियों के सामने जल्लाद की तरह खड़े होना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि यह बड़े हर्ष की बात है कि कितनी ही कठिनाइयां हमारे सामने आयी हैं मैं दृढ़ता के साथ कह रहा हूं कि हमने प्रण किया है कि इस क्षेत्र में आगे बढ़कर जब तक हमारे मुखड़े पर मुस्कराहट नहीं आयेगी तब तक हम दम नहीं लेंगे । मान्यवर, प्रदेश के बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बहुत बड़ा प्रयास किया गया है । यद्यपि यह अनाज पहुंचाने का कार्य भारतीय खाद्य निगम का है फिर भी यह देखते हुये कि उनके द्वारा अनाज पहुंचाने के कार्य में तत्परता नहीं दिखाया जा रहा है, प्रदेशीय सरकार ने इस कार्य को अपने हाथों में लेकर आपूर्ति सुनिश्चित की है । प्रदेश के पूर्वी जिलों में विशेषरूप से वहां पर जहां मीटर गेज लाइन पड़ती है प्रदेश सरकार ने लम्बे मार्ग से माल भिजवाया है ।

पिछले साल सूखे के बाद खुले बाजारों में खाद्यान्नों के मूल्य में जो वृद्धि हुई उस पर काफी सीमा तक अंकुश लगाया गया और उसमें प्रदेश सरकार को सफलता मिली है । जहां तक गेहूं और चावल का प्रश्न है सामान्यतः उनकी उपलब्धि सारे प्रदेश में इस समय ठीक है आज गेहूं और चावल अच्छी तरह से उपलब्ध हो रहा है ।

मान्यवर, चीनी की जो आज सबसे बड़ी समस्या है उसके मुतल्लिक मैं कहना चाहता हूं कि चीनी एक तो कोटा के आधार पर राशन की दुकानों पर

दी जाती है । भारत सरकार जो हमें देती है उसे हम राशन की दुकानों से बेचते हैं । इसमें सबसे बड़ी समस्या देहातों की आई, हमें पता लगा कि देहातों में चीनी नहीं मिल पाती है इसीलिए कैबिनेट ने निर्णय लिया कि देहातों को चीनी जरूर दी जायेगी । इस पर फैसला लिया गया कि हैडक्वाटर पर एजेंटो को नहीं दी जायेगी क्योंकि रिपोर्ट आई कि एजेंट हेडक्वार्टर से उठाकर शहर में ही चीनी बेच जाते हैं और देहात में खाली हाथ पहुंचते हैं। तो ब्लौकस्तर पर इसे पहुंचायेगे इस पर हमारा कुछ खर्च आयेगा । एजेंटों की शिकायत रहती थी थी कि उनका मार्ग व्यय ज्यादा हो जाता है इसलिए मुनाफा कम हो जाता है । मुझे खुशी है कि इससे अब देहात के स्तर तक चीनी पहुंचेगी । ब्लाक स्तर से एजेंटों को चीनी का वितरण किया जायेगा । इससे समस्या हल हो जायेगी । यह काम नवम्बर में शुरू हो जायेगा। दूसरा फ्री सेल के लिए हमें दो महीनों लिए अक्तूबर और सितम्बर के लिए 12830 टन चीनी मिली है जिसका वितरण हम मारकेट में कर रहे हैं इसके लिए हमने पी० सी० एफ० को लिया है फ्रीसेल के लिए हमें मिलों से तथा बन्दरगाहों से उठाकर मुख्यालय तक पहुंचाने है । इन दोनों को मिला कर मूल्य फिक्स किये हैं उनको पूल किया गया है पी० सी० एफ० होलसेल में व्यापारियों को देगा। हम वह काम नहीं करेंगे जो श्री मोरारजी देसाई ने किया हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया । हम इसमें महसूस कर रहे हैं कि जितना सहयोग हमें मिलना चाहिये था उतना नहीं मिल रहा है । फिर भी आग जब जलती है तो उससे थोड़ा धुंवां निकलता है थोड़ी हमें कठिनाई है लेकिन वह दूर हो जायेगी । फ्री सेल में हम साढ़े 6 रु० की चीनी बेचेंगे जब कि वर्ल्ड मारकेट इस समय 18 रु० का है । यह एक चमत्कारी बात है जिससे रोशनी निकलेगी, उससे धुवां भी निकलेगा, हमें यकीन है कि वह धुंवां छंट जायेगा । यह बात नहीं है कि चीनी नहीं बट रही है, जो कठिनाई है वह दूर हो जायेगी ।

माननीय, मिट्टी तेल और डीजल के मुतल्लिक थोड़ा सा कहना चाहता हूं । इसका इस समय कोई अभाव नहीं है जो हमारे उपभोक्ता हैं, उनको सामान मिल रहा है । लेकिन मैं उनसे यह अपील करना चाहता हूं कि जो उपभोक्ता अपनी जरूरत से ज्यादा सामान लेकर रख लेते हैं उससे भी थोड़ी कठिनाई हो जाती है वह भी जमाखोरी की शक्ल बन जाती है और वितरण प्रणाली दरहम बरहम हो जाती है । डीजल के वितरण में पिछली दफा कुछ अनियमितताएं हुई उसके लिए हमने महसूस किया है कि जिस तरह से मिट्टी तेल के लिए लाई से लेना आवश्यक है उसी तरह का हमने कानून बनाया है कि डीजल वालों को भी लाईसेंस लेना होगा उसके लिए जमानत के रूप में रुपया जमा कराना होगा । जब यह कानून लागू हो जायेगा तो काफी अंकुश लग जायेगा । अपराह्न 3 बजे मैं व्यापारियों से बिलकुल खुलकर कहना चाहता हूं कि हम ईमानदार व्यापारियों के साथ हैं, लेकिन बेईमान व्यापारियों के साथ भी अपनी शक्ति का प्रयोग करना जानते हैं, जैसे अन्य कामों में करेंगे । जहां तक सीमेंट के मसले की बात है, उसका उत्पादन पिछले वर्ष बिजली की कमी के कारण बहुत कम हुआ था, जिससे इसका यहां अभाव बना रहा । उसकी कमी को दूर करने का हमने पूरा प्रयास किया है और मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रयासों के द्वारा भारत सरकार पर यह जोर डाला कि हमारे यहां बाढ़ ग्रस्त एरिया होने के कारण अधिक सीमेंट मिले । हमारी प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार करके हमें 1 लाख टन अतिरिक्त सीमेंट मिली है । उससे बाढ़ग्रस्त इलाकों

[श्री अजीत सिंह सेठी--]

को राहत मिलेगी । बाकी सीमेंट में हमने इसकी वितरण प्रणाली में सुधार किया है मैं समझता हूं कि सदस्यों को अब इसकी शिकायत नहीं मिलेगी....

श्री रामआसरे वर्मा--

ऐसा लगता है कि सेठी जी अपनी पिछली और अगली बातों को भूल रहे हैं ।

श्री अजीत सिंह सेठी--

अब स्लैक-कोक के बारे में यह कहना चाहता हूं । इस पर से नियन्त्रण अब सरकार द्वारा हटा लिया गया है । क्योंकि यह कोयला ट्रेन के द्वारा न आकर प्रायः ट्रकों द्वारा ही आता था जो समय पर नहीं आ पाता था तथा दूसरी भी दुश्वारियां थी । अब इस पर से नियन्त्रण हटा लिया गया है जिससे यह ईट भट्ठे वाले तथा दूसरे जरूरतमंद लोगों को आसानी से और समय पर प्राप्त हो सके और हम इन्हें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं । जहां तक सापट कोक का सम्बन्ध है, जो घरेलू इस्तेमाल का कोयला है । इसके बारे में एक योजना बनाकर हमने भारत सरकार को दी है, जिसे उन्होंने माना भी है । तदनुसार गाजीपुर, लखनऊ, रामपुर और मेरठ में इसके लिए भारत सरकार द्वारा चार डम्प खोलने का निर्णय लिया गया है । प्रत्येक डम्प से हम सम्बन्धित कुछ जिलों को कोयला देंगे । इस योजना के अधीन हम पूरे उत्तर प्रदेश में कोयले की भलीभांति सप्लाई कर देंगे ।

सब खाद्यानों के क्रय के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं । पिछले वर्ष धान की फसल कम होने के कारण उस पर 10 प्रतिशत केवल लेवी लेकर काम किया गया । उस वक्त हमें धान लेने की जरूरत नहीं थी, उस समम किसान को हमारी सहायता की जरूरत नहीं पड़ी । किन्तु इस बार हम महसूस करते हैं कि धान की फसल प्रदेश में बहुत अच्छी आने वाली है । इसलिए हम किसान के साथ खड़े होना जानते हैं और खड़े होने के लिए तैयार हैं । हम उसे उसकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए तत्पर हैं, उनका सीधे धान खरीदा जाएगा । हम आम बाजार में उसके धन को खरीदेंगे । यदि धान की फसल हल्की हुई और धान अधिक मात्रा में ऊंचे मूल्यों पर बिका तो हम मिलों पर लेवी की तरफ जाएंगे और गेहूं की तरफ उस पर भी हम काम करेंगे ।

गेहूं के प्रति मैं यह कहना चाहता हूं कि गेहूं का प्रोडक्शन पिछली बार सूखे के कारण कम हुआ था । 5.20 लाख टन की हमारी कुल खरीद हुई थी । लेकिन मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि हमारे सामने कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि मूल्य संरक्षण को कम कर दिया गया हो या कहीं से किसान को वापस कर दिया गया हो । यह जरूर है कि भारत सरकार की कटौती हो जाने के कारण अब मिलों को कम मिलने लगा है । हमने यह भी अंकुश लगा दिया कि प्रदेश के बाहर में जाए । आने वाले त्यौहारों के मौके पर हम जनता को रवा, मैदा आदि पूरी तादाद में देना चाहते हैं, इसकी कमी नहीं रहने दी जाएगी । अब मैं विभाग के बारे में थोड़े में कुछ कहना चाहता हूं । हमारे विभाग में कर्मचारियों के स्थायीकरण का मुख्य काम काफी तीव्रगति से इन दिनों हो रहा है । वरिष्ठ हाट निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची भी तैयार कर दी गई है और लोक सेवा आयोग से बराबर हमारा सम्पर्क बना हुआ है कि जिससे जल्दी ही हम इस सूची को घोषित कर दें ।

अनुदान संख्या 58--खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान संख्या 97--खाद्य तथा 263 रसद विभाग पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 127--खाद्य तथा रसद विभाग ऋण और अग्रिम

हमारे विभाग में जो कर्मचारी हैं, इमानदारी तरीके से हमारा साथ देते हैं, उनको हर प्रकार की सुख सुविधा देने के लिए सरकार तयार है लेकिन जो सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, उनके साथ हमारा कठोर रुख होगा और अगर वे दोषी पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाही की जायगी ।

जहां तक हमारा रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट है उसमें भी हम आवश्यक संशोधन करने जा रहे हैं और वे संशोधन विधेयक के रूप में अगले सत्र में पेश किए जायेंगे ।

इन शब्दों के साथ में अपने अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58-खाद्य तथा रसद विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 97-खाद्य तथा रसद विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 127-खाद्य तथा रसद विभाग-ऋण और अग्रिम के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, खाद्य तथा रसद का सम्बन्ध इस प्रदेश में बसने वाले हर नर, नारी और बच्चों से सम्बन्ध है। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में जिन-जिन नीतियों का वर्णन किया है, जिन बातों को वे लागू करना चाहते हैं, और जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका प्रबन्ध और वितरण करना चाहते हैं उनके बारे में मुझे जो बातें कहनी हैं, उनको आप यह न समझें और सोचें कि वे केवल आलोचना मात्र है । आलोचनाओं के साथ-साथ में यह अवश्य कोशिश करूंगा कि आपको कुछ रचनात्मक सुझाव भी दे सकूं जिससे इस प्रदेश में 10 करोड़ बसने वालों का कल्याण हो सके ।

मान्यवर, उत्पादकों के हित के लिए आपने जो मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत नीति बनाई है, उस नीति से जब उत्पादन कम होता है तो कम गल्ला खरीद पाते हैं । आपने स्वयं एस बात को तसलीम किया है कि पिछले वर्ष सूखा पड़ने के कारण जिन क्रय केन्द्रों पर गल्ला कम आया था, धान की फसल में आपने 60 और 40 प्रतिशत की लेवी को घटाकर 10 प्रतिशत किया था । इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न की कमी रही । मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि आप जो मूल्य समर्थन नीति के अन्तर्गत खरीद करते हैं, इसको बढ़ाना होगा । यदि आप चाहते हैं कि आपकी आवश्यकता पूरी हो सके और प्रदेश में रहने वाले सभी भाइयों और बहनों को खाने के लिए अनाज मिल सके तो आपको निर्धारित समर्थन मूल्य में संशोधन करना पड़ेगा जिससे उत्पादक को उसके

[श्री अकबाल हुसैन---]

उत्पादन मूल्य से अधिक दाम मिल सके । अगर आप समर्थन मूल्य बढ़ाकर खरीदेंगे तभी आपको आवश्यकतानुरूप खाद्यान्न मिल सकता है । नतीजा यह होता ह कि आपको समर्थन मूल्य 95 रुपये पर गेहूं नहीं मिलता । बिचौलिये उससे अधिक मुल्य पर उसको खरीद लेते हैं और तब तक उसे दबाये रखते हैं जब तक कि उसका अभाव बाजार म नहीं हो आता, अभाव होने पर जब दाम बढ़ जाते ह तब वह मंहगे दामों पर बाजार में गेहूं बिकता है । इससे मूल्य बढ़ते हैं, मंहगाई बढ़ती है, जनता का नुकसान होता है और यह बिचौलिये आपकी नीति को ही असफल कर देते है । इसलिए मेरा निवेदन हे कि आपको मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत इस बात को भी देखना होगा कि उसका लागत मूल्य क्या है और उसी को ध्यान में रख कर कब आप समर्थन मूल्य निर्धारित करेंगे तभी आपको अनाज मिलेगा और किसान का भी आप भला कर पायेंगे ।

मैं सोचता था कि माननीय मन्त्री जी अपने भाषण में प्रदेश के खाद्य एवं वस्तु निगम लिमिटेड के बारे में भी कुछ कहेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है इतने महत्वपूर्ण निगम के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा । मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि अक्तूबर, 1974 में जब इस निगम की स्थापना हुई थी तो इस निगम को व्यापार करने के लिए 1 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन इस प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि सरकार की गलत नीति के कारण 50 लाख रुपया ही व्यापार करने के लिए दिया गया । इस निगम के अधीन 69 हजार जनता स्टोर्स खुले हैं जो विशेष कर बुन्देलखंड, पर्वतीय क्षेत्र और पिछड़े क्षत्रों में खुले हैं । इस प्रदेश में अभी भी बहुत से ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जहां यह स्टोर्स नहीं खुले हैं, वहां पर शीघ्र इनको खोला जाये क्योंकि माननीय नता सदन ने अपने बजट भाषण में तथा महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण मे क्षेत्रीय असमानता को दूर करने की बात कही है । अतः जिन क्षेत्रों में कन्ज्यूमर्स स्टोर्स नहीं खुले हैं वहां खोल कर क्षेत्रीय असमानता को दूर किया जाना चाहिये ।

आपके इस निगम के अन्तर्गत कुछ और स्टोर्स खुलने हैं । मेरा निवेदन है कि इनको वहां पर खोला जाये जहां पर अभी तक कोई कन्ज्यूमर्स स्टोर नहीं खोले गये हैं ।

मान्यवर, बड़े शर्म के साथ हमको इस बात को इस सदन के सामने कहना पड़ता है कि आज इस देश में आजादी के 33 साल बाद भी काला बाजारी करने वाले, मुनाफाखोरी करन वाले लोगों का बाजार गर्म है । मान्यवर, मुझको बहुत अफसोस के साथ इस स्कैंडल का इस सदन में बड़े अफसोस के साथ रजा हुसैन त्यागी परमिट स्कैंडल के बाबत कहना पड़ता है । मान्यवर, अभी अखबार के पन्ने भी धूमिल नहीं हुए होंगे, आपने जब सत्ता सम्भाली थी, आपने यह आश्वासन दिया था और माननीय मन्त्री जी यह तस्वीर भी आप देखते होंगे, यह वही तस्वीर है, यह वही चुनाव चिन्ह है जिस चुनाव चिन्ह पर आपने वोट प्राप्ति करके यह सरकार बनाई है और आपको पार्टी की प्रधान मन्त्री जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की यह तस्वीर ह । माननीय मन्त्री जी मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन घोषणापत्रों के आधार पर आपने वोट प्राप्त किया था और यह सरकार बनाया था, मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन नीतियों को यहां पर इस प्रदेश में साकार करें । उन नीतियों को यहां पर लागू करें । आपने वादा किया था कि यहां पर आवश्यक वस्तु, यहां पर बसने वाले लोगों को उपलब्ध

करायेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने वायदा किया था, आपके नेता ने वादा किया था, आपकी पार्टी ने वादा किया था कि आपकी सरकार बनेगी तो ऐसी व्यवस्था करेंगे जिनके तहत आवश्यक वस्तु यहां के रहने वाले नर-नारियों को उपलब्ध करायेंगे। मान्यवर, यह जो लाइसेंस कोटा का धंधा है, रजा हुसैन त्यागी स्कैंडल जिसमें आपने देखा होगा कि इस प्रदेश के बड़े-बड़े अधिकारी, कुछ विधायकगण कुछ माननीय संसद सदस्य, कुछ माननीय राज्य मन्त्री, इन लोगों की भी संस्तुतियां उस काले बाजार करने वाले रजा हुसैन त्यागी के दफ्तर से और उसके कब्जे के प्राप्त हुए हैं। मान्यवर, आपकी सरकार के जो भागीदार हैं वह इस तरह से प्रोत्साहन देंगे, तो मैं निश्चित रूप से यह कहता हूं कि यह काला बाजारी का धंधा कभी खत्म नहीं हो पायेगा। आपने बड़े गर्व के साथ कहा था कि वितरण प्रणाली में आपने सुधार किया है। आपके नेता सदन ने कुछ छापे डाले तथा कुछ और छापे डाले गये जिनके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। आपने 13743 छापे मारे। उसमें से 1029 व्यक्तियों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कराया। इसके अन्दर जितनी एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई जाती है वह काग्नीजेबिल अफेंस होती हैं, उनको आप फौरन गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर आप इस कालेबाजार को खत्म करना चाहते हैं आपकी नेक नियती इसमें थीं, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब 1029 व्यक्तियों के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 लिखाई, तो 215 बाकी लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की। उनको क्यों नहीं बन्द किया। मान्यवर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस युग में जबकि आवश्यक वस्तु की कमी है हमारे प्रदेश में तो जब उन कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज होती है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। और उन 215 व्यक्तियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। माननीय मन्त्री जी ने शायद इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जिन लोगों ने कालाबाजारी की, जमाखोरी की, आवश्यक वस्तुओं के बिना किसी आदेश के मनमाने दाम बढ़ाये और अगर इन लोगों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करायी गयीं तो माननीय मंत्री जी आप या आपके विभागीय अधिकारियों ने अब तक ऐसे लोगों के हाथों में हथकड़ियां क्यों नहीं डालीं ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अभी आप कितना समय और लेंगे ?

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, अभी केवल 10 मिनट का समय और लूंगा। मान्यवर, सीमेंट के बारे में जैसा कि मन्त्री जी ने बताया की सीमेंट के वितरण को 1 जनवरी, 1979 से अपने अपने हाथ में ले लिया है और इससे पहले जब तक यह दुकानदारों के पास था, तब तो यह कहा जा सकता था कि इसकी जिम्मेदारी कालाबाजारी की आप पर नहीं था। लेकिन जब से सीमेंट का वितरण सरकार के हाथ में आया है और अगर अब इन वस्तुओं की कालाबाजारी होती है, जमाखोरी होती है, तो इसका उत्तरदायित्व आप के ऊपर है। तो मान्यवर, आपके शासन काल में कंट्रोल रेट 30 रु0 बोरी के बजाय 40 और 50 रु0 तक बिके तो इन सब बातों की जिम्मेदारी आप पर है। अगर आप वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने चाहते हैं वैसे मैं यह नहीं कहता। माननीय मन्त्री जी ने यह जो

[श्री अकबाल हुसैन---]

अनुदान की मांग की है, वह तो इनको मिल ही जायगी, क्योंकि मेजारिटी में हैं तो इस सिलसिले में एक सुझाव देना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी को कि जितने भी राशन कार्ड्स हैं, उन सब की व्यवस्था मंत्री जी अपनी देख-रेख में स्वयं कराएं और जितने भी कार्डधारक हैं, उनके मुखिया का फोटो उस पर छपा होना चाहिए, ताकि उससे गलत लोगों में वितरण न हो सके, और उसकी काला-बाजारी न हो सके । फर्जी इन्ट्री करके दुकानदार कालाबाजारी करता है, इन सारी तभी गड़बड़ियों पर काबू पाया जा सकता है ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य आप 5 मिनट में अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री अकबाल हुसैन---

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि शक्कर का वितरण बजाए एफ0 सी0 आई0 के द्वारा विकास खण्डों द्वारा किया जायेगा । इसी तरह से इस ओर भी कोई कदम उठायें तो समस्या का कोई हल निकल सके, दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने मिट्टी के तेल के बारे में बताया कि इस प्रदेश में 50 हजार मीट्रिक टन मिट्टी के तेल की अवश्यकता है । इस आवश्यकता को माननीय मन्त्री जी आपने स्वयं कबूल किया है । लेकिन आप दे कितना रहे हैं प्रदेश को केवल 27·400 हजार मीट्रिक टन । यानी मांग का आधा दे रहे हैं । जब आप मांग का आधा दे रहे हैं तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि खपत का आधा जब दिया जयेगा तो पब्लिक में इसकी मांग बढ़ेगी और जब मांग बढ़ेगी तो कालाबजारी भी बढ़ेगी, तो यह आपकी नीति है । मान्यवर, बड़े संक्षेप म अपनी बात को रखना चाहता हूं कि इन कालाबाजारी और जमाखोरों को अप्रैल, 1979 से दिसम्बर, 1979 तक 144 को गिरफ्तार किया गया जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या आपने 199 दी है तो जिसमें से 144 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया इसमें से 55 आपके ऐसे दुलरुये थे जो आज भी कानून की गिरफ्त के बाहर हैं । उन पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है । इन 55 व्यक्तियों को जिनके विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 हैं उनको गिरफ्तार कराने की मंत्री जी व्यवस्था करें । मान्यवर, यह खुशी की बात है कि जून 1974 में खाद्य एवं रसद विभाग में पुलिस सेल का गठन हुआ इसमें एक पुलिस उप महा निरीक्षक, 1 पुलिस अधीक्षक 3 उप पुलिस अधीक्षक, 1 अभियोजन अधिकारी, 5 निरीक्षक, 2 हेड कान्स्टेबिल और 2 कान्स्टेबिल । मान्यवर, इतने बड़े प्रदेश के लिए मान्यवर, यहां पर कन्ट्रोल करने के लिए यह संख्या बहुत कम है, यह नाममात्र की है, इससे आप कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इसने 78-80 में 50 जांच की है, मैं कहना चाहता हूं कि उन 50 जांचों में अधिकारियों और कमचारियों के खिलाफ गम्भीर अनियमितता पाये गये हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश की है । अगर आप चाहते हैं कि आपके विभाग की व्यवस्था सुधरे तो जांच में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को गलत तरीके से गलत काम करते हुये जो पाये गये हैं, उनके खिलाफ अभी इसी सदन में कड़ी कार्यवाही करने की घोषणा मंत्री जी करें। मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ में अपने कटौती के प्रस्ताव को बल देता हूं और निवेदन करता हूं कि सभी सुझावों पर आप गम्भीरता से विचार करें ।

एक सदस्य---

पुलिस के आंकड़े गलत हैं ।

अनुदान संख्या 58--खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान संख्या 97--खाद्य तथा 267 रसद विभाग-पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 127--खाद्य तथा रसद विभाग-ऋण और अग्रिम

श्री अकबाल हुसैन--

मैंने इसी पुस्तिका से पढ़ा हूं, वह गलत नहीं हो सकता ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

सम्मानित अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया । मैं खाद्य विभाग के सम्बन्ध में प्रस्तुत खाद्य मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ विरोध पक्ष की ओर से जो माननीय सदस्य श्री अकबाल हुसैन ने कटौती का प्रस्ताव रखा है यद्यपि उन्होंने अन्त में कटौती की बात नहीं की है, मैं उनकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था । मुझे ऐसे लगा कि इन्होंने आज जो उचित प्रजातांत्रिक प्रणाली में संसदीय पद्धति के माध्यम से सुझाव दिये जा सकते हैं, जो स्वस्थ्य समस्याओं की ओर से इंगित कर कार्य रूप में परिणित करने का सुझाव हो सकता है, वह पद्धति इन्होंने अपनाया है । इसलिए मैं उन्हे बधाई देता हूं । खाद्य विभाग ऐसा विभाग है जिसका मनुष्य से सीधा सम्बन्ध जुड़ा हुआ है । बिना खाये आदमी जी नहीं सकता है और न कोई जीव जी सकता है । इसलिए मैं अपने खाद्य विभाग के सुयोग्य मंत्री श्री सेठी जी के प्रति आभार प्रकट कर रहा हूं । इसलिए भी अभार प्रबट कर रहा हूं कि शासन ने कुछ निश्चय इस विभाग की समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में लिया है। समस्याओं की कहानी और तब शुरू होती है जब 1977 में सीमेंट इफरात थी, एकाएक 1978 के आखीर में बाजार से गायब होने लगी और 1980 में एकदम गायब हो गयी । चीनी 1977 में इतनी अधिक थी । स्टाक तो उपज से जुड़ा रहता है, उपज कम हुई और स्टाक कम हो गया, और ऐसे समय में वर्तमान शासन को कार्य मिला है कि स्टाक में चीनी नहीं, पैदावार नहीं, उत्पादन में कमी और वितरण व्यवस्था ठीक नहीं । एक प्रश्न उठा था, एक साहबान मुख्य मंत्री से मिले, संयोग से हम लोग भी वहां थे कहा कि रफी अहमद किदवई को याद करिये वह एक इतिहास बना दिये डी-कन्ट्रोल करके । डी-कन्ट्रोल करें, तो क्या उसका लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, मैं डी-कन्ट्रोल के पक्ष में हूं लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा । 2·30 में चीनी बेचेंगे तो गरीब पा जायेगा लेकिन 6·30 में नहीं खरीद सकेगा । इसलिए कन्ट्रोल का समर्थन करना पड़ता है । आप को सुझाव देना चाहता हूं कि राशन कार्ड जो खाने के लिए, जीवित रहने के लिए प्रमाण पत्र है उसमें धांधली हो गई है । धांधली किसने की है, कर्मचारी लेबिल पर लोगों ने की और गलत यूनिट के रूप में दर्ज किया और इसमें दुकानदार भी शामिल है । 5, 7, 8 सौ यूनिट फर्जी रखते हैं, सामान जब मिलता है तो पहले कागज पर बांट लिया जाता है, आप इसको पकड़ें, अगर पकड़ेंगे नहीं तो असली आदमी को दिक्कत पड़ जायेगी ।

जब कभी कुछ देखते हैं तो जो इसेन्शियल कमोडिटीज हैं उनका अकाल पड़ने लगता है । लड़ाई हुई इराक और इरान में लेकिन कानपुर और लखनऊ में मिट्टी के तेल का अकाल होने लगा । न जाने कौन सा टैंकर चला आ रहा था और उस पर बमबार्ड हो गया और तेल गायब हो गया । आपसे मन्त्री जी और सरकार से अपेक्षा करता हूं कि सख्त से सख्त कदम उठायेंगे और उन लोगों को दण्डित करेंगे जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं । मान्यवर, इनके यहां खाना बटता है खाद्य विभाग से और राशन रखता है एफ० सी० आई० । एफ० सी० आई० के गोदाम में माल

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---]

रहता है उस पर नियन्त्रण हो उत्तर प्रदेश सरकार का। आपने हुकुम दिया और जो वहां अधिकारी बठा है उसने कह दिया कि चीनी 3 दिन बाद देंगे, वरना कुछ पैसा दो। तो यह भ्रष्टाचार आड़े आ रहा है। इसका आपको मुकाबला करना पड़ेगा। हमारे प्रदीप कुमार जी कह रहे हैं कि ये लोग समझ नहीं सके थे कि कहां गड़बड़ियां हो रही थी। जो भी खाद्य सामग्री हो उस पर सीधा नियन्त्रण खाद्य विभाग का हो, तभी चल सकता है। मान्यवर, एक सेक्शन है 3/7, असेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट में। उसमें है क्या ? अगर बोर्ड न टंगा हो तो दुकानदार का चालान होगा और अगर कोई दुकानदार ब्लैक मार्केटिंग करता है तो वह भी उसी 3/7 में चालान होगा। उसमें छोटे अपराधियों को छोटे और ब्लैक मार्केटिंग के लिए कड़े से कड़े दण्ड की अपेक्षा करता है। मान्यवर, इसी के साथ ही समर्थन मूल्य के बारे में जरूर कुछ कहूंगा। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि किसानों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। किसान अपनी पैदावार का उचित मूल्य नहीं पाता इसलिए आपके गोदाम में सामान नहीं पहुंचता। इस योजना को कैसे चलायें। भ्रष्टाचर जो व्याप्त है उसमें इस योजना का स्वरूप कैसे निश्चित करें। माननीय मुख्य मन्त्री जी भ्रष्टाचार को उत्तर प्रदेश से पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए कृत संकल्प हैं। उसके लिए सहयोग चाहिये माननीय मन्त्री जी का भी। अपने पास जो दिखाई पड़ते हैं ब्लैक मार्केटियर उनको पकड़ें।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

अन्त में मैं बधाई देता हूं। साथ ही बजट का समर्थन करता हूं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय खाद्य मन्त्री महोदय ने जो बजट सदन में रखा है उसका कांग्रेस (आई) का एक बफादार सिपाही होने के कारण मैं हृदय से समर्थन करता हूं। उसी के विरोध में विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य श्री इकबाल हुसैन ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं हृदय से विरोध करता हूं। अभी हमारे विरोध पक्ष के साथी ने श्रीमती इन्दिरा गांधी का चित्र और हमारा घोषणा-पत्र दिखाया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने उस माननीय सदस्य को इस बात के लिये आश्वस्त करना चाहता हूं कि....

एक सदस्य---

किसके लिए।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

टोका टोकी नहीं, सुनें।

जो कुछ भी घोषणा-पत्र में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वादा किया है उसके लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस (आई) पूरी तरह से कृत संकल्प है। हम उसको पूरा करेंगे। आपके माध्यम से कुछ बातें माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा।

राज्यपाल महोदय ने जो उत्तरदायित्व सौंपा है, माननीय मन्त्री जी को उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। मन्त्री बनना आसान है उसके कर्तव्यों का निर्वहन करना कठिन हुआ करता है। हम कांग्रेस के प्रति बफादार हैं, हमारा दल बफादार है। हमारे साथी इस बात के लिए संकल्प ले चुके हैं कि हम इसकी नीतियों को पूरा करेंगे। मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि वह मन्त्री बनने के बाद कांग्रेस की नीतियों को पूरा करेंगे। परन्तु इसमें बाधा क्या है? बाधा हैं हमारे अधिकारीगण। भ्रष्ट अधिकारियों पर अगर अंकुश नहीं होगा तो यह प्रदेश और देश रसातल में चला जायेगा। आपने समझ लिया कि एक बार चुन कर आ गये तो सारा संसार जीत लिया। हमें बार-बार जनता के सामने जाना पड़ेगा। खाद्य विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इसका गांव की झोपड़ी और महलों के साथ सम्बन्ध रहता है। सीमेंट की कमी है। 5 रुपये बोरी के हिसाब से जितने चाहे परमिट ले लीजिये। चोरी के जिम्मेदार वहां के अधिकारी हैं। उनकी सुख सुविधाओं में कोई अन्तर नहीं आया। धक्का लगा तो जनता की आवश्यकताओं पर लगा, इसको सोचना होगा। शुगर की बात करते हैं आफिस में जाकर देखें जो आपका इन्सपेक्टर है, जिसको आप निरीक्षक कहते हैं, वह शहनशाहों की जिन्दगी बिता रहा है। हर शुगर वाले से पैसा बंधा है। न कोई जांच होती है न पड़ताल होती है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है शुगर का कोटा चाहे मेरे पास हो चाहे आपके पास हो समझ लीजिये बेइमानी का लाइसेन्स तो है ही। और इस बेइमानी के लाइसेंस को बढ़ावा कौन देते हैं, यह हैं मान्यवर, आपके विभाग में आपके नीचे काम करने वाले भ्रष्ट अफसर। यह आज जन जीवन को विषाक्त कर रहे हैं इसलिये सेठी जी आपको सोचना पड़ेगा। सदन में उत्तर देने से ही काम नहीं चलेगा जनता ने हमको चुनकर भेजा है, जनता के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है उस सम्बन्ध में हमें सोचना पड़ेगा। हमें जनता की अवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा।

मान्यवर, सीमेंट, मिट्टी का तेल और शकर यह ऐसी आवश्यकता की चीजें हैं कि अगर आप जिले में जायें तो जिस तरह से शहद के छत्ते में मक्खियां अपने छत्ते में चिपकी रहती हैं उसी तरह से जनता सीमेंट, शकर, तेल के सम्बन्ध में लिखाने के लिये विधायकों के पास आती हैं लेकिन उस विधायक के लिखने का मूल्य क्या होता है। यह भ्रष्ट अफसर विधायक के लिखने का कोई मूल्य नहीं समझते हैं। मूल्य तो उसका समझते हैं जो 5 रुपये बोरी के हिसाब से परमिट बनवा लेता है।

(मेजों की थपथपाहट)

इससे बड़ी बिडंबना और क्या होगी। अधिष्ठाता महोदय, विधायक जनता का प्रतिनिधि होता है लेकिन इन अफसरों के सामने उसकी कितनी चलती है। यह व्यवस्था कब तक चलती रहेगी। कब तक यह भ्रष्ट अफसर जनजीवन के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। अधिष्ठाता महोदय मेरे सामने सम्मानित सदन है, सम्मानित सदस्य हैं। मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने आपको अधिकार दिया है, आपको मन्त्री बनाया है उसके लिये आपको बधाई देता हूं। परन्तु यह दायित्व बड़ा कठिन है। जनजीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिये आप बैठाये गये हैं। मान्यवर, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो इन भ्रष्ट अधिकारियों को दिखा देता कि कैसे काम किया जाता

[श्री श्याम लाल बाजपेयी--]

हैं, कैसे शासन चलता है। जो आज इन्दिरा गांधी की नीतियों को लागू न होने देने का संकल्प इन भ्रष्ट अफसरों ने लिया है, मैं इनको दिखा देता कि इन्दिरा गांधी की नीतियों का पालन करवाने के लिये गांव वाले लोग भी मौजूद हैं। मैं अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह विभाग जो उनके पास है उसका सम्बन्ध सीधे जनता से है। लेकिन आज मिट्टी के तेल, शकर और सीमेंट को लेकर जनता की क्या हालत है। उनका क्या है वह तो मन्त्री हैं लेकिन हम जैसे छुटभैय्यों की हालत खराब है। जो जनता का हालत है अगर उसमें सुधार नहीं हुआ तो जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। इन शब्दों के साथ चूंकि समय कम है और बोलने वाले ज्यादा हैं मैं फिर अपनी बात इसलिये कह रहा हूं कि हमारी नेता इंदिरा गांधी का संकल्प है मेरे मुख्य मंत्री का संकल्प है कि हम भ्रष्टाचार को मिटायेंगे और जन जीवन को आवश्यकता की सभी वस्तुयें देंगे। मगर यह होते हुये भी यह जो भ्रष्ट अफसर हैं आज सीधे नहीं हो रहे हैं इनको इस चीज का गुमान है कि हम सरकार बदल देते हैं, लेकिन वो दिन हवा हुये जब पसीना गुलाब था, अब यह बदले जायेंगे और हम रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जो हमारे विरोध पक्ष के भाई ने कटौती का प्रस्ताव रखा है इसका एक बार फिर विरोध करता हूं।

श्री हुकम सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं इस कटौती का प्रस्ताव के समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने केवल औपचारिकता के नाते तो अनुदान का समर्थन किया लेकिन उनके इस भाग को छोड़कर मैं समझता हूं कि उनके विचार लगभग पूरे सदन की अभिव्यक्ति थे, इसलिये मैं उनको बधाई देता हूं। जिस तरह से उन्होंने रसद विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्टाचार का वर्णन किया मैं आश्वस्त नहीं हूं कि हमारे मन्त्री जो सक्षम होंगे उस भ्रष्टाचार को मिटाने में। मैं केवल 2-4 मिसालें देना चाहता हूं। अभी समाचार छपा सरकार के माध्यम से टेलीविजन और रेडियों में बार-बार प्रसारण हुआ कि गाजियाबाद में 60-70 लाख रुपये की खांडसारी पकड़ी गयी। यह आरोप लगाया गया कि यह खांडसारी पाकिस्तान को जा रही थी। पाकिस्तान का तो मैंने देखा नहीं है लेकिन मन्त्री जी जरूर कुछ दिन वहां पाकिस्तान में रहे हैं। शायद उनको जानकारी होगी कि गाजियाबाद और पाकिस्तान के बीच में हिन्दुस्तान का कितना बड़ा हिस्सा पड़ता है। अगर पाकिस्तान का खांडसारी जा रहा थी और वह गाजियाबाद में पकड़ी जाता है तो मुझे लज्जा आती है यह कहते हुये कि गाजियाबाद का जिलाधिकारी उन ट्रक वालों के कागज छीन कर उनके सामने जलाता रहा केवल यह साबित करने के लिये कि इनके पास कोई कागजात नहीं थे। इनके पास कोई बिल्टी नहीं थी। यह सारी बातें वहां के सभी कांग्रेस (आई) के विधायकों द्वारा मन्त्री जी के सामने लाई गयीं, समस्या को समझाया गया और मुझे खुशी है कि मन्त्री जी ने उन पर विश्वास किया और माना भी की ज्यादती हुई है, इस लिये उन्होंने आश्वासन दिया कि तीन दिन के अन्दर उस खांडसारी को वापस करा दिया जायेगा। लेकिन मुझे तरस आता है इनकी बेबसी और लाचारी पर कि सच्चाई को जानते हुये भी जिला अधिकारी इनकी बात का पालन नहीं करता है। इसलिये मेरा स्पष्ट आरोप है कि मन्त्री पद की गरिमा को आपने गिराया है। आपको विश्वास

है कि खांडसारी व्यापारियों की गलत पकड़ी गयी तो आप खांडसारी को व्यापारियों को वापस कराते और आदेश का पालन कराते । आपने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि तुम्हारे साथ ज्यादती और जुल्म हुआ है और जिलाधिकारी तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है और वायदा करके आये कि तीन दिन में खांडसारी वापस होगी नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे तो उनकी खांडसारी वापस नहीं हुई और न मन्त्री जी इस्तीफा दिया तो हम इनसे क्या उम्मीद करें । मान्यवर, 70 लाख रुपये की खांडसारी को जब्त करके यदि वह कानून के अनुसार जब्त की गई थी इनका काम था कि तो वह खांडसारी गरीबों को वेलफेयर शाप द्वारा बटवाते लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया । बल्कि किया क्या है कि इनको समस्त उत्तर प्रदेश में दो लोग गरीब मिले हैं जिनको वह खांडसारी दी गयी है । जब्त की गयी खांडसारी आधी मोहन मिकिन फैक्ट्री को दी गई जो करोड़ों की शराब बनाता है और आधी खांडसारी डाबर मिल के मालिक को जो केवल करोड़पति है दी गई, यही इनको दो गरीब लोग मिले हैं । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मन्त्री जी मन्त्री पद पर बैठे हैं लेकिन जानते हुये कि खांडसारी गलत पकड़ी गयी फिर भी उनकी कहने की हिम्मत नहीं है कि जिलाधिकारी ने गलत काम किया है और उसके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करते ।

मान्यवर, मुजफ्फरनगर में 30 लाख की खांडसारी पकड़ी गयी है, छापा मार कर, यह आज समाचार पत्र में पढ़ा है । अभी कुछ खांडसारी उत्पादक हम से मिले थे और वह कह रहे थे कि वह बड़े असमंजस में हैं कि उनके पास जो खांडसारी है उसका वह क्या करें, कोई खरीदार नहीं है क्योंकि आपने पाबन्दी लगा रखी है कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को खांडसारी नहीं बेचेंगा, उत्पादक खांडसारी उपभोक्ताओं को नही बेच सकेगा । इसका कानून आपने बना दिया कि एक सीमा से खांडसारी ज्यादा कोई नहीं रख सकेगा । कितना बड़ा भारी विरोधाभास नियमों, कानून में है, जिस पर कोई सोचन वाला नहीं है । कि कानून का निष्कर्ष क्या निकलेगा । खांडसारी उत्पादक यह सोच रहा है कि खांडसारी का वह क्या करे, किसको बेचे, इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है ।

मान्यवर, डीजल, चीनी और मिट्टी का तेल बाजार से गायब हो गया है । लेकिन खाद्य मन्त्री जो चाहते हैं कि करोड़ों रुपये की धनराशि इनको दे दी जाय जिससे उनके कर्मचारी और विभाग इसका दुरुपयोग करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हुं ।

श्री दामोदर शर्मा--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे खाद्य और रसद विभाग की अनुदानों पर बोलने का मौका दिया । मैं खाद्य और रसद विभाग की अनुदानों का समर्थन करता हूं और मान्यवर, आपके माध्यम से मन्त्री जी को एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि खाद्य ओर रसद जिसका सम्बन्ध वितरण प्रणाली से है और वितरण जब तक सही नहीं होगा जब तक हमारे पास सही एजेन्सी नहीं होगी और वह सही एजेन्सी पिछले ढाई साल के दौरान ऐसे ही लोगों के पास रही और आज भी जिन को पिछली सरकार ने दिया था । मैं माननीय मन्त्री जी से कठोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि उसी सरकार के सीमेन्ट बिक्रेता आज भी हैं, चीनी परमिट वाले वही लोग हैं । मैं कहना चाहता हूं कि चीनी का और सीमेन्ट का लाइसेन्स जो इन लोगों को दे रहे हैं उसे तुरन्त बदलने की आवश्यकता है

[श्री दामोदर शर्मा--]

और नये सिरे से वितरण प्रणाली की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। तभी यह वितरण प्रणाली सही होगी। मैं कहना चाहता हूं कि काले बाजार, जमाखोरी, करने वाले जो लोग इस समाज में हैं उनपर अंकुश लगाने की माननीय मन्त्री जी कठोर कार्यवाही करें।

दूसरी बात खांडसारी के बारे में कहना चाहता हूं। मान्यवर, प्रदेश का छोटा किसान खांडसारी बनाता है। मान्यवर, मुजफ्फरनगर, में 1,400 बोरा लदी और वे जा रही थी सहारनपुर को। सहारनपुर में 1,400 खाण्डसारी की बोरी पकड़ी गयी। मन्त्री परिषद् का उसी दिन निर्णय हुआ था कि खांडसारी पर पाबन्दी लगा दी गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पाबन्दी लगाने के बाद वह लदान हो रहा था और पाबन्दी के कारण 76 बोरे रोक लिये गये। किसान खांडसारी बनाता है, शुगर एजेन्ट उसके पास हैं नहीं, दूसरे क्षेत्र में खांडसारी बेच नहीं सकता कृपया माननीय मन्त्री जी इस बात का इन्तजाम कराये कि वह खांडसारी कहां बेचे ? मैं पूर्ण आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी सदन में एक स्पष्ट नीति की घोषणा इस बारे में करेंगे।

खाद्य विभाग में फैलते हुये भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर के दफ्तर में चाहे छोटे छोटे कर्मचारी हों, सप्लाई इन्सपेक्टर हो, सब लोग पैसा कमाते हैं। देहात में जो चीनी बाँटने वाला है वह एक छटांक भी चीनी नहीं बांट रहा है। आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि देहात के अंचलों में चीनी सही तरीके से बटवाने की व्यवस्था करें। जहां तक सहकारी समितियों के माध्यम से चीनी बटवाने का सम्बन्ध है, यह साफ है कि कोई भी सहकारी समिति ऐसी नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार न हो, जिसके अध्यक्ष पर किसी तरह का आरोप न हो। हर एक पर भ्रष्टाचार का आरोप है। उनके द्वारा चीनी बटवाने का निर्णय जो हमारी सरकार ने लिया है उस निर्णय पर पुनः सोचा जाय और ऐसे लोगों को चीनी बटवाने का मौका दिया जाय जो वाकई में कर्तव्य निष्ठ और ईमानदारी के साथ देहात के अन्दर चीनी का वितरण कर सकें। इतना ही नहीं मैं माननीय मन्त्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा दी जाय कि वह देखें कि देहात में चीनी वास्तव में बट रही है और गरीब मजदूरों, किसानों को मिल रही है या नहीं। मुझे पूर्ण आशा है कि माननीय सेठ जी इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आभारी हूं कि आपने मुझे खाद्य विभाग के बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। मैं प्रस्तुत बजट का स्वागत करती हूं और इतने महत्वपूर्ण विषय पर जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसका घनघोर विरोध करती हूं। खाद्य विभाग का सीधा सम्बन्ध जीवन की दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं से है। इसलिए इसका विशेष महत्व है। मैं इस बारे में आपके माध्यम से मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहती हूं। सबसे पहले सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों की ओर निश्छल रूप में, मुक्त रूप से देखा जाय, जो सचमुच सेवा करने की भावना से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस काम को करते हैं । अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया जायेगा तो सम्मानित सदन में मैं कहना चाहती हूं कि तो इन सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों का भ्रष्टाचार नहीं जा सकेगा । कारण यह है कि जो सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान खोली जाती है तो इन्स्पेक्टर नाम को एक चीज हुआ करती है । उसका काम यह है कि जो ईमानदारी से दूकान खोल कर चलना चाहता उसको उस वक्त तक दूकान चलाने नहीं दिया जाता जब तक एक सकड़े का नोट उसके हाथ में नहीं जाता । इधर के बैठने वाले और उधर बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों की एक भावना है कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण ठीक हो सके ।

दूसरे जब हम सस्ते गल्ले की दूकानों की बात करते हैं तो सस्ते कपड़े की दूकानों को न भूल जायं । 1973 से लेकर 1974 तक हमने सस्ते कपड़े की दूकानों का वितरण हमने बड़े अच्छे ढंग से किया और हमने सस्ते कपड़े का वितरण सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किया । लेकिन मुझ यह कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सब कहना पड़ रहा है, जैसे ही सरकार का परिवर्तन हुआ, सोचा कि कौन सी बड़ी एजेंसी है जो जनप्रिय है और जो काम कर रही है, उसके ऊपर आरा चलाया जाय । आंकड़े उठा कर देख लीजिए । जिस सरकार का परिवर्तन हुआ था दूसरी विचारधारा की उन्होंने सस्ते कपड़े के ऊपर कुठाराघात किया और वह शनैः शनैः करके बिल्कुल समाप्त हो गया । वह पुनर्जीवित किया जाय ।

मैं एक चीज और कहना चाहती हूं । हमारा सारा शासन का तन्त्र हमारी नीतियों के आधार पर सामान्यतया अधिकारियों को सौंप दिया जाता है और सौंपना चाहिए । वह जिम्मेदार लोग हैं । लेकिन कभी-कभी मान्यवर, अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाये रखना चाहते हैं । ऐसी कोई जिद न करें जिसका क्षेत्र के ऊपर प्रभाव अच्छा न पड़े । मैं केवल इतना कहना चाहती हूं, मैं मंत्री जी की भावनाओं का आदर करती हूं, वह सच्चे मन से जनता की सेवा करना चाहते हैं और जो ज्यादा से ज्यादा सुधार करना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि वह कम से कम यह देखें कि विभागीय अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों की भावनाओं का कहीं टकराव न हो । यह बहुत जरूरी है ।

इसके अलावा जनता स्टोर खुलते हैं । लखनऊ राजधानी है । इसमें देखें । वहां पर सस्ते कपड़े की दूकान है, वहां पर जनता स्टोर है वहीं पर सहकारी उपभोक्ता भंडार है । इनमें कम्पेटीशन चलता है । बिल्कुल ईमानदारी से काम होता है नहीं । इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि जो सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें लेते हैं, खाली यह देखें कि वह भी जनता के आदमी हैं । कम से कम मंत्री जी यह देखने की कोशिश करें कि कौन सेवा भावना से प्रेरित होकर ये दूकानें हैं और जो सचमुच सेवा भावना से यह काम नहीं करते हैं, वह खत्म हो जायं । इसको देखेंगे तभी इस काम को पूरा कर सकें ।

(अपराह्न 4 बजे)

लखनऊ में वी० आई० पी० काउन्टर खुला था । डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिस में एक वी० आई० पी० काउन्टर खोला गया । क्या सचमुच उसके जरिये से जनता की सेवा हुई अथवा जरूरतमन्दों को चीजें मिली तो वह बात नहीं हुई बल्कि जिनको चाहा उनको दिया गया, जिनको नहीं चाहा नहीं दिया । ऐसी चीजों

[श्रीमती प्रेमवती तिवरी---]

पर रोक लग नी पड़ेगी । इन शब्दों के स थ सेठी जी जो खाद्य मंत्री हैं उनकी भावना का स्वागत करती हूं तथा उनके बजट मांगों का स्वागत करती हूं एवं विरोध पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसका विरोध करती हूं ।

श्री धरमपाल (जिला बहराइच)--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसे हमारे भाई इकबाल साहब ने पेश किया है । किसी भी शासन के लिए शर्म की बात होती है अपने नागरिकों की आवश्यकताओं को दुकानदारों के हवाले कर देना । हमारी कांग्रेस की सरकार ने हमारे आम नागरिकों के जीवन की बागडोर इन कोटेदारों के हवाले कर दिया है । सभ्य संसार के अन्दर हम लोग रह रहे हैं, सभ्य तरीके से हमें रहना है । लेकिन आज हमारा जीवन चन्द लोगों के हाथों गिरवीं है । कोई भी सर कार हो, कोई भी राष्ट्र हो यह प्रदेश भारत महान का बड़ा प्रदेश है, इसकी महानता पर हमको गर्व है लेकिन इसके कर्म देखिये तो हमारी गर्दन शर्म से झुक जाती है । मनुष्य के जीवन की आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान इनकी ही हम पूर्ति विभाग से अपेक्षा करते हैं कि वह उनकी पूर्ति करता । लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो अपना भाषण पंजाबी तथा हिन्दी में दिया समझ में कम आया और हल्ला-गुल्ला ज्यादा हुआ । उस भाषण में एक चीज कही गई कि स्लेक कोल से हमने कन्ट्रोल हटा दिया है । संभवतः उनको जानकारी नहीं है कि ट्रक और रेल के भाड़े में कितना अन्तर है । शायद उनको यह भी जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोयला आता कहां से है ? मैं उनको बतला दूं कि बिहार का कोयला अगर गाजियाबाद जायगा ट्रक से अगर वह पहुंचेगा तो ढाई सौ रुपये टन अगर ट्रेन से 100 रुपये टन उसका पेमेन्ट करना होगा यानी 150 रुपये टन से अधिक पेमेन्ट करना होगा । वह किसकी जेब से होगा ? स्लेक कोल से ईंटों का उत्पादन होता है जिनसे प्रदेश की सड़कों का निर्माण और गरीब की झोपड़ी से लेकर बड़े आदमी के महल तक का निर्माण होता है जो उसकी बेसिक जरूरत होती है लेकिन मंत्री महोदय ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । इसके साथ ही सीमेन्ट वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में बात कही गयी है । इस प्रदेश में किसी भी चीज की कमी नहीं है, कमी है तो व्यवस्था में है । कमी होती तो पैसे से कोई भी चीज नहीं मिल सकती । 25, 30 रुपये की सीमेन्ट की बोरी 35, 40 रुपये में खुले बाजार में जिस वक्त चाहें ले लें । 10, 20 ट्रक मैं दिलवा सकता हूं । परमिट का जो आपका विभाग है उसे कोई दिक्कत पड़ सकती है लेकिन खुले बाजार में दिक्कत नहीं पड़ेगी । यह चरम सीमा है भ्रष्टाचार की और एक जीता जागता यह उदाहरण है जिसके द्वारा इस प्रदेश के ब्लैक मार्केटियर्स प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को नष्ट करने पर तुले हुए हैं और मंत्री जी डायरेक्टली इन डायरेक्टली सहायक हो रहे हैं । जैसे ही हम अपनी आवश्यकता की चीजों को किसी विभाग के सुपुर्द कर देते हैं तो हम मुसीबत में पड़ जाते हैं ।

आज हमने अपने आपको सिविल सप्लाई डिपार्टमेन्ट पर निर्भर कर रखा है और यह विभाग हमारी आवश्यकता की चीजों को अपने शिकंजे में कसे हुए है अफसरशाही के माध्यम से । इसके अफिसर का नाम है डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई आफिसर, मेरा कहना यह है कि इस आफिस का नाम डिस्ट्रिक्ट शार्टेज आफिस और आफिसर का नाम डिस्ट्रिक्ट शार्टेज अफिसर में परिवर्तित कर दिया जाय ।

जिस चीज में यह हाथ डालते हैं वह चीज गायब हो जाती है । आपने कोयला दे दिया, शकर दे दी और सीमेन्ट इस विभाग को दे दिया तो ये सभी चीजें गायब हो गयीं । कहा जाता है कि प्रदेश में शकर की कमी है लेकिन बाजार में 6 रु0 से लेकर 8 व 10 रुपये तक उपलब्ध है । कमी है तो आपकी व्यवस्था में, प्रबन्ध में । कमी होती तो 25 रुपये किलो भी बाजार में शकर नहीं मिल सकती थी । ऐसे भ्रष्ट व्यापारियों को कठोर दण्ड दिया जाय जो इस कुप्रबन्ध के पूरक बन गये हैं । आप देखें माननीय मंत्री जी ने संभवतः नये आदेश दिये हैं शहरी जीवन के लिए अलग और देहाती जीवन के लिए अलग । हमारे बहराइच जनपद में शहरों में तो हलवाइयों को कोटा दिया जाता है लेकिन गांवों को कोई कोटा नहीं दिया जाता है । गांवों मे शकर उपलब्ध नहीं है । देहातों में जो होटल हैं उनको भी कोई कोटा नहीं दिया जाता है । मैं इस तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि वे जिलाधिकारियों को यह आदेश दें कि ग्रामीण अंचलों की ओर भी उनका ध्यान होना चाहिए ताकि वहां के गरीब लोग भी अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण कर सकें । साथ ही यह भी कहा जाता है कि मिट्टी का तेल और डीजल नहीं मिल रहा है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मिट्टी के तेल और डीजल की आवश्यकता गांवों में ज्यादा होती है क्योंकि शहरों में तो गैस के चूल्हे उपलब्ध हैं । पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप इसकी तुरन्त व्यवस्था करा दें । इन शब्दों के साथ मैं भाई अकबाल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं कि यह ऐसा विभाग है जिसको एक रुपया भी न दिया जाय ।

श्री मुईद अहमद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया है । हमारे माननीय खाद्य मंत्री द्वारा जो खाद्य तथा रसद विभाग का बजट प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में मैं कुछ सुझाव उनको देना चाहता हूं । मान्यवर, यदि देखा जाय तो खाद्य तथा रसद विभाग का सबसे महत्वपूर्ण सम्बन्ध उसकी वितरण प्रणाली से है । अगर आपने कितना ही सामान इकट्ठा कर दिया है चाहे वह खाद हो, खाद्यान्न हो, सीमेन्ट हो कोई भी हो अगर उसकी वितरण प्रणाली सही नहीं है, वह सही लोगों को नहीं पहुंच सकी तो यह सब हमारी वितरण प्रणाली में ढिलाई ही होगी । इसलिए हमें सबसे पहले अपनी वितरण प्रणाली को सुधारना पड़ेगा । आज जो विभाग की हालत है उससे मौजूदा हालत में सुधार नहीं हो सकता है । हमें यह दुरुस्त करना पड़ेगा और उसमें बुनियादी परिवर्तन लाना होगा । आज कहीं पर भी चले जाइये यह कहा जाता है कि चीनी नहीं मिल रही है, सीमेन्ट नहीं मिल रहा है, मिट्टी का तेल नहीं है, डीजल नहीं है । आज स्थिति यह है कि अगर कोई चीनी का कोटेदार है तो वह पूरी चीनी नहीं बांटेगा क्योंकि यदि वह पूरी चीनी बांटता है तो उसको घाटा हो जायेगा । यदि कोई भी व्यापारी अच्छे नीयत से राशन की दुकान चलाता है और सही रूप से चलाता है तो उसको निश्चित रूप से घाटा होगा । यह सब आपकी वितरण प्रणाली का दोष है । यदि कोई राशन कार्ड वाला जाता है तो पहले तो उसको दुकान ही नहीं मिलेगी, फिर सही आदमी को दुकान नहीं मिलेगी । मैं माननीय मन्त्री जी का तथा यह चाहूंगा कि इस स्थिति में वे सुधार करें ।

[श्री मुईद अहमद---]

गांवों में बड़े लोग हैं, चौधरी लोग हैं उनको राशन की दुकान लेने का चस्का लग गया है और जब वे ले लेते हैं तो फिर उसका ब्लैक करते हैं। गांवों के कमजोर वर्ग के लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि आप गांवों के चौधरी लोगों को राशन की दुकानें न दीजिये और पिछले तीन सालों में गुंडइज्म के आधार पर बर्बरता के साथ जो गरीब लोगों का हिस्सा हड़प कर दिया जाता था उसको चेक किया जाय। इसकी छानबीन आप उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में करायें। सारी दुकानों की स्क्रूटिनी करायें। कई राशनकार्ड फर्जी बने हुये हैं बी० डी० ओ० के माध्यम से बने हुये हैं। जहां पर ए० डी० ओ० और बी० एल० डब्लू० के द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगाई कि उसका राशन कार्ड बना दिया गया। डीजल की किल्लत जब सूख के कारण हुई तो बी० डी० ओ० के माध्यम से 70 परसेंट कार्ड फर्जी बन गये। जो लोग मशीन रखे थे, पम्पसेट रखे थे, ट्रैक्टर रखे थे उनको डीजल नहीं मिलता था और जिनके पास यह सब कुछ नहीं था उनको डीजल मिल जाता था। फर्जी राशन कार्ड पर ब्लैक किया करते थे। इसके साथ ही जब दुकानदार इंस्पेक्टर को पैसा देगा, सप्लई आफिस में पैसा देगा, एफ० सी० आई० में पैसा देगा तब उनको सामान मिलेगा। तो वह क्यों नहीं ब्लैक करेगा, कहां से पैसा लायेगा।

बड़े अफसोस की बात है कि अभी तीन त्योहार एक महीने में हुए शबे-बारात, ईद और नागपंचमी लेकिन सुल्तानपुर में एफ० सी० आई० के निकम्मेपन के कारण लोगों को शुगर नहीं मिली। एक चीज और बता रहा हूं कि इस वक्त खाद्यान्न योजना के अंदर जो काम हो रहा है उसमें एफ० सी० आई० वाले गेहूं नहीं ले जा रहे हैं जिससे इस योजना के अंदर जो मजदूरी लोगों का देनी है खाद्यान्न के रूप में वह नहीं दी जा रही है, जिससे लोगों में हाहाकार मचा हुआ है।

एक बात और कहना चाहता हूं सुझाव के तौर पर सुल्तानपुर के बगल में हमारी कांस्टीटुयेंसी है वहां पर एक गांव चुनहा पड़ता है जो कि म्युनिसिपल एरिया से थोड़ा बाहर है उसका राशन कार्ड शहर से करा दिया जाय ऐसा आपने दो तीन गांवों के लिए किया है, जिनको राशन शहर से मिलता है।

अंत में मैं एक और बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि होर्डिंग की टेंडेंसी जो है उसमें सुधार करिये। इसके लिए जरूरी है कि जो बड़े-बड़े भ्रष्टाचार करते हैं उनको पकड़ा जाय अभी होता क्या है कि जो बड़े भ्रष्टाचारी हैं उनको नहीं पकड़ा जाता है बल्कि जो भूल से या किसी कारणवश लिस्ट नहीं टांग पाते हैं उनको आपके अधिकारी जाकर पकड़ते हैं। लेकिन जहां से भ्रष्टाचार शुरू होता है और जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं वह नहीं पकड़े जाते ह। अगर उन पर अंकुश लगाया जाय तो निश्चित रूप से आपकी वितरण प्रणाली में सुधार होगा। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव की निन्दा करता हूं।

(श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी का नाम पुकारे जाने तथा कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे खाद्य तथा रसद विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया मैं इसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, विरोधी पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका विरोध करता हूं । मैं अपने प्रदेश के कर्मठ और ईमानदार मुख्य मंत्री क आभारी हूं कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में हमारी खाद्य समस्या की ओर विशेष ध्यान दिया और उन्होंने दुकानों में जाकर खुद छापे मारे और उन्हीं का अनुसरण हमारे खाद्य मन्त्री जी ने भी किया । मैं लखनऊ के ए0 डी0 एम0 (सिविल) और दूसरे अधिकारियों का आभारी हूं कि उन्होंने छापे मार कर सामान पकड़ा । अभी माननीय श्यामलाल बाजपेयी जो बोल रहे थे कि जिसके पास खाद्यान्न की दुकान गई, वह समझिये बेईमानी का अड्डा बन गया, यह सही बात है । यह कहां से शुरू होता है ? जो दुकानदार अपने राशन का सामान लेने जाता है, उसको खाद्य विभाग के दफ्तर से लेकर एफ0 सी0 आई0 के दफ्तर तक जाने कितनी जगह रुपया पूजना पड़ता है । हम दुकानों की चेकिंग तो करते हैं, लेकिन एफ0 सी0 आई0 के अन्दर जाकर कोई चेकिंग नहीं करते हैं, जो इस सारी बेईमानी और भ्रष्टाचार की जड़ है । वहां एक बोरे पर 1/2 किलो कम सामान मिलता है और जब तक दुकानदार उसको पैसा नहीं दे देता है, तब तक उसको समय पर और जल्दी सामान नहीं मिलता है । हम बोरे की ढुलाई पर एक रुपय देते हैं, किन्तु यह कार्य एक रुपये में हो नहीं पाता है, इससे दुकानदार को मजबूर होकर गड़बड़ी करना पड़ता है । तो हमको बोरे की ढुलाई का पैसा बढ़ाना चाहिए । अभी विरोध पक्ष के भाई शक्कर का उल्लेख कर रहे थे, किन्तु जब कांग्रेस की सरकार थी 2 रुपया 15 पैसा किलो शक्कर मिल रही थी, पर जब जनता पार्टी की सरकार आई, उसने उसे बढ़ाकर 2.15 से 2.85 रुपये कर दिया । फिर भी अब यह रो रहे हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं । जो गन्ने की और किसानों की दुर्दशा इनकी सरकार ने की थी, वह भुलाए नहीं भुलाई जा सकती है । पिछली बार गन्ना खेतों में सुखाया गया है, चूल्हों में जलाया गया है ।

यह सस्ते कपड़े की बात कहते हैं इसकी सारी पैदावार उन्होंने बन्द कर दी । इस प्रदेश में शक्कर और कपड़ा वितरण की व्यवस्था इन्होंने गड़बड़ कर दी, क्योंकि पूंजीपतियों के दबाव में आकर इन्होंने उस वितरण प्रणाली को बदला और बाजार में शक्कर का विक्रय शुरू कर दिया । उसकी वजह से आज उसकी यह त्राहि-त्राहि मची हुई है ।

अब मैं सरकार का ध्यान देहातों की ओर दिलाना चाहता हूं । सीमेंट, कोयला, शक्कर, मिट्टी का तेल--हर मामले में देहातों के साथ बड़ा सौतेला व्यवहार किया जाता है । 70/80 फीसदी एलाटमेंट शहरों के लिए कर दिया जाता है और देहातों के लिए मुश्किल से 25/30 फीसदी हो पाता है और कोयले का तो बिलकुल नहीं होता है । इस बार देहातों में लकड़ी काफी तादाद में गिरे हैं । इसलिए प्रयास यह करना चाहिए कि उन्हें अधिक सीमेंट और ईंट ठीक से मिले । देहातों में जो राशनकार्ड बने हुए हैं, वे सन् 71 की जनगणना के आधार पर बने हुए हैं, इसलिए इसका पुनरीक्षण होना चाहिए और देहातों के राशनकार्ड भी सदस्य संख्या के आधार पर बनने चाहिए ।

श्री मसरूर जाफरी—

माननीय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने का मौका दिया । माननीय, इस विभाग में जो 33 वर्षों से हो रहा है अन्याय, गरीब लोग, किसान, मजदूर और छोटे लोग ज्यादा प्रभावित हैं । उस सम्बन्ध में मैं मोटी-मोटी बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं । नगरपालिकाओं, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया के निवासियों के लिए जो चीनी वितरण की व्यवस्था है वह अजीब और अलग-अलग है । जसे नगरपालिका मे रहने वालों को एक यूनिट पर एक किलों दी जाय नोटीफाइड एरिया के रहन वालों को 750 ग्राम प्रति यूनिट दी जाय, टाउन एरिया में रहने वालों को 500 ग्राम चीनी दी जाय । तो यह कैसी वितरण व्यवस्था आपकी है जो नगरपालिका में रहते हैं वे ही टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया में रहते हैं । उससे हटकर आप ग्रामीण क्षेत्रों को देखिए । वहां पर 4 यूनिट पर एक किलो रखी है । 5 यूनिट से लेकर 9 यूनिट वालों को 2 किलो और उससे अधिक यूनिट वालों को आप 3 किलो देते हैं ।

चीनी के दुकानदार को 65 रुपये प्रति बोरा देना होता है तब जाकर वे उस चीनी के बोरे को अपनी दुकान तक ले जा पाते हैं । इस रुपये को उन्हें एफ० सी० आई० और ब्लाक के कार्यालयों में देना पड़ता है तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वे ब्लैक नही करेंगे तो और कौन करेगा ? इससे हटकर चीनी बेचने वाले को आप 5 रुपये प्रति बोरी मुनाफा देते हैं, यह भी उनको ब्लैक करने में एक कारण बन जाता है । यदि उनका मुनाफा मोइयन कर दें तो चोर बाजारी में कमी हो सकेगी ।

जहां तक सरकारी कपड़े का प्रश्न है, मैं चैलेन्ज के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार का कपड़ा किसी भी गरीब को नहीं मिलता है । सारा का सारा कपड़ा खाद्य और रसद विभाग एवं कोआपरेटिव विभाग के अधिकारियों द्वारा काले बाजार में बिकवा दिया जाता है । इस 65 रुपये में केन्द्रीय और प्रदेशीय स्तर अधिकारी कर्मचारी खाते हैं । क्या आप इसको रोक सकेंगे ?

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जब किसान का गन्ना लिया जाता है तो उसे 10 पैसे प्रति किलो दिया जाता है, जब उसका गुड़ लिया जाता है तो 20 आने प्रति किलो दिया जाता है लेकिन चीनी का दाम आपने 10 रुपये प्रति किलो रखा है, यह कहां का इन्साफ है ? कांग्रेसी पार्टी के लोगों ने चीनी मिल मालिकों से मिलकर चीनी का भाव बढ़वाया है । उसकी जिम्मेदारी आपकी है । एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम देहात में रहने वाले किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देंगे और दूसरी तरफ उनका शोषण करवा रहे हैं पूंजीपतियों द्वारा । जब किसानों का गेहूं बाजार में आता है तो उसकी कीमत गिरवा देते हैं और जब वह सेठ साहूकारों के गोदामों में पहुंच जाता है तो उसके दाम बढ़ जाते हैं । जब तक इस तरह की व्यवस्था ठीक नहीं होगी कोई काम चलने वाला नहीं है । जब तक रोटी कपड़े और मकान के झगड़े नहीं समाप्त होंगे, संघर्ष नहीं होगा तब तक इसकी कोई रूपरेखा तयार नहीं होगी ।

आज इराक और ईरान के झगड़े के कारण तेल की क्या व्यवस्था हो गयी है। मिट्टी का तेल लेने के लिए बड़ी-बड़ी लाइनें लगी रहती हैं। आखिर यह तेल कहां गया ? आपन अपने 33 वर्षों के कार्यकाल में इस देश को भूखा और नंगा बना दिया ह । जब तक देश में आप रोटी, कपड़े और मकान की समस्या हल नहीं करेंगे तब तक समस्या का कोई हल होने वाला नहीं है ।

इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हमारे दल के लोग काफी देर से खड़े हो रहे हैं, आपकी टेबिल पर जो लिस्ट ह, उसमें भी उनके नाम हैं और कटौती के प्रस्ताव पेश करने वालों में भी नाम ह लेकिन आपने हमारे दल के किसी माननीय सदस्य को बोलने का मौका नहीं दिया , यह क्यों ?

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, आपको भी मौका मिलेगा ।

(श्री विनोद कुमार का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठें । आपकी कोई बात लिखी नहीं जायेगी ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

यह कुछ लिखा नहीं जायेगा, आप कृपया बैठें ।

*डाक्टर विनोद कुमार तिवारी--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मन्त्री जी के बजट पर बोलन के लिये समय दिया । मैं माननीय खाद्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और विरोधी पक्ष से जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसका विरोध करता हूं । आज पूज्य बापू की जन्म

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[डाक्टर विनोद कुमार तिवारी—]

तिथि से पूर्व की सन्ध्या पर जो यह बजट आया है उससे हमें आशा है कि पूज्य बापू की इच्छाओं की, कि हर एक को भोजन कपड़ा और मकान मिले, पूर्ति हो सकेगी ।

(इस समय 4 बजकर 28 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

मान्यवर, हमारे यहां राज्य खाद्य एवं वस्तु निगम लिमिटेड जो बना है इसकी स्थापना सन् 1974 में की गयी थी और इसको अपना व्यापार चलाने के लिये 1 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी थी किन्तु इस निगम को अपना कार्य करने के लिये केवल 50 लाख रुपये ही दिये गये हैं, मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि शेष 50 लाख की रकम भी इस निगम को अपना व्यापार करने के लिये शीघ्र दी जाये । इसका मुख्य काम दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीद करना तथा उनको उचित मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराना है । प्रदेश में इस समय इस निगम की 30,830 दूकानें खुली हुई हैं, जिनमें 24,360 ग्रामीण क्षेत्र में हैं । प्रदेश सरकार का यह भी इरादा है कि दो हजार की जन-संख्या पर शीघ्र ही एक सस्ते गल्ले की दूकान खोला जाय । मैं मन्त्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस विषय में शीघ्र ही प्रभावी कदम उठाये ।

मैं मन्त्री जी से, उनके विभाग से सम्बन्धित सुझाव कुछ और दूंगा । भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से जो अनाज या शुगर सस्ते गल्ले की दूकानों को उपलब्ध कराई जाती है, उसकी वजह से 5-5, 6-6 दिन तक दूकानें बन्द रहती हैं । मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करें कि ताकि सस्ते गल्ले की दूकानों पर शीघ्र ही खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके, ताकि शीघ्र ही वितरण प्रणाली में सुधार हो जाय । श्रीमन्, हाई स्पीड डीजल की मासिक आवश्यकता 1 लाख 50 हजार मीट्रिक टन है । विरोधी पक्ष के लोगों ने अभी वितरण प्रणाली के ऊपर बहुत ही कुठाराघात किया । मैं कहता हूं कि अपने तीन साल के शासन काल में उन्होंने क्या किया । प्रदेश सरकार द्वारा जो बजट रखा हुआ है यदि आप पृष्ठ 17 पर निगाह डालें, तो आप देखेंगे कि अक्तूबर, 1979 में 1 लाख, 10 हजार मीट्रिक टन डीजल उपलब्ध कराया गया, जो निरन्तर घटता गया जिसमें से 1 लाख ही उपलब्ध हो सका । दिसम्बर में 17 हजार रहा, जनवरी में 7 हजार रह गया । हमारे प्रदेश में जो प्रगतिशील सरकार है, उसकी ये लोग बुराई कर रहे हैं ।

मार्च में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जैसे ही हमारी सरकार सेन्ट्रल में आई, डीजल की जहां कहीं भी कमी थी, उसकी भी पूर्ति हुई । लेकिन मैं खाद्य मंत्री जी का ध्यान इस समय डीजल की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ईरान और ईराक से लेकर वितरण व्यवस्था को सम्पन्न करना है । मैं प्रदेशीय सरकार से आग्रह करूंगा कि वह शीघ्र ही कोई ठोस कदम उठाये । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनता शासनकाल में अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो डीजल की कालाबाजारी हुई थी, उसमें 12 टैंकर डीजल की काला-बाजारी हुई थी, जिसमें प्रदेश के स्तर के कई अधिकारी लोगों का हाथ था । मैं आज यह सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि उस डीजल की कालाबाजारी की शीघ्र ही उच्च स्तरीय जांच कराई जाय । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव रखना चाहता हूं कि जो जनता शासन के काल से वितरण प्रणाली के

अन्तर्गत सस्ते गल्ले की दुकानें कार्य कर रही हैं वह अधिकतर जनता शासनकाल में एलाट की गयी थीं, जब आप चाहते हैं कि प्रदेश की जनता को ठीक प्रकार से खाद्य सामग्री उपलब्ध हो, तो उन सभी सस्ते गल्ले की दुकानों को निरस्त करके एक सप्ताह के अन्दर नई दूकानों को लाइसेंस दे दें अन्यथा वह दुकानदार और प्रदेश के अधिकारी गलत ढंग के हैं वह आपको बदनाम करने पर तुले हुए ह ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया ।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी--

मान्यवर, दो बातें कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, आपका समय समाप्त हो गया ।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी--

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र धान की पैदावार में हमेशा अकर्मण्य रहा है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर, कुरइया, खुर्दकला, पुवायां आदि स्थानों पर सीमेंट का कारखाना खोलने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया । आप बैठें ।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी--

हमारे क्षेत्र के लोगों को सीमेन्ट प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है ।

मैं माननीय खाद्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

एक सदस्य--

हम लोगों का जो कार्यक्रम चल रहा था, वह शायद आपको बताया नहीं गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यहां बताए जाने का नहीं है । यह स्वयं मेरे विवेक की बात है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, खाद्य तथा रसद पर जो माननीय अकबाल हुसैन साहब ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, खाद्य मन्त्री जी ने जिस सन्तोष के साथ, जिस खुशी और साहस के साथ अपनी उपलब्धियों का इस सदन में बखान किया है, इसके बावजूद कि सारा प्रदेश

[श्री कुंवर सिंह नेगी---]

खाद्यान्न सकट में है और काफी समय से त्रस्त हैं । माननीय मन्त्री जी ने अपनी उपलब्धियों में बताया कि मा0 मुख्य मन्त्री जी के साथ उन्होंने लखनऊ में छापा मारा । परन्तु खबर यह है कि जैसे ही व्यापारियों के पास माननीय मुख्य मन्त्री जी अपनी पूरी फौज के साथ पहुचे तो व्यापारियों ने कहा कि हमलोग तो बहुत पहले से आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं आपको काफी देर हो गयी आने में। तो यह उपलब्धि आप बता रहे हैं और कहा जा रहा है कि बड़े जोरों से ब्लैक-मार्केटियर्स को रोके जाने की कार्यवाही की जा रही है, परन्तु आज जो ईमानदार आफिसर हैं । सख्ती से, निष्ठा से और ईमानदारी से काम करते हैं, तो भी उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती हैं ।

अभी देहरादून का किस्सा है । वहां के जिला आपूर्ति अधिकारी ने जब किसी व्यापारी के यहां छापा मारकर उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाही तो वह व्यापारीगण शिकायत लेकर स्थानीय नेताओं और मन्त्रियों के पास गए, तो उस डा0 एस0 ओ0 का उसी दिन स्थानान्तरण हो गया । तो इस प्रकार से यह चीज नहीं हो पायेगी । आज मान्यवर, पूरा देश और प्रदेश खाद्यान्न संकट में फंसा है । परन्तु हमारे पर्वतीय अंचल तो इस समस्या से भयंकर रूप से त्रस्त हैं । वहां पर बहुत ही महगा सामान मिलता है और आपके जो सहकारी खाद्यान्न भण्डार हैं जहां पर उनको खाद्यान्न सामग्री जो उपलब्ध होती है, वह बड़ी घटिया किस्म की होती है । यहां पर जो 3 और 4 नम्बर का राशन होता है, वही वहां जानबूझ कर भेजा जाता है । तो इस ओर माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी रोकथाम की कोई आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करायें और मान्यवर, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों की बरसात में आमतौर पर सड़कें टूट जाती हैं, इसलिए खाद्यान्न सामग्री उस क्षत्र में समय से नहीं पहुंच पाती है । इसलिए हमेशा वहां से यह प्रस्ताव आता है कि उस अन्तराल में उस क्षेत्र में, खाद्यान्न डिपो बने । लेकिन इस ओर भी कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी । मान्यवर, चीनी का संकट भी हमारे पर्वतीय अंचल में जलवायु को देखते हुए बहुत आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वहां कोई उचित व्यवस्था इसकी नहीं की गयी है । मान्यवर, हमारे यहां यातायात के साधन भी बहुत खराब हैं, जिन अंचलों में खाद्यान्न सामग्री समय से पहुंच नहीं पाती यातायात के कारण, तो उन जगहों पर 15-15 रु0 देकर सामग्री ढुलवाई जाती है। इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह यातायात भाड़ा सरकार द्वारा वहन किया जाय । इसका निदान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन से ही हो सकता है, परन्तु मंत्री जी बताएं कि इसके क्रियान्वयन से आखिर आप कतरा क्यों रहे है, तो माननीय मंत्री जी निवेदन करूंगा कि इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाय ।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी---

मान्यवर, खाद्य विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका बहुत ही आभारी हूं । श्रीमन्, खाद्य विभाग के बजट के सम्बन्ध में जो विचार हुआ है हमारे सदन में उस सम्बन्ध में मुझे एक ही बात यह कहनी है कि यह खाद्य विभाग के अन्दर जो समस्यायें हैं जो त्रुटियां है उनको दूर करने के लिए हम सभी लोगों को एकत्रित होना चाहिए । उसमें आप हों, हम हों सत्ता पक्ष के हों, जनता हो और लेने वाले दुकानदार हों । श्रीमन्, ऐसा कर दें इसके समाधान के लिए एक समिति बना दें जो इस पर विचार करे अन्यथा इस समस्या का समाधान नहीं होगा । एक चीज अगर आप कर सकें । हमारा

सदन कर सके हमारे परमिट के जो सिस्टम हैं उसको तोड़ दिया जाय हमारी जनता इसको बर्दाश्त कर ले जायगी। किन्तु कन्ट्रोल तोड़ देने से सारी समस्या का समाधान हो जायगा और सारी समस्या दूर हो जायेगी। वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तब तक ठीक नहीं हो सकती है जब तक हमारे मन में यह भावना न पैदा हो कि जनता के लिए सब कुछ त्याग करना है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय 'सदस्य', आपसे आपका मतलब 'माननीय मन्त्री जी' से होगा, मेरे माध्यम से।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से खाद्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह एक समिति बनाए। नहीं तो इस वितरण प्रणाली को कभी भी किसी भी दशा में वर्तमान परिस्थितियों में चाहे जो भी प्रणाली बनाई जायगी वह त्रुटिपूर्ण रहेगी। ऐसा आप करें न करें लेकिन आप कन्ट्रोल को ताड़ दें। इससे एक दो महीने परेशानी होगी उसके बाद सभी समस्या का हल हो जायेगा। जो हमारे सदस्यों ने राय व्यक्त किया है, वह सही है लेकिन इसका उपाय क्या है? मान्यवर, यह बात सही है कि आज सप्लाई आफिसों की वह आदत बन गई है कि वह कभी भी किसी तरह से दूर नहीं हो सकती है चाहे आप उनको बरखास्त कर दें चाहे जो कुछ कर दें। यह ऐसा मर्ज है जिसकी दवा नहीं है। चाहे कोई भी वितरण प्रणाली हो अच्छी से अच्छी बितरण प्रणाली कामयाब नहीं हो सकती है। मान्यवर, मैं आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र से आता हूं। यह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उसके सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री जी से एक दो बात कहूंगा अगर वह व्यवस्था कर दें तो अच्छा है। एक तो यह कि हमारे यहां बहुत कम दुकानें खुली हैं चाहे यह व्यवस्था पहले की हो या अब। पहले की बात करें तो झगड़ा खड़ा हो जाता है। आज भी बहुत कम दुकानें हैं चीनी की दुकानें बहुत कम हैं और यह भी सही है कि चीनी गांवों में जो जाती है वह गांव तक पहुंचती ही नहीं है वह ऊपर-ऊपर खत्म हो जाती है। ऐसी दशा में श्रीमन् हमारे क्षेत्र में कुछ और दुकानें खुलवा दें अगर कन्ट्रोल नहीं तोड़ते तो और चीजों की भी दुकानें खुलनी चाहिए।

दूसरी चीज सीमेन्ट की है। मान्यवर, पता नहीं कहां पर क्या होता है कैसे होता है इस चीज को देखें जिससे हम लोगों को सीमेन्ट मिले काम रुका पड़ा है। मान्यवर, सीमेन्ट इतना महंगा हो गया है कि परमिट से कम मिल पा रहा है। लेकिन पैसे वालों को अधिक दामों पर मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इसके लिए विशेष व्यवस्था हो और एक तरफ से सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाए और इन सब की राय से तय किया जाये कि हम खाद्य विभाग की या जो सामग्री है जिसे जनसाधारण तक पहुंचना है, इसके लिए कौन से उपाय करें। जब कोई बात तय हो जाती है तो जो राज्य कर्मचारी हैं उनसे भी मैं आपके माध्यम

[श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी---]

से निवेदन करूंगा कि सभी खराब नहीं हैं, बहुत अच्छे भी हैं, ऐसी दशा में अपने कर्त्तव्यों का पालन ठीक से करें । समय खतम है । खाद्य मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं और उनके बजट का समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

जो भी सदस्य बिना मेरी आज्ञा के बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा ।

एक सदस्य---

एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने श्री अकबाल हुसेन जो कटौती के प्रस्तावों के प्रस्तावक हैं, को बुला लिया है । अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री माता प्रसाद पांडेय---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सदस्यों ने बोलने का समय मांगा, उस पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं लेकिन एक व्यवस्था चाहता हूं कि सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष के सदस्य बोलते रहे, लेकिन इस ओर ध्यान रखा जाए कि जिनको कभी बोलने का मौका नहीं मिला । जो सूची है उसमें से और हम लोग जो अलग से नाम देते हैं, उनमें से मान्यवर, जब आप उठकर चले जाते हैं और दूसरे सदस्य अधिष्ठाता होकर आते हैं, तो मैं कई दिन से देख रहा हूं कि कई सदस्य ऐसे हैं जिनको अवसर नहीं मिल रहा है । इसलिए आप इस सम्बन्ध में जरूर व्यवस्था दे दें कि हर दल से कम से कम एक-दो व्यक्ति को अवश्य समय मिल जाये । जब आप चले जाते हैं तो नहीं मिल पाता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

कल मैं अधिष्ठाता मन्डल के लोगों से बात करूंगा क्योंकि एक सदस्य के लिए पूरे समय बैठना सम्भव नहीं है । मैं उन लोगों से बात करूंगा कि वे हर दल के लोगों को उनकी संख्या के अनुपात के हिसाब से मौका दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

क्या आप कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री वृद्धिनारायण सिंह---

व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं उठा रहा हूं । सवाल एक बात का है । अगर आपकी आज्ञा हो तो उसके लिए निवेदन करूं ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हों तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। अगर आप ध्यान आकर्षित कर रहे हों तो उसके लिये अ.प कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना आदेश के बोलने चाह रहे हों तो बिना आदेश के नहीं बोल सकते।

श्री वृद्धि नारायण सिंह--

बिना आदेश के नहीं बोलूंगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

वह। आपसे जानना चाहता हू कि व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं या कोई सूचना दे रहे ह।

(व्यवधान)

श्री वृद्धि नारायण सिंह--

आपसे मौका मांग रहा हूं। मुझे एक मिनट सुन लें।

(शोर)

श्री त्रिवेणी--

व्यवस्था का प्रश्न हैं।

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सदन में यह निश्चित कर दिया गया है कि पार्टी से लिस्ट मांगी जाये। पार्टी ने लिस्ट भेजी। परम्परा रही है कि उसी के मुताबिक कार्यवाही होती है। देख रहा हू कि उस लिस्ट पर कोई भी अधिष्ठाता मंडल का हो, बुलाया नहीं करते। ऐसी पोजीशन खराब हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

त्रिवेणी जी ने व्यवस्था मांगी है कि वह सूची देते हैं। सूची को भुला कर इस पीठ से बुलाया जाता है। सूची केवल इस पीठासीन अधिकारी की सहायता के लिए होती है। बुलाने का हक पीठासीन अधिकारी के विवेक पर है। त्रिवेणी जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आपने जरूर नियमों को पढ़ा होगा। पीठासीन अधिकारी अपने विवेक से बुलाता है सूची केवल सहायता के लिए होती है। वह प्रतिबन्धित नहीं करती। अगर सूची हनुमान की पूछ की तरह बढ़ती चली जाये तो अव्यवस्था पैदा होगी। मैं समझता हूं कि आपको व्यवस्था मिल गयी होगी।

श्री रियासत हुसैन--

एक व्यवस्था चाहता हूं।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

रियासत हुसैन जी मैं आपसे निवेदन करूंगा.....।

श्री रियासत हुसैन--

मैं बोल नहीं रहा हूं केवल एक निवेदन हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं किसी का निवेदन नहीं सुनूंगा आप भी विराजें ।

कुछ अन्य सदस्यों के बोलने पर ।

नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि वह अपने लोगों को नियंत्रित करें ।

(व्यवधान)

श्री अकबाल हुसैन--

मैं आपके माध्यम से उन सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव में भाग लिया है । सभी माननीय सदस्यों की बातों को मैंने सुना । जो महत्वपूर्ण सुझाव माननीय सदस्यों ने आपके माध्यम से मन्त्री जी के सम्मुख पेश किया है, उन पर वे अवश्य ही विचार करेंगे, ऐसा मुझे आशा है । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की यह नीति है कि दो हजार की आबादी पर वह सस्ते गल्ले की दुकानें खुलवायेगी । इस नीति के अन्तर्गत इस प्रदेश में....

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य आपस में बातें न करें ।

(श्री अकबाल हुसैन के साथ सत्ता पक्ष के एक सदस्य लगातार बोलते रहे ।)

श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनसंख्या के आधार पर 43 हजार दूकानों की आवश्यकता है । आपने स्वयं यह स्वीकार किया है कि इस प्रदेश में इस वक्त 30,830 दुकानें सरकारी सस्ते गल्ले की हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में 13 हजार अंचल ऐसे हैं जहां पर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की आवश्यकता है । वहां दूकानें न होने से लोगों को बड़ी कठिनाई होती है और ऊंचे दामों पर ब्लैक में आवश्यक वस्तुओं को खरीदना पड़ता है । इन अंचलों में 13 हजार दुकानों की आवश्यकता है, अतः इनके खोलने की व्यवस्था शीघ्र की जाय । मान्यवर, हमारे सम्मानित साथियों ने चीनी के संबंध में, सीमेंट के संबंध में सुझाव दिये हैं, उस संबंध में मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि चीनी की जो वितरण प्रणाली है और आप जो जांच करवाते हैं वह पर्याप्त नहीं है । आप जांच करवाते हैं कि क्या यह चीजें उन लोगों तक पहुंच पाती हैं, जो राशनकार्ड धारक या उपभोक्ता हैं उनको चीनी मिलती है या नहीं इसको सुनिश्चित करने के लिये जो नीति है उस नीति पर आपको कुछ कदम उठाने चाहिये जिससे कि उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुयें मिल सकें । मान्यवर, खाद्य और रसद विभाग के दो ऐसे विषय हैं जिनपर हमारे सम्मानित सदन ने गौर नहीं किया । उसको मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

मान्यवर, पाम आयल और सस्ते कपड़े की जो आपकी वितरण व्यवस्था है वह सहकारी समितियों के माध्यम से आप कर रहे हैं लेकिन इसमें भारी घपला है । नियंत्रित कपड़ा जो है वह सहकारी समितियां उपभोक्ताओं को न देकर काले बाजार में बिकता है । इसी तरह से पाम आयल किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलता है वह ऊंचे दामों पर ब्लैक में विचौलियों को बेंचा जाता है और उनके द्वारा इस पाम आयल को मिलावट आज बनस्पति तेल में हो रही है जिससे कि पूरे प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और मिलावट को प्रोत्साहन मिल रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि पाम आयल और सस्ते कपड़े के संबंध में जो कालाबाजारी की बात है उस पर आप प्रभावी कदम उठायें और इसको नियंत्रित कर । मान्यवर, हमारे सम्मानित सदस्य माता प्रसाद पान्डेय जी बहुत उत्सुक हैं और यह स्वयं कहना चाहते थे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुझको भी ताज्जुब हुआ कि मंत्री जी ने जहां तक मुझे याद है मेरठ में पत्रकारों को इंटरव्यू में मंत्री जी ने चीनी की आवश्यकता के बारे में बताया । जो मंत्री जी ने बताया वह मात्रा इतनी ज्यादा थी कि वह पूरे प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश की मात्रा से ज्यादा थी तो मंत्री जी के ज्ञान के बारे में हमारे पत्रकारों ने लिखा और मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह के ज्ञान से प्रदेश और सरकार की छवि धूमिल होती है । ऐसे लोग हमारे प्रदेश में सरकार को चला रहे हैं जो मंत्री होते हुये भी इतना नहीं जानते कि इस प्रदेश को कितनी आवश्यकता है और यहां कितना उत्पादन है । पूरे देश की जो आवश्वकता है उससे ज्यादा इस प्रदेश की आवश्यकता को बताया ।

मान्यवर, कोटेदारों के संबंध में, लाइसेंसी दूकानों के संबंध में हमारे मशरूर जफरी साहब ने कहा कि वितरण प्रणाली इस तरह की है कि वहां पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग वेरीफाई करने जाते हैं

[अपराह्न 5 बजे]

उनकी खुश करने में, जो एक बोरी शकर का मूल्य होत है उससे 65 रुपये ज्यादा लगता है तब उनको एक बोरी चीनी मिल पाती है । मान्यवर, इसी तरह सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी बात निडर होकर यहां सदन में रखा और उन्होंने कहा कि एफ0 सी0 आई के गोदाम पर जायगे तो पहले वहां चढ़ावा 10–15 रुपये प्रति बोरी दिया जाता है तब शकर मिल पाती है ।

मान्यवर, चीनी, मिट्टी का तेल, कोयला और सीमेन्ट के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि वितरण प्रणाली को इस तरह से सुदृढ़ किया जाय जिससे जिनको आवश्यकता है उस वस्तु की वह उन तक सीधे पहुंचनी चाहिये । यदि बिचौलिये नहीं आते हैं तो इससे कालाबाजारी समाप्त हो सकती है । इसलिए मैंने सुझाव रखा था कि मंत्री जी उन सभी व्यक्तियों को जिनके पास अभी तक राशनकार्ड नहीं हैं उनको वह उपलब्ध करा दें और जिनके पास बोगस राशन कार्ड या डीजल कार्ड हैं तो उनको पुनः वेरीफाई कराकर समाप्त करा दें । इसमें यह भी सुझाव रखा था कि हर राशन कार्ड पर उस परिवार के मुखिया का फोटो जरूर लगवा दें जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उस परिवार को वह चीज मिल रही है जिसका कि वह अधिकारी है ।

[श्री अकबाल हुसैन—]

मान्यवर, मैंने मंत्री जी की और माननीय सदस्यों की बातें सुनीं। खासतौर से जो हमारे भाई राजेन्द्र त्रिपाठी और श्री श्याम लाल बाजपेयी ने निडर होकर इस विभाग की नीतियों की और वितरण प्रणाली की जो आलोचना किया और जो रचनात्मक सुझाव दिये उनको सुना, इसलिय मैं मान्यवर आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्यों ने जो रचनात्मक सुझाव दिये हैं उन पर आवश्यक कदम उठायें और इस वितरण प्रणाली को ठीक करें।

मान्यवर, अब मैं आपके बांट तथा माप विभाग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि अब चीनी मिल के पेराई का सीजन आ गया है। इसमें यह शिकायतें मिलती हैं कि बांट और माप का यंत्र जो लगाया जाता है उससे किसानों का बड़ा शोषण हो रहा है। इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सीजन शुरू होने के पहले उन सभी यंत्रों को दुबारा टेस्ट और वेरीफाई करालें तथा पूरे सीजन में कुछ फ्लाइंग स्कैवड की स्थापना करें जो सप्ताह या 15 दिन में उनकी चेकिंग किया करें। मान्यवर, दूसरी बात बांट तथा माप विभाग में जो शिथिलता है उसके कारण विभाग के लोगों ने जो समझौते किये हैं उससे सरकार को कम पैसे मिले हैं और न्यायालय से जुर्माने के रूप में जो पैसा मिला है वह अधिक है। इससे स्पष्ट है कि विभाग के लोगों ने या तो अपराधियों से सांठ गांठ किया है या उनके साथ आसानी बरती है जिससे कम पैसा मिला है और जब उन मामलों का अदालतों ने फैसला किया है तो उससे विभाग को ज्यादा फायदा हुआ ह। इसलिए इस सम्बन्ध में मंत्री जी कुछ प्रभावशाली कदम उठायें।

इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव पर अधिक बल देता हूं।

(खाद्य एवं रसद मंत्री) श्री अजीत सिंह सेठी—

मान्यवर, मुझे यह प्रसन्नता हुई दोनों तरफ के जितने सदस्य बोले...।

एक सदस्य—

मान्यवर, मंत्री जी से कहें कृपया हिन्दी में बोलें। पंजाबी में समझ में नहीं आता...।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मान्यवर, सब सदस्यों ने इस विषय पर चिन्तन किया है। अब आप प्रेमपूर्वक मेरे विचारों को सुनें क्योंकि मैं खुद किस तरह से बना हुआ हूं, मुझे अपनी उम्र में उस महात्मा लंगोटी वाले का आर्शीवाद प्राप्त हुआ है। राशन, कन्ट्रोल आदि को उस महात्मा ने बड़ी सुन्दरता से, गंभीरता से पेश किया है और मुझे खुशी यह है कि उनके विचारों के मुताबिक आप ने विचार प्रकट किये हैं कि जब कभी हम समाज की रचना करें तो फिर सरकार को उन लोगों के मुंह में अनाज डालने की जिम्मेदारी भी है। मुझे खुशी तो यह है कि प्रथम जो प्रणाली हमारी चल रही है उसको आप ने माना। अब उसमें जो दोष हैं उसे दूर करने का सुझाव आप का है।

श्री शंकर सिंह—

दुभाषिया का प्रबन्ध करा दीजिये...।

श्री विजय सिंह राना—

मंत्री जी किसको संबोधित कर रहे हैं दिवार को कर रहे हैं, आप को कर रहे ह... ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी भाषण साफ बोल रहे हैं ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

श्रीमन्, मैं फिर अर्ज करूंगा कि शांति से मेरे विचार सुनें । मैं और आप इस सदन में चिन्तन करते हैं और चिन्तन यह करते हैं कि इस प्रदेश की दस करोड़ जनता को जिन्दगी के जरूरियात किस तरह से दे सकेंगे । यह एक ऐसा इश्यु है जिस पर दल से ऊपर उठ कर हमें विचार करना चाहिए । एक चीज यहां पर विभाग की गलतियों के बारे में कही गयी । उसे दूर करना सरकार का कर्तव्य है लेकिन इसके साथ-साथ जितने कार्य हैं उनको हल करने के लिए दोनों तरफ से सहयोग की जरूरत है । मैं विभाग को दुरुस्त करूं, इसमें माननीय सदस्यों के सहयोग की जरूरत है और यह बात मैं उसी लंगोटी वाले महात्मा के आधार पर दे रहा हूं । जो लोक मत है, जिसकी जिम्मेवारी विरोधी दल की भी है, जो हमें प्रेरित करे सही रास्ता देने के लिए, वह इस वक्त हमारे प्रदेश से बिल्कुल गायब हो गया है... ।

श्री विजय सिंह राना—

खाद्य मन्त्री जी बजट पर बोल रहे हैं या विपक्ष पर बोल रहे हैं... ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

माननीय सदस्यों से जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि खाद्य की समस्या लफजों से हल होने वाली नहीं है । यह हल होगी विचारों की तन्दुरस्ती से...।

(शोर)

आप, मान्यवर, अगर मुझे नहीं सुनेंगे तो फिर ।

(शोर)

आप सुनेंगे नहीं, हो सकता है मुझे आपके सुने विचारों को क्रियान्वित करने.... ।

(शोर)

आप सुन लीजिए । खाद्य समस्या केवल अल्फाजों से हल होने वाली नहीं है । मैं चाहता हूं कि जो विभाग की वितरण प्रणाली है वह तन्दुरस्त हो ।

(कुछ सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें, बैठ जायं ।

श्री अजीत सिंह सेठी--

जो कुरीतियां हैं, जिनको हमारा विभाग, यह समाज और हम सब मिलकर निकालना चाहते हैं, उसे कौन रोक रहा है ? उसे विभाग पूर्णतया रोक नहीं सकता जब तक समाज यह न कहे कि अमुक व्यक्ति बेईमान है और चोर बाजारी करता है । मेरी आपके जरिये सदस्यों से इल्तजा है । मुझे इसमें मौका देने के लिए लोकमत की जरूरत है । उसको पैदा करने में विरोधी दल के माननीय साथी सहायता दें, ताकि हम समाज के अन्दर परिवर्तन ला सकें और जो शंकाएं सदन में उठायी गयी हैं जो निवारण करने के काबिल हों उनका निवारण कर सकें । कट मोशन के मूवर अकबाल हुसैन साहब ने कहा कि 215 व्यक्तियों को रियायत दी गयी । उनको रियायत क्यों दी गयी ? मान्यवर, इसमें दो कैटेगरीज हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी आप मुझे सम्बोधित करें, और सदस्यों की तरफ सम्बोधित करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अजीत सिंह सेठी--

एक कैटेगरी वह है जो व्यक्ति फरार हो गये । कुछ व्यक्ति गुमनाम काम कर लेते हैं । जो सामने नहीं आते । यह हुकूमत किसी को छोड़ेगी नहीं ।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है । मंत्री जी समझा कर चले जा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय कुबेर जी, बैठिये ।

(व्यवधान)

उनका वितरण करने का काम है । उनको वितरण करने दीजिये । आप अध्यापक हैं, लोगों को पढ़ाते हैं । विराजें ।

(श्री विजय सिंह राना के खड़े हो कर कुछ कहने पर)

राणा जी, यही शिक्षा देंगे कि बीच में बोला जाय, तो बहुत मुश्किल हो जायेगा । सुनन दीजिए ।

राना जी विराजें । बोलिए मंत्री जी अपना भाषण जारी रखें ।

श्री अजीत सिंह सेठी--

कहा है कि बोगस राशन कार्ड देते हैं । मैं मानता हूं । प्रथम आदेश यही हुआ है, उसके कारण 1 लाख 5 हजार यूनिट निकाली गयी हैं । हमारा अभियान जारी है । हम उम्मीद करते हैं कि बोगस कार्डों को खत्म कर देंगे ।

सीमेंट के ऊपर यह शंका हुई कि दो रेट्स हैं । वह कुदरती है । जो सीमेंट ट्रक से आता है वह मंहगा है और जो रेलवे वैगन से आता है वह सस्ता है । इस लिए दो रेट रुक नहीं पायेंगे ।

एफ0 सी0 आई0 के ऊपर माननीय सदस्यों ने नुकताचीनी की है कि उनका व्यवहार एजेंट के साथ और माल देने के साथ अच्छा नहीं है। हम खुद महसूस करते हैं। कई बार मैंने इस सम्बन्ध में फाइलों को देखा और सेंटर में इसके मुतल्लिक चर्चा हुई। हमें उम्मीद है कि यह अन्याय एफ0 सी0 आई0 का हमारे साथ नहीं होगा।

माननीय सदस्य मुजफ्फरनगर, श्री हुकुम सिंह ने गाजियाबाद में खांडसारी की बात छेड़ी। गाजियाबाद में जो खांडसारी पकड़ी गयी वह पाकिस्तान जाने के आधार पर पकड़ी गयी। एक डीलर दूसरे डीलर को माल नहीं बेच सकता इसके आधार पर एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई है और पुलिस तफतीश कर रही है। यह माल पकड़ कर सारा मोहन मीकिन्स को ही नहीं दिया गया। एंजेंसियों पर भी बेचा गया और कुछ हलवाइयों को भी बेचा गया

(व्यवधान)

सस्ते कपड़े की बात कही गयी। सदस्यों का विचार है कि यह सस्ता कपड़ा कम उपलब्ध हो रहा है। यह कपड़ा भारत सरकार हमको देती है। पहले यह काफी मिलता था लेकिन इस बार हमको 1500 बेल्स ही मिली हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सस्ते दर का कापड़ा हमको ज्यादा मिले, भारत सरकार से क्योंकि इसको हम तो बनाते नहीं हैं ताकि जनता को हम ज्यादा कपड़ा दे सकें। लखनऊ में अब कोई वी0 आई0 पी0 काउंटर नहीं है और जिले में भी किसी जगह यह काउंटर नहीं खोला गया है।

कोयले के सम्बन्ध में धरम पाल जी ने कहा कि मैं यह नहीं जानता कि कोयला आता कहां से है। ठीक है वह कुछ भी कह सकते हैं और उसको मैं मानता हूं। प्रथम सिपाही के नाते यही मेरा कर्तव्य भी है। स्लेक कोयले की बात कही गयी। कोशिश यही की जाती है कि रेलवे से आये और स्पेशल बैगन्स हमको उपलब्ध किये जायं लेकिन दो साल से बकायदा ट्रक के जरिये से यह कोयला लाया जा रहा है क्योंकि रेलवे बैगन्स नहीं मिल पा रहे हैं।

(व्यवधान)

ट्रक से लाने पर यह अवश्य कुछ मंहगा पड़ता है। जहां तक डीजल का सवाल है उसके वितरण पर अधिक से अधिक महत्ता दी जायगी। चीनी के वितरण में मार्जिन कोटेदारों की अवश्य कम मिलता है। इस पर हम भी सोच रहे हैं लेकिन भारत सरकार इस मार्जिन को बढ़ाना नहीं चाहती। इसको हम कैबिनेट में रखेंगे और देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं ?

(व्यवधान)

यह कहा गया कि पहाड़ों पर माल अपने खर्चे से सरकार पहुंचाये। यह सुझाव सुन्दर है और हम उस पर अमल करने का प्रयास करेंगे। खाद्यान्न के मसले पर जैसे कि गांधी जी कहते थे कि सिविल सिपाही बनिये उसमें अगर आप रचनात्मक आलोचना, कांस्ट्रक्टिव आलोचना करेंगे और सही बात कहेंगे तो उसके लिये मैं आपके साथ हूं, 24 घंटे। मैं फिर सदन में यह ऐलान करना चाहता हूं कि जो ऑफिसर्स तथा व्यापारी को भ्रष्ट तरीके अपना कर समाज को दूषित कर रहे हैं और मुख्यालय पर जाली पर्मिट लेते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं कट मोशन पेश करने वाले साथी से दरख्वास्त करूंगा कि वह अपना कट मोशन वापस ले लें।

श्री हुकम सिंह---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक जानकारी चाहता हूं कि इस सदन में स्पष्ट आरोप यह लगाया गया कि गाजियाबाद म 70 लाख की खांडसारी पकड़ी गई और वह फेयर प्राइस शाप्स को न देकर मोहन मीकिन्स आदि को दी गई । माननीय मंत्री जी ने तस्लीम किया है कि उसका कुछ भाग दिया गया है । तो इसका क्या कारण है ? और कितना-कितना किस-किस को दिया गया ?

श्री अजीत सिंह सेठी---

श्रीमन्, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

मान्यवर, इस सदन में बस्ती में जो 22 बैगन गेहूं पकड़ा गया था उसके बारे में काफी चर्चा यहां पर हुई थी और आपने निर्देश दिया था कि खाद्य मंत्री जी का जब बजट आयेगा तो उस पर मंत्री जी वक्तव्य देंगे । लेकिन आज उन्होंने जो भाषण दिया है उसमें कोई उल्लेख उन्होंने उस बात का नहीं किया है । क्या वे इसके बारे में भी सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री अजीत सिंह सेठी---

मान्यवर, बस्ती में जो गेहूं पकड़ा गया है, उस तरह से केवल एक जनपद में नहीं हुआ है । वह गोरखपुर में, गोंडा में और दूसरे स्थानों में भी हुआ है । इसलिए उन स्थानों से सबसे इसके विवरण प्राप्त करने की जरूरत है । जब तक वह सूचना नहीं मिलती तब तक मैं इस समय उसके बारे में नहीं बता सकता ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,04,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 97-खाद्य तथा रसद विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 97-खाद्य तथा रसद विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 71,95,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 127-खाद्य तथा रसद विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 127-खाद्य तथा रसद विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 25,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 में मुझे 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से श्री दलगंजन सिंह, श्री शंकर सिंह, श्री धरमपाल और श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना स्वीकृत हुई है जो उरई नगर, जनपद जालौन में श्री अजय गुप्ता की पुलिस द्वारा हत्या के विरोध में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में है । बाकी सूचनायें अस्वीकृत की हैं ।

अब हम उठते हैं और 3 तारीख को 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 25 मिनट पर शुक्रवार, 3 अक्टूबर, 1980 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

1 अक्टूबर, 1980

सत्य प्रिय सिंह,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

विवरण—1

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 212 पर)

वर्ष 1980–81 में पर्वतीय क्षेत्र के परिव्यय में की गई वृद्धि का विकास मदवार विवरण तथा इस बढ़े हुये परिव्यय में प्रस्तावित प्रमुख कार्यक्रम/लक्ष्य

क्रम सं0	विकास मद	परिव्यय में वृद्धि (लाख रु0)	बढ़े हुये परिव्यय में प्रस्तावित कार्यक्रम/लक्ष्य
1	2	3	4
		रु0	
1	लघु सिंचाई		
	(क) निजी	8.00	1—(क) निजी लघु सिंचाई कार्यों से 100 हैक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन तथा 200 हैक्टर गूल/हौज का निर्माण प्रस्तावित है।
	(ख) राजकीय	111.00	(ख) राजकीय सिंचाई के चालू निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिये यह धनराशि प्रस्तावित है।
	योग ..	119.00	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
2	भूमि संरक्षण (कृषि)	45.00	2—यह धनराशि कार्य/अनुदान मद की पूर्ति के लिये प्रस्तावित है । इससे जल समेट आधार पर नाप एवं बेनाप भूमि का उपचार प्रस्तावित है ।
3	स्थानीय नियोजन	65.00	3—क्षेत्रीय विकास विभाग की इस योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र के लिये वर्ष 1980–81 में कोई धनराशि उपलब्ध नहीं थी, जिसके लिये यह धनराशि आवंटित की गई है ।
4	पशुपालन	14.00	4—इस धनराशि से निम्न लक्ष्य प्रस्तावित किये गये हैं :— (i) 5 पशुचिकित्सालय । (ii) 45 नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र । (iii) 7 भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र । (iv) 350 वर्ण संकर भेड़ों का क्रय। (v) 5 सचल इकाइयों की स्थापना (दुग्ध संयत्रों से आच्छादित क्षेत्र में अतिरिक्त प्रजनन एवं चिकित्सा सुविधा के लिये) । (vi) कुक्कुट प्रक्षेत्रों के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण के लिये 6 जनरेटर इन्क्यूबेटर्स तथा ब्रूडर्स आदि का क्रय ।
5	दुग्ध विकास	5.00	5—यह धनराशि वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण पुनर्गठन एवं विस्तार हेतु कार्यशील पूंजी व अन्य सहायता के लिये प्रस्तावित है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा Uttar Pradesh Vidhan Sabha

6	वन	25.00	6--राज्य वन निगम को ऋण दिये जाने के लिये ।
7	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	5.00	7--ग्रामीण अभियंत्रण सेवा की कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु एक वृत्त कार्यालय एवं अतिरिक्त प्रखण्डों का सृजन प्रस्तावित है ।
8	जिला परिषदों को अनुदान	12.00	8--जिला परिषदों की सड़कों आदि के निर्माण कार्यों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु ।
9	ब्लाक/क्षेत्र समितियों को अनुदान	18.00	9--नव सृजित 9 विकास खण्डों में लघु कार्यों के लिये 2 लाख रु0 की दर से अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है ।
10	विद्युत्	150.00	10--अतिरिक्त लक्ष्य (1) ग्रामों का विद्युतीकरण 231 । (2) हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण 231 ।
11	वृहद एवं मध्यम उद्योग	40.00	11--यह धनराशि पर्वतीय क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना हेतु सम्बन्धित राज्य निगमों की अंश पूंजी में वृद्धि/ऋण के लिये आवंटित की गई है । (i) राज्य सीमेन्ट निगम 10 लाख रु0। (ii) उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम 10 लाख रु0, (iil) यू0 पी0 इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन 10 लाख रु0। (iv) गढ़वाल एवं कुमाऊं विकास निगम 10 लाख रु0 ।

1	2	3	4
12	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	20.00	12—पर्वतीय क्षेत्र में रेशम योजना का विस्तार तथा ओक टसर विकास की नई योजना के अन्तर्गत "इन्टेन्सिव टसर डेवलपमेन्ट" प्रोजेक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1980-81 में कुमाऊं तथा गढ़वाल मण्डल में एक-एक सीड ग्रेनेज फर्म तथा प्रत्येक जिले में दो-दो एक्सटेन्शन-कम-रियरिंग सेन्टर्स की स्थापना प्रस्तावित है।
13	खनिज विकास	5.00	13—पिथौरागढ़ में सीमेन्ट कारखाने के लिये लाइम स्टोन भण्डारों के सिद्धीकरण हेतु राज्य खनिज विकास निगम के माध्यम से विस्तृत सर्वेक्षण/ड्रिलिंग कार्य हेतु।
14	सड़क एवं पुल	550.00	14—चालू सड़क निर्माण कार्यों से 160 कि0 मी0 अतिरिक्त मोटर मार्गों के निर्माण का लक्ष्य प्रस्तावित है। इसके अलावा कुछ सड़कों का पुनः निर्माण तथा सुधार भी प्रस्तावित है।
15	पर्यटन	10.00	15—चालू योजनाओं की आवश्यकता की पूर्ति हेतु।
16	सामान्य शिक्षा	93.00	16—कुमाऊं एवं गढ़वाल विश्वविद्यालयों को यू0 जी0 सी0 की सहायता के लिये अहर्य हेतु इन विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान की पूर्ति प्रस्तावित है।
17	प्राविधिक शिक्षा	22.00	17—नयो स्थापित बहुधंधी संस्थाओं के भूमि क्रय एवं भवन निर्माण हेतु यह धनराशि प्रस्तावित है।
18	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	2.00	18—पर्वतीय क्षेत्र में गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डलों में एक-एक आर्टीफिशियल लिम्ब सेन्टर की स्थापना के लिये प्रतीक प्राविधान प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

19	जल सम्पूर्ति		
	(1) जल निगम	120.00	19—(i) चालू योजनाओं को पूरा करने के लिये ।
	(2) ग्राम विकास विभाग	25.00	(ii) हरिजन बस्तियों में 104 अतिरिक्त डिग्गियों का निर्माण ।
	योग ..	145.00	
20	शिल्पकार प्रशिक्षण	20.00	20—एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के लिये भूमि क्रय/भवन निर्माण का कार्य तथा स्थापित संस्थाओं में साज-सज्जा की पूर्ति प्रस्तावित है ।
21	पिछड़ी जातियों का कल्याण	15.00	21—अनुसूचित जातियों/जनजातियों की कुटीर उद्योग, गृह निर्माण, पुनर्वासन तथा कृषि एव बागवानी हेतु अतिरिक्त अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है ।
22	समाज कल्याण	5.00	22—चालू योजनाओं की आवश्यकता की पूर्ति हेतु ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 212 पर)

तालिका

वर्ष	प्रशिक्षण शिविर संख्या	प्रतियोगिता संख्या	24 3 से लाभान्वित प्रशिक्षार्थी	विभाग की योजनाओं से कुल लाभान्वित	स्टेडियम निर्माण हेतु लिये गये	अन्तर्—राष्ट्रीय खिलाड़ी	ओलंपिक खिलाड़ी	राष्ट्र चैम्पियनशिप पदक			
								स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1976–77	..	..	14,577	..	..	5	1	10	6	4	20
1977–78	..	173	27,787	53,000	..	..	..	08	6	4	18
1978–79	874	403	48,157	92,000	6 —सुल्तानपुर हमीरपुर बांदा उरई देवरिया बस्ती	15	..	10	2	1	13
1979–80	1617	474	89,925	96,000	2—बुलन्दशहर उन्नाव	37	5	39	29	24	92

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 213 पर)

तालिका

क्रम-संख्या	प्रतियोगिता का नाम	ख्याति	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	राष्ट्रीय बैडमिन्टन चैम्पियनशिप	स्वर्ण पदक	सम्बन्धित खिलाड़ियों श्री संजय मेहरोत्रा व कु0 सुकेशा एबोल का चयन आगामी एशियाई खेलों में प्रथम चरण के प्रशिक्षण हेतु हुआ ।
2	अखिल भारतीय मिनी व जूनियर कुश्ती चैम्पियनशिप, जबलपुर (मई, 1979)	3 रजत पदक	..
3	चतुर्थ मिनी और जनियर चैम्पियनशिप (18-22 जून, 1980)	4 रजत, 2 कांस्य पदक (पहलवानी में)	स्पोर्ट्स छात्रावास (कुश्ती) के 3 पहलवानों का चयन राष्ट्रीय शिविर पटियाला हेतु हुआ ।
4	अखिल भारतीय आयु वर्ग तैराकी चैम्पियनशिप (बम्बई) मई, 1979	2 स्वर्ण, 1 रजत व 5 कांस्य पदक	..
5	अखिल भारतीय ग्रामीण तैराकी प्रतियोगिता जुलाई, 1980	2 स्वर्ण 3 रजत व 1 कांस्य पदक	..
6	अखिल भारतीय आयु वर्ग तैराकी चैम्पियनशिप (त्रिवेन्द्रम) अगस्त, 1980	2 स्वर्ण, 2 रजत पदक व एक विशेष पुरस्कार	..
7	राष्ट्रीय बास्केटबाल चैम्पियनशिप जनवरी, 1980	..	प्रदेशीय टीम में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया ।
8	अखिल भारतीय अन्तर राज्य साइकिलिंग प्रतियोगिता (जबलपुर) अक्तूबर, 1979	3 रजत व 5 कांस्य पदक	..
9	सब-जूनियर फुटबाल चैम्पियनशिप (डा0 बी0 सी0 राय ट्राफी), कटक	1 रजत पदक	..
10	एशियाई फुटबाल प्रतियोगिता (बैंकाक) जून, 1980	..	कनिष्ठ वर्ग की भारतीय टीम में 3 बालकों का चयन हुआ ।

इसके अतिरिक्त (1) अखिल भारतीय टेबुल टेनिस फेडरेशन द्वारा प्रदेश के 6 खिलाड़ियों (3 बालक व 3 बालिका) की रैंकिंग की गई तथा (2) अखिल भारतीय लान टेनिस फडरेशन द्वारा 1979-80 में भारत के जूनियर ब्वायज वर्ग (14 वर्ष से कम) में प्रदेश के अमित भार्गव को नं0 1 तथा दीपक भार्गव को जूनियर नं0 2 रैंक दिया गया ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 46 का उत्तर पीछे पृष्ठ 221 पर)

वर्ष 1978-79 में उत्पीड़ित हरिजन कोष से सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र देने वाले हरिजनों के नाम व विवरण

क्रम-संख्या	उत्पीड़ित हरिजनों का नाम व पता
1	श्री राम लाल पुत्र श्री काशी नाथ, धोबी, ग्राम बेलसड़ा ।
2	श्री राम बहादुर पुत्र श्री भरथ हरिजन, ग्राम-खोहिया, थाना बड़हलगंज ।
3	श्री अकलू हरिजन पुत्र श्री पूरनवासी, ग्राम कड़सार, थाना बड़हलगंज ।
4	श्री रमेशवर हरिजन पुत्र श्री प्रीतम हरिजन, ग्राम मोहिला, थाना-बड़हलगंज ।
5	श्री प्रमोद पुत्र श्री बैजनाथ हरिजन, ग्राम अहिरौली, थाना-बड़हलगंज ।
6	श्री झगरू पासी पुत्र श्री जलई ग्राम दुर्गापुर, थाना-नातनवा ।
7	श्री मगरू पुत्र श्री बल्ली पासी, ग्राम पुछिया, ब्रह्मस्थान, थाना खोराबार ।
8	श्री लाल बिहारी पुत्र श्री बल्देव, ग्राम सिकटौर ।
9	श्री राम समुझ ग्राम-एकल, थाना पीपीगंज ।
10	श्री रामसूरत पुत्र श्री जतनारायन, ग्राम एकला, थाना पीपीगंज ।
11	श्री खखन पुत्र श्री फेकू हरिजन, ग्राम हरपुर, थाना पीपीगंज ।
12	श्रीमती बासन्ती पत्नी श्री कुकूर हरिजन, ग्राम चन्दागुलर भार, थाना निचलौल ।
13	श्री सहदेव हरिजन पुत्र श्री गोपाल हरिजन, ग्राम शितलापुर, थाना निचलौल ।
14	श्री राम चन्द्र पुत्र श्री बिरजा, ग्राम जिनहवा, थाना निचलौल ।
15	श्री राम प्रसाद पुत्र श्री राम प्रसाद, ग्राम-मोहनापार, गुलहरिया ।
16	श्री भगवान दास हरिजन पुत्र श्री खेदू हरिजन, चपरासी बो0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर ।
17	श्री जग्गू हरिजन पुत्र श्री समई हरिजन, ग्राम-रामपुर, बुजुर्ग, थाना गुलहरिया ।
18	श्री सुभास हरिजन पुत्र श्री नगई हरिजन, ग्राम बस्ती, थाना गोला ।
19	श्री श्याम लाल पूत्र श्री मातबर, ग्राम कलानी ।
20	श्री गुनई, ग्राम खेड़ाडीह, थाना गगहा ।
21	श्रीमती जिलेवा पत्नी श्री बसन्त, ग्राम लौहराधार, थाना-गगहा
22	श्रीमती धूपा देवी पत्नी श्री भागीरथी, ग्राम अड़िलायार, थाना-सहजनवा ।
23	जोन्हा देवी पत्नी श्री ब्रम्हदेव, ग्राम व पो0 नौतनवा ।

नोट--सात उत्पीड़ित हरिजनों के विषय में पूरी जानकारी कार्यालय को नहीं है पुलिस विभाग से सूचना प्राप्त करने की कार्यवाही की गयी है किन्तु अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है । सूचना प्राप्त होने पर भुगतान सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जायगी ।

पी0 एस0 यू0 पी0--52 वि0 सभा--29-9-1981--835 (पी0 डी0)